बुधवार,
१९ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, १९ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

'मल्टी-प्रेस' प्रसारण

*४६३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सचरण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली स्टेशन से 'मल्टी प्रेस' प्रसारणों का स्तर और विस्तार क्या संतोषजनक और आवश्यकता के अनुसार है ; और

(ख) क्या इस केन्द्र में टेलीग्राफी के अतिरिक्त टेलीफोन तथा रेडियो चित्रसेवाओं के उपकरण भी हैं ?

सचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) केवल उत्तर-दक्षिण अमरीका को छोड़ कर इस समय यह सेवा काफी संतोषजनक है।पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नवीन उपकरणों के लग जाने पर इस सेवा के स्तर में और सुधार होगा।

(ख) जी नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : नवीन उपकरण के कब तक आने की आशा है ?

श्री राज बहादुर : कोई निश्चित तिथी निर्धारित नही की जा सकती, किन्तु यह हमारे कार्यक्रम में अवश्य है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे अधिकतर वैदेशिक कार्यक्रम अब भी लन्दन होकर चलाए जाते हैं ?

श्री राज बहादुर : उनमें से अनेक लन्दन होकर चलाए जाते हैं जबकि अनेक अन्य देशों के साथ हमारा सीधा स्वतन्त्र सम्बन्ध है।

सरदार हुक्म सिंह : लन्दन के अतिरिक्त दिल्ली किन स्टेशनों से रेडियो पर सीधे सम्बन्धित है ?

श्री राज बहादुर : यह एक लम्बी सूची है। किन्तु जहां तक इस विशिष्ट सेवा का मतः 'मल्टी ऐड्रेस' का सम्बन्ध है, हम लन्दन और मास्को से सीधे सम्बन्धित है। दिल्ली और बम्बई के बीच भी सीधा सम्बन्ध है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या में जान सकता हूं कि विदेशी दूतावासों द्वारा कोई प्रतिनिधान किया गया हे जिसमें भारत से निवेदन किया गया है कि इस आधुनिक उपकरण को शीघ्र मंगाया जाए।

श्री राज बहादुर : मुझे इसका ठीक पता नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं मान सकता हूं कि नवीन उपकरण अभी खरीदे जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : मैं पहले ही बतला चुका हूं कि यह हमारी पंच वर्षीय योजना का भाग है। हम उसे खरीदेंगे ही।

भारत-इंग्लिस्तान नौवहन सेवा

*४६४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि एक भारतीय नौवहन उपक्रम द्वारा जिसकी कि भारत-इंग्लिस्तान मार्ग पर सेवा है उक्त सेवा को बन्द कर देने की सम्भावना है क्योंकि यह मार्ग लाभकारी नहीं है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : प्रत्यक्षतः माननीय सदस्य का निर्देश सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी बम्बई द्वारा भारत-इंग्लिस्तान मार्ग पर चलाई जाने वाली सेवा से है। यह कम्पनी इस सेवा को अलाभकारी पा रही है और इसे बन्द करने की इच्छुक है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सत्य है कि भारतीय नौवहन उपक्रमों की कठिनाईयों को देखते हुए, उस राशि में अब कुछ वृद्धि की जाएगी जो कि उन्हें भारतीय नौवहन में विस्तार करने के लिए दी गई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं तथा हानि होने का मुख्य कारण जहाज़ों का आकार और उनकी संख्या (केवल दो) है। जहाज़ अधिक बड़े होने चाहिए थे जो अधिक मुसाफिरों तथा सामान को लेजा सकते। दूसरे जहाज़ों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी अर्थात् यदि कम से कम चार जहाज़ हों तो यह लाभप्रद हो सकता है उन्होंने आर्थिक सहायता मांगी है तथा इस बात पर विचार किया जा रहा है। यह मामला मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति के समक्ष जायेगा।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार ने भारत तथा इंगलिस्तान के मध्य नौवहन सेवा प्रदान करने वाली कम्पनियों को जो ऋण दिया है क्या उस पर ब्याज की दर कम करन का इरादा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : सदन में पहले एक अवसर पर एक प्रश्न का उत्तर देते समय मैं सूचना दे चुका हूं कि ऋण पर ब्याज की दर को पहले ही घटा कर २॥ प्रतिशत कर दिया गया है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकेंगे कि भारत और इंगलिस्तान के मध्य होने वाले नौवहन में कितना टनभार भारतीय स्वामित्व प्राप्त है और कितना अधिकृत किया हुआ है ? क्या वह यह भी बतला सकेंगे कि भारतीय नौवहन कम्पनियों की असफलता से भी इसका कोई सम्बन्ध है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : भारत-इंगलिस्तान मार्ग पर केवल दो ही भारतीय जहाज़ हैं और शेष विदेशी हैं। मैं ने अभी अभी सदन को बतलाया था कि हानि का कारण जहाज़ों की संख्या केवल दो तक ही सीमित होना है और सिंधिया नेवीगेशन कम्पनी ने आर्थिक सहायता मांगी है तथा सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : ये जहाज़ भारतीय कम्पनियों के ही हैं अथवा किन्हीं विदेशी कम्पनियों से अधिकृत किये गये हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : वे भारतीय कम्पनियों का स्वामित्व-प्राप्त हैं।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह हानि किस सीमा तक विदेशी स्वामित्व-प्राप्त नौवहन के एकाधिकार के कारण होती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कारण मैं पहले ही बतला चुका हूं। हानि होने का केवल मात्र यही कारण है।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता था कि किस सीमा तक, यह नहीं कि क्या कारण है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह समझते हैं कि एकाधिकार है। क्या ऐसी बात है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : एकाधिकार नहीं है। जब कि भारतीय नौवहन कम्पनी को जहाज़ चलाने की अनुमति है तब एकाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इसी धारणा पर आधारित था।

श्री अच्युतन : अब तक कम्पनी को कितनी आर्थिक सहायता दी जा चुकी है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : सन् १९५० में उसे २२ लाख रुपये की हानि हुई थी। मैं आप को बिल्कुल ठीक तो नहीं बता सकता कि उसने कितनी सहायता माँगी है, किन्तु यह लगभग १० या ११ लाख रुपए प्रति वर्ष होगी।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने कभी इस बात की जांच की है कि यह अलाभप्रदता किस प्रकार आई ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह बात वह स्पष्ट कर चुके हैं।

श्री नम्बियार : मैं ने पूछा था कि क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

भुखमरी से मृत्युएं

*४६५. **श्री एस० एन० दास।** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न राज्यों में अकालग्रस्त क्षेत्रों से सन् १९५२ में व्यक्तियों, दलों अथवा समाचारपत्रों द्वारा भुखमरी से मृत्यु होने की कुल कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई थीं ;

(ख) कितने मामलों में जांच की गई ; और

(ग) कितने मामलों में पाया गया कि मृत्यु वास्तव में भुखमरी के कारण हुई ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग) : राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना का विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है।

विवरण

भुखमरी से मृत्युएं

राज्य	कथित मामलों की संख्या	जांच किए गए मामलों की संख्या	अब भी विचाराधीन मामलों की संख्या	वे मामले जिन में मृत्यु वास्तव में भुखमरी से हुई	टिप्पणी
आसाम	२५	२५	—	—	
बिहार	७२	६१	११	*२	*भुखमरी अथवा कुपोषण से मृत्यु होने का संदेह
पश्चिमी बंगाल	२८१	१४८	१३३	—	
उत्तर प्रदेश	२२९	२०५	२४	—	
विंध्य प्रदेश	—	—	—	—	
मनीपुर	७	७	—	—	
मैसूर	१५	१५	—	—	
बम्बई	३२	३२	—	—	
राजस्थान	—	—	—	—	
मद्रास	१०६	१०६	—	—	
योग	७६७	५९९	१६८	२	

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि ये जांचें किसके द्वारा की गई थीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम सम्बन्धित विभिन्न राज्य सरकारों से पूछते हैं और वे जांच कराती हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि राज्य सरकारें किन से यह जांचें कराती हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कदाचित अपने पदाधिकारियों द्वारा ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि ये पदाधिकारी पुलिस के थे अथवा और ऊंचे पदाधिकारी थे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमें राज्य सरकारों से कोई सूचना नहीं है ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार के पास अकाल से अधमरे हुए लोगों के भी आंकड़े हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एस० एन० दास : जितने मामलों की सूचना मिली है उन में से कितने वैयक्तिक लोगों द्वारा प्राप्त हुए थे, कितने विभिन्न दलों द्वारा तथा कितने समाचार-पत्रों से ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह हमने सदन पटल पर रक्खे गये विवरण में दिया है ।

श्री एस० एन० दास : विवरण में कोई ज़िक्र नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या सरकार को शोलापुर ज़िले के करमर ताल्लुके के गिन्ती गांव से तीन-चार भुखमरी की मृत्युओं का समाचार मिला है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं समझता हूं यह बात भी विवरण में दी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं अब अधिक विस्तार में जाने से कोई लाभ नहीं है । यह राज्यों द्वारा किया जाता है । यदि माननीय सदस्य कोई सूचना चाहें तो वे तत्सम्बन्धी विशिष्ट प्रश्न रख सकते हैं । ऐसी चीज़ पर समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं जिसके सम्बन्ध में यहां सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं एक प्रश्न और पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं ।

गंगा का पुल

*४६६. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मोकामें घाट पर गंगा नदी के ऊपर पुल बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

(ख) इसका प्राक्कलित व्यय कितना है ?

(ग) इसके निर्माण के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) मोकामे घाट पर गंगा नदी पर पुल बनाने का कार्य पुनः प्रारम्भ करने का निश्चय कर लिया गया है । परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य करने के लिए एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है ।

(ख) मिले हुए रेलवे सड़क के पुल की प्राक्कलित लागत १३·५ करोड़ रुपये

डिज़ाइन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और तदनुसार यह प्राक्कलन परिवर्त्तनीय ह ।

(ग) निर्माण पूरा होने पर लगभग पांच वर्ष लगेंगे ।

फिलीपीन्स के साथ वायु समझौता

*४६७. **श्री ए० एम० टामस :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार तथा फिलीपीन्स सरकार के मध्य कोई नया वायु समझौता हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो सन् १९४९ के समझौते पर क्या परिवर्तन किए गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के सम्बन्ध में कोई बहु-पार्श्विक समझौता हुआ है जिसमें कि भारत और फिलीपीन्स भी सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो अन्य पक्ष और कौन-कौन हैं ?

श्री राज बहादुर : एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है जिस में कि सभी देश सम्मिलित हैं । भारत और फिलीपीन्स भी इस समझौते में सम्मिलित हैं ।

श्री ए० एम० टामस : फिलीपीन्स गणतन्त्र तथा भारत में जो समझौता है उसी की तरह का अन्य क्या देशों के साथ भी कई पृथक समझौता किया गया है ?

श्री राज बहादुर : भारत और फिलीपीन्स के मध्य एक पृथक समझौता है जो सन् १९४९ में हुआ था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ज्ञात करना चाहते हैं कि क्या अन्य देशों के साथ भी इस प्रकार का कोई समझौता है ?

श्री राज बहादुर : इसी प्रकार के समझौते लगभग ११ और देशों के साथ हैं । यदि माननीय सदस्य उनके नाम जानना चाहते हैं तो मैं बतला दूंगा ।

सुपारी उद्योग

*४६८. **श्री सी० आर० इय्युन्नी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में से प्रत्येक में कितनी सुपारी बनाई जाती है ।

(क) सुपारी से क्या-क्या वस्तुएं बनाई जाती हैं ?

(ग) क्या मूल्यों में अप्रत्याशित गिरावट आ जाने से इस उद्योग को धक्का लगा है ?

(घ) बाहर से कुल कितनी सुपारी आयात की जाती है तथा किन-किन देशों से आयात की जाती है ?

(ङ) इस उद्योग में प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क), (ख) और (घ) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १**]

(ग) जी हां ।

(ङ) ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । एक मोटे अनुमान के अनुसार यह संख्या लगभग ३० लाख है ।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन चारों श्रेणियों, छाली, देसावरम, चूर तथा ऐरासल, का प्रति मन मूल्य क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मेरे पास उत्पादन लागत के आंकड़े यहां मौजद नहीं हैं ।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस बारे में कोई कदम उठाया है कि भारत में उत्पादित चीज़ों का उचित मूल्य मिले ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : एक भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति है जो सरकार से इस सम्बन्ध में कदम उठाने के लिए विभिन्न सुझाव देगी कि इस उद्योग के संरक्षण के लिए क्या किया जाए और तदनुसार ही सरकार कार्यवाही करेगी । मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति ने ट्रावंकोर-कोचीन, मैसूर तथा बम्बई राज्यों में सुपारी नियंत्रण के लिए योजनायें स्वीकृत की हैं तथा ये योजनायें आगामी वर्ष के प्रारम्भ में शुरू की जाएंगी ।

श्री सी० आर० इय्युनी : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में आयात की जाने वाली सुपारियों पर कोई आयात शुल्क है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां, है ।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : क्या मैं जान सकता हूं कि आयात शुल्क में वृद्धि करने से वांछनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा.....?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि सुपारी के मूल्य में गिरावट आने का कारण विदेशों से इस का बड़ी मात्रा में आयात किया जाना था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमें कुछ समय से उत्पादकों तथा व्यापारियों के प्रतिनिधियों से प्रतिनिधान प्राप्त हो रहे हैं कि अनियंत्रित आयात के कारण सुपारी का मूल्य कम होता जा रहा है । हमें इस प्रकार के समाचार मिलते रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि इस आरोप में कोई सचाई है कि स्तर गिर गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारी सुपारी अत्यन्त बढ़िया किस्म की है जब कि लंका तथा सिंगापुर से आयात की जाने वाली सुपारी वनों की जंगली फसल की है ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को सुपारी उत्पादकों से कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है कि आयात की मात्रा में कमी की जाए ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां ।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार ने इन प्रतिनिधानों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अभी नहीं ।

श्री अच्युतन उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

मंगलोर का हवाई-अड्डा

*४६९. **श्री सी० आर० इयुन्नी** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मंगलोर में हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो मंगलोर के लिए हवाई सेवा कब तक प्राप्त हो सकेगी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क)और (ख). मंगलोर का हवाई-अड्डा पूरा होने वाला है और यह आशा है कि मंगलोर आने-जाने की हवाई सेवा इस कलैंडर वर्ष के अन्त तक प्रारम्भ हो जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या ४७० ।

सरदार हुक्म सिंह : इस के साथ साथ प्रश्न संख्या ४९० भी ले लिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री सोधिया यहां उपस्थित हैं ?

श्री के० सी० सोधिया : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के लिए इन दोनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर देना सुगम होगा ।

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) जी हां ।

मोटरगाड़ी करारोपण जांच समिति प्रतिवेदन

***४७०. श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि भारत सरकार द्वारा तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मोटरगाड़ी करारोपण जांच समिति की कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकृत तथा क्रियान्वित की गई हैं ?

(ख) महत्वपूर्ण सिफारिशों में से कौन सी सरकार के विचाराधीन हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मोटरगाड़ी करारोपण जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

मोटरगाड़ी करारोपण

***४९०. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने यातायात मंत्रणा परिषद् द्वारा सन् १९५१ में की गई मोटरगाड़ी करारोपण सम्बन्धी सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : माननीय सदस्य का ध्यान मेरे द्वारा दिए गए आज श्री एस० एन० दास के तारांकित प्रश्न संख्या ४७० के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस जांच समिति की सिफारिशों पर किसी भी समय यातायात मंत्रणा परिषद् द्वारा विचार किया गया था और यदि हां तो मंत्रणा परिषद् का क्या निर्णय था ?

श्री शाहनवाज खां : निर्णयों पर यातायात मंत्रणा परिषद् द्वारा विचार किया गया था और इस समय मामला टेक्नीकल समिति तथा राज्य सरकारों के बीच का है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि टेक्नीकल समिति की नियुक्ति कब हुई थी तथा उस से कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देने के लिए कहा गया था ?

श्री शाहनवाज खां : इस की नियुक्ति अगस्त, १९५२ में हुई थी तथा इसने अपना कार्य समप्त कर लिया है । प्रतिवेदन दिसम्बर तक तैयार हो जाएगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मंत्रणा परिषद् की सिफारिशों के अनुसार पेट्रोल पर बिक्री कर की कोई उपरिसीमा निर्धारित की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैं पहले बतला चुका हूं, अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि आजकल मोटरगाड़ियों पर चार्ज किए जाने वाले कोई अंतर्राज्यीय कर अथवा अन्य शुल्क हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी हां, हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि निर्देश के पद क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। प्रतीत होता है कि प्रश्न केवल प्रश्न दूछने के हेतु ही पूछा गया है।

श्री बी० पी० नायर : क्या सरकार द्वारा यह जांच की गई है कि बस मालिकों द्वारा कितने मामलों में चक्र आधार तथा बैठने की समाई आदि के सम्बन्ध में गलत सूचना देकर बसें पंजीकृत कराई गयीं ?

श्री शाहनवाज खां : यह जांच करना राज्य सरकारों का कार्य है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का विभिन्न राज्यों में गाड़ियों पर लगने वाले करों को एक युक्तियुक्त तथा एकरूप आधार देने का विचार है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इसी कार्य के लिए एक टकनीकल समिति नियुक्त की गई ह तथा यह समिति अनेक राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर चुकी है। यह आशा है कि शेष राज्यों के साथ वह दिसम्बर के अन्त तक विचार-विमर्श पूरा कर लेगी।

सरदार हुक्म सिंह : किन्तु यह सिफारिश मंत्रणा समिति ने, सन् १९५१ में की थी। निर्णय में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया था, मामले पर मंत्रणा समिति द्वारा विचार किया गया था। परिषद् जिन निदानों पर पहुंची थी उनका अनुसमर्थन करने के लिए इन सिफारिशों को पुनः विभिन्न राज्यों को निदिष्ट कर दिया गया। कुछ राज्य सरकारें उन से सहमत नहीं हुई तथा उनका अनुसमर्थन नहीं किया। और इसलिए इस टेकनीकल समिति को मामले पर अग्रतर विचार करने तथा अन्तिम निर्णय पर पहुंचन के लिय नियुक्त किया गया।

देहाती डाकघर

*४७१. **श्री बी० के० दास** : क्या **संचरण** मंत्री यहां बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) 'दो हजार की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक डाकघर' वाली योजना के अंतर्गत कितने डाकघर आत्म-निर्भर हैं ;

(ख) इन डाक घरों पर कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ग) ऐसे डाकघरों पर जो हितार्थियों पर बिना कोई दायित्व डाले चलाए गए इस वर्ष के प्रथम छः मासों में कितनी हानि हुई ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) ७,७९८।

(ख) कदाचित मादनीय सदस्य का आशय ऐसे डाकघरों से है जो कि आत्म निर्भर नहीं हैं। इस विषय पर सितम्बर, १९५२ तक ६७,४०,९१४ रु० की हानि हुई।

(ग) २०,१०,६३१ रुपये।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के अंतर्गत कुल कितने डाकघर स्थापित किए गए ?

श्री राज बहादुर : सितम्बर के अंत तक १७,८५०।

श्री बी० के० दास : योजना पूरी हो चुकी है अथवा काम अब भी जारी है ?

श्री राज बहादुर : अभी यह चल रहा है।

श्री बी० के० दास : अभी कितने डाकघर और स्थापित किए जाने शेष हैं ?

श्री राज बहादुर : ठीक ठीक आंकड़े देना सम्भव नहीं है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहती है ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं यह समझूं कि नवीनतम जनगणना के अनुसार दो हज़ार या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों में अब भी डाकघर खोले जाने शेष हैं ?

श्री राज बहादुर : जी हां ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि अप्रत्यावर्त्तनीय अंशदान योजना भी चल रही है ?

श्री राज बहादुर : जी हां ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : २००० या अधिक जनसंख्या वाले गांवों के डाकघरों में से कितने घाटे में चल रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : १०,०९२

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि ८,००० से कुछ ऊपर देहाती डाकघरों में कितने विभागीय पोस्ट मास्टर हैं और कितने गैर विभागीय पोस्ट मास्टर हैं ?

श्री राज बहादुर : अधिकतर गैर-विभागीय पोस्ट मास्टर हैं ।

सेठ अचल सिंह : इस स्कीम के अंदर उत्तर प्रदेश में कितने पोस्ट आफिस खोले गए ?

श्री राज बहादुर : उत्तर प्रदेश में दो हज़ार की आबादी वाले गांवों की संख्या जिनमें डाकखाने खोले गए हैं २,३७६ है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : और बिहार में ?

श्री राज बहादुर : बिहार में २१२६ ।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बी० के० दास : श्रीमान् क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अप्रत्यावर्त्तनीय अंशदान योजना के अंतर्गत सरकार को कोई हानि हुई ?

श्री राज बहादुर : सरकार ७५० रु० तक की हानि तो सहती है । उसके ऊपर हानि की दशा में यदि किसी ऐसे गांव के लोग जिसकी जनसंख्या २,००० से कम है इस प्रस्ताव के साथ आएं कि ७५० रु० से ऊपर जो हानि होगी उसे वे अंशदान द्वारा पूरा करेंगे तो सरकार वहां डाकघर खोल देती है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : श्रीमान् क्या इन डाकघरों के आत्म निर्भर हो जाने की आशा है और यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर : यह पूर्वोक्ति करना तो बड़ा कठिन है किन्तु हमें आशा है कि कुछ वर्षों के दौरान में वे आत्म-निर्भर हो जाएंगे ।

अंतड़ियों के रोग

*४७२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या इस सम्बन्ध में कोई आंकडे संकलित किए गए हैं कि भारत में प्रति वर्ष अंतडियों के रोगों से कितने व्यक्ति मरते हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : कुछ राज्यों में सन् १९४८, १९४९ तथा १९५० में आन्त्र ज्वर के कारण हुई मृत्युओं की अभिलिखित संख्या दर्शाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रखा जा रहा है [**दखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २**]

अन्य राज्यों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : होटलों में गन्दा खाना देने के कारण अंतड़ियों के रोग हो जाते हैं, इस सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई जांच कराई है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े चाहते हैं ?

श्री वी० पी० नायर : जी नहीं । मैं उन लोगों की संख्या जानना चाहता हूं जो विभिन्न रोगों से मरते हैं क्योंकि बिना रोग के मृत्यु नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष महोदय : तब आपको और आगे प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है । आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : एक मंत्री हैं और उपमंत्री हैं, फिर भी.....

अध्यक्ष महोदय : जो भी हो । माननीय सदस्य देखेंगे कि इसका प्रशासन पूर्णतया राज्यों के हाथ में है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं केवल अखिल भारतीय आंकड़े चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप आंकड़े पूछ सकते हैं, कारणों में नहीं जा सकते ।

श्री वी० पी० नायर : ये आंकड़े क्या केवल उन्हीं अंकों पर निर्भर हैं जो कि अस्पतालों से प्राप्त होते हैं अथवा अन्य प्रयत्नों से भी उन्हें जानने का प्रयास किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप ऐसा सुझाव दे रहे हैं जो उचित नहीं है । आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं ।

क्षय रोग

*४७३. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास भारत से क्षय रोग पूर्णतया उन्मूलित कर देने सम्बन्धी कोई कार्यक्रम है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकला है ?

(ग) वांछित परिणाम प्राप्त करने में यह कार्यक्रम कितना समय लेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) से (ग) . अभीष्ट परिणाम अभी तक कहीं भी प्राप्त नहीं किया जा सका है । क्षय का पूर्ण उन्मूलन अधिक प्रगतिशील देशों में भी सम्भव नहीं हो सका है जहां रुपए तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों के रूप में अधिक साधन मौजूद हैं । जो कुछ किया जा रहा है और किया जा सकता है वह यह है कि क्षय के आपात को यथासम्भव कम से कम कर दिया जाए । उपलब्ध साधनों द्वारा जो भी सम्भव है वह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें कर रही हैं ।

श्री वी० पी० नायर : सरकार द्वारा अब तक जो प्रयत्न किए गए हैं क्या उनसे क्षय का बढ़ा हुआ आपात रोकना सम्भव हो सका है ?

राजकुमारी अमृत कौर : श्रीमान्, यह इतना सामान्य प्रश्न है कि इसका उत्तर देना मेरे लिए कठिन है क्योंकि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । मुझे यह स्वीकार करना पड़ता है कि विभिन्न कारणों से क्षय के आपात में वृद्धि हो रही है ।

श्री वी० पी० नायर : उस दिन माननीय मंत्री जी ने कहा था कि देश में लगभग ५० लाख क्षय के रोगी हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि इस भयानक रोग से इन लोगों को मुक्त करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ?

राजकुमारी अमृत कौर : बहुत कुछ किया जा रहा है। निरोधक उपाय अधिकाधिक किए जा रहे हैं और योजना आयोग का प्रतिवेदन आने पर जब माननीय मंत्री जी उसे पढ़ेंगे तो उन्हें विदित होगा कि हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री वीरस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि लोगों का जीवन-माप बिना ऊंचा किए सरकार इस भयानक रोग को किसी सम्भव सीमा तक उन्मूलित करने की आशा रखती . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह सत्य है कि अनेक रिक्षा चलाने वाले बहुत थोड़े से समय में ही क्षय का शिकार हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें इस रोग का शिकार होने से बचने के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकारों का मामला है।

एयर इंडिया के कर्मचारी

*४७५. **श्री एन० श्री कान्तन नायर :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हाल में एयर इंडिया के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की गई थी तथा कितने मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ;

(ख) कितने बरखास्त कर दिए गए; और

(ग) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कारण ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कम्पनी द्वारा इक्कीस कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की गई थी तथा सभी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

(ख) दस।

(ग) (१) गलत हड़ताल में भाग लेना; (२) कर्मचारियों को गलत हड़ताल में भाग लेने के लिए उभाड़ना; (३) प्रदर्शन करना; और (४) बिना आज्ञा के कर्त्तव्य-स्थान से जाना।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को विदित है कि कर्मचारियों सम्बन्धी विवाद में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को यदायदा कर्मचारियों को उभाड़ना होगा . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। आप इस विशिष्ट कम्पनी तथा इस विशिष्ट हड़ताल के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकते हैं। हमें सामान्य चर्चा में नहीं जाना चाहिए।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता सकता हूं कि बरखास्त किए गए इन कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा या नहीं ? क्या उनसे कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ?

श्री राजबहादुर : कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है अथवा नहीं यह बात सम्बन्धित कम्पनी के प्रबन्धक बोर्ड को ही मालूम है।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए आक्षेप सच थे ?

श्री राज बहादुर : यह कम्पनी का अपना आन्तरिक मामला था।

श्री नम्बियार : यह ध्यान में रखते हुए कि अनेक व्यक्ति बरखास्त कर दिए गए

हैं, क्या सरकार उन्हें बहाल करने की जांच की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

श्री राज बहादुर : इसके लिए मेरा ऊपर वाला ही उत्तर है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या यह सच है कि केन्द्रीय श्रम मंत्री ने इस विवाद में मध्यस्थता करनी चाही थी किन्तु उन्हें ऐसा करने से रोका गया ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न श्रम मंत्री से पूछा जाना चाहिए ।

अन्तर्राष्ट्रीय अस्पताल संघ

*४७६. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय अस्पताल संघ का सदस्य है और यदि हां, तो कितने अरसे से ?

(ख) इस सदस्यता से क्या लाभ होते हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां, १९५१ से ।

(ख) संघ की सदस्यता से निम्नलिखित लाभ हैं :

(१) अस्पताल के प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभवों तथा विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिलता है; और

(२) अस्पताली समस्याओं का अध्ययन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समितियों में भारतीय विशेषज्ञों को कार्य करने का अवसर मिलता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि संघ द्वारा अस्पताली प्रमापों की कोई संहिता तैयार की गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी हाल में हुए सम्मेलन में अस्पताली प्रमापों की संहिता के एक मसविदे पर विचार किया गया था तथा किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमारे प्रतिनिधि के योरुप में रुक जाने के कारण वह इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सका ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन-कौन से देश इस संघ में सम्मिलित हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : माननीय मंत्री पूर्वसूचना दे दें, मैं बाद को उत्तर दे दूंगी ।

श्री गिडवानी : क्या इससे कुछ पदाधिकारियों तथा सदस्यों को योरुपीय देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है ?

अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग

*४७७. **श्री वैलायुधन** : क्या **सचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों के किराए में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायु मार्गों पर भी इस का प्रभाव पड़ा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां, कुछ भागों में ।

(ख) भारतीय हवाई कम्पनियों द्वारा कुछ भागों में चलायी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का किराया भी बढ़ गया है ।

श्री वैलायुधन : क्या विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों में इस किराए-वृद्धि सम्बन्धी कोई आपसी समझौता है ?

श्री राज बहादुर : इस पर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है ।

श्री वेलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बोर्ड के निर्णय के आधार पर भारत में हवाई किराए में कितनी वृद्धि हुई है ? यह वृद्धि कितने प्रतिशत है ?

श्री राज बहादुर : प्रतिशत का आगणन करना तो कठिन है। किराए में जो परिवर्तन हुए हैं उसका एक विवरण मेरे पास मौजूद है और यदि माननीय सदस्य कोई मार्ग विशेष निर्दिष्ट करें तो मैं उन्हें उसका किराया बतला सकता हूं।

श्री के० के० बसु : हवाई मार्गों के इस किराए की वृद्धि में क्या सरकार का भी कुछ दखल है ?

श्री राज बहादुर : वायु यातायात अनुज्ञप्तिक बोर्ड के नाम से एक निकाय है जो किराया-वृद्धि पर विचार करती है और सरकार का इसमें प्रतिनिधित्व रहता है।

श्री श्रीकान्तन नायर : दिल्ली से एरनाकुलम तक के किराए में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री बी० एस० मूर्त्ति : इस बोर्ड द्वारा किराए में वृद्धि करते समय किन पहलुओं पर विचार किया जाता है ?

श्री राज बहादुर : मुख्य बातें हैं : कार्यकरण की लागत, मार्ग की विशेषताएं, किस प्रकार का विमान प्रयुक्त किया जाता है, उसकी चाल तथा समाई कितनी है, उसे कितने आराम की सुविधा प्राप्त है तथा अन्य आर्थिक एवम् प्रतियोगिता सम्बन्धी बातें।

प्रयोगात्मक फार्म

*४७९. **श्री चिनारिया** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कितनी प्रयोगात्मक फार्म हैं ?

(ख) क्या उनमें होने वाले **गवेषणा** तथा प्रयोग के समन्वय की कोई योजना है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) नौ गवेषणा प्रतिष्ठानों तथा पदार्थ समितियों के नियंत्रण में बाईस प्रयोगात्मक फार्म हैं। इसके अतिरिक्त पशु तथा डेरी गवेषणा प्रतिष्ठानों के अंतर्गत ढोरों के चारे के उत्पादन के लिये पांच फार्म हैं।

(ख) जी हां। गवेषणा योजनाओं का समन्वय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के गवेषणा बोर्ड द्वारा किया जाता है।

श्री चिनारिया : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्ष १९४६-४७ तथा १९५१-५२ के बीच खाद्यान्न उगाने के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई तथा खाद्यान्नों की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई और इसमें से कितनी वृद्धि इस गवेषणा के परिणामस्वरूप हुई ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस ब्यौरे के लिये यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न रखें तो अधिक अच्छा होगा।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारे मंत्री जी ने कल ही ये आंकड़े दिये हैं।

श्री चिनारिया : क्या मैं जान सकता हूं कि किस तिथि से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को युद्ध के पैमाने पर प्रारम्भ किया गया था तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को यह विचार आत्मसात् करने में कितना समय लगा कि कृषि सम्बन्धी सूचना का फैलाना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री जी यह सूचना दे सकते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी नहीं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उसका आधार इन फार्मों पर आने वाली उत्पादन लागत है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं इसके लिये पूर्वसूचना चाहता हूं ।

चौ० रणवीर सिंह : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इनमें से कितने फार्म आत्म-निर्भर हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): वे प्रयोगात्मक फार्म हैं तथा उनके आत्म-निर्भर होने की आशा नहीं की जाती ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : उन पर कुल कितना व्यय आता है ।

श्री किदवई : ये प्रयोगात्मक फार्म विभिन्न संस्थाओं से संलग्न हैं और यदि माननीय सदस्य उनमें से किसी के बारे में सूचना चाहें तो वह दी जा सकती है ।

श्री बी० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इन फार्मों में होने वाले प्रयोगों का हमारे देश की फसलों के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री किदवई : ऐसी आशा है ।

अकाल संहिता

*४८०. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १७ सितम्बर, १९५२ को खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य को कार्यान्वित करने के लिये कि देश में प्रचलित वर्तमान अकाल स्थिति के अनुसार अकाल संहिता में परिवर्तन किया जाना चाहिये, भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) अकाल संहिता में अंतिम रूप से संशोधन होने तक के काल के लिये क्या सरकार ने कोई संकटकालीन उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत आंकड़े संकलित किये हैं कि कितने व्यक्ति अकाल संहिता का लाभ पाने के पात्र हैं और यदि हां तो विस्तृत तथ्य क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग अकाल संहिता है तथा इन संहिताओं को संशोधित करना राज्यों का विषय है, केन्द्र का नहीं । डा० देशमुख द्वारा दिये गये वक्तव्य का प्रयोजन इन अकाल संहिताओं के संशोधन की आवश्यकता की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करना था ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार को राज्य सरकारों से कोई समाचार प्राप्त हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अकाल संहिता में संशोधन करने के लिये ? यह बिलकुल उनके ही अधिकार क्षेत्र की बात है । वे जैसा भी चाहें इसमें परिवर्तन कर सकती हैं ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या सरकार को विदित है कि पश्चिमी बंगाल के अनेक

भागों में लोग भुखमरी की सीमा तक पहुंच गए हैं तथा अकाल संहिता की कड़ाई के कारण न तो उन्हें मुफ्त सहायता मिल पा रही है और न वहां कोई आज-मायशी कार्य प्रारम्भ किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह पच्छिमी बंगाल विधान सभा का कार्य है ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार का भारत-पर्यन्त एक रूप संहिता रखने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : देश के प्रत्येक भाग की आवश्यकताएं अन्य भाग से भिन्न हैं ।

कटनी में रेल के वेगनों में से कोयले की चोरी

*४८१. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि मध्य रेलवेज पर कटनी स्टेशन पर रेलवे वेगनों में से कोयला चुरा लिया जाता है ?

(ख) यदि उपरियुक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो ये चोरियां कितने अरसे से हो रही हैं ?

(ग) इन चोरियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(घ) इन चोरियों में कितने लोग सम्मिलित हैं ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि कुछ लोगों के मकानों से आठ टन कोयला बरामद हुआ है ?

(च) क्या ये लोग किसी भी रूप में रेलवे से सम्बन्धित हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) यह तथ्य नहीं है कि कटनी में कोयले के वेगनों से कोयला चुरा लिया जाता है । किन्तु वहां पर पूर्व रेलवे की लोको शेड में कोयले की चोरी की घटनाएं हुई हैं ।

(ख) कोयले की चोरी अक्टूबर, १९५१ में पूर्णतया दृष्टि में आई ।

(ग) रेलवे पुलिस तथा वाच एण्ड वार्ड द्वारा अपने साथ गवाहों के रुप में कुछ रेलवे कर्मचारियों को लेकर बहुधा आकस्मिक धावे किये जाते हैं । पूर्वी रेलवे के कोयले के स्टाक की रखवाली करने के लिए वाच एण्ड वार्ड के दो व्यक्ति नियुक्त कर दिए गए हैं ।

(घ) ऐसा समझा जाता है कि इस चोरी में ६ या ७ व्यक्ति सम्मिलित हैं ।

(ङ) जिन व्यक्तियों पर शक था उनके घरों तथा गोदामों से ७ टन कोयला बरामद हुआ है ।

(च) ये शक किए जाने वाले व्यक्ति रेलवे से सम्बन्धित नहीं हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितना कोयला चुराया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : हमारे पास बिलकुल ठीक आंकड़े नहीं हैं ।

श्री आर० बी० शाह : क्या आमला जंकशन पर भी इस तरह की चोरी की रिपोर्ट मिली है ?

श्री शाहनवाज खां : मुझे इसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली ।

नीरा के गुड़ का उद्योग

*४८२. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नीरा से गुड़ बनाने के उद्योग पर कितनी राशी व्यय की गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): केन्द्रीय सरकार द्वारा सितम्बर, १९५२ तक किया गया व्यय इस प्रकार है :

(१) नीरा से गुड़ उत्पादन का विकास करने के लिये राज्य सरकारों को दी गई आर्थिक सहायता १५,३१,०४२ रु०

(२) केन्द्रीय नीरा गुड़ प्रशिक्षण स्कूल, कडुलोर २,२७,८३०रु०

योग १७,५८,९७२ रु०

श्री झूलन सिन्हा : यह व्यय करने में, क्या सरकार ने उस उद्योग की इस क्षमता पर भी विचार किया है कि इसे इतना विकसित कर लिया जाए कि यह गुड़ गन्ने के गुड़ का स्थान ले ले तथा गन्ना उगाने वाला क्षेत्र अन्य कामों में प्रयुक्त किया जाए ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां, सरकार ने इस व्यय की स्वीकृति, समस्त चीज़ पर जांच करने के पश्चात दी है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि सब से अधिक आर्थिक सहायता किस राज्य को दी गयी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं सभी आंकड़े देता हूं। १९५१-५२ के आंकड़े इस प्रकार हैं।

	रु०
उत्तर प्रदेश	२५,७५०
बम्बई	३८,३००
उड़ीसा	१६,८३०
कुर्ग	१५,०००
बिहार	२४,८३०
मद्रास	१,५४,७१६
राजस्थान	३१,१५६
पू० पंजाब	१२,७५०
मैसूर	कुछ नहीं
भोपाल	१२,०००
अंडमन तथा निकोबार द्वीप समूह	४,५००
अजमेर	२१,६००
हैदराबाद	२४,६६८
दिल्ली	६,०००
सौराष्ट्र	१४,७५०
पच्छिमी बंगाल	६९,०००
त्रिवांकुर-कोचीन	१४,२४५

मद्रास को सबसे अधिक मिला है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास सरकार ने नीरा के गुड़ के उत्पादन के लिए तथा आवश्यक लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई प्रयोगात्मक केन्द्र खोले हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मद्रास राज्य में एक प्रशिक्षण स्कूल है। यह कोडुलोर में है तथा इसकी व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या वहां कोई ऐसा स्थान है जो कि इस आर्थिक सहायता के पश्चात आत्म-निर्भर हो गया हो ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह व्यय कितने अरसे के दौरान में किया गया है और इस से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं क्या उन की जांच की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सन् १९४८ से यह व्यय प्रति वर्ष किया गया है।

एक माननीय सदस्य : परिणाम क्या रहे ?

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि नीरा के गुड़ को निर्यात करने के मार्ग में कोई बाधाएं हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न ।

नगरपालिका निर्वाचन (रेलवेमेन)

*४८३. **श्री नम्बियार :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अनेक रेलवे कर्मचारियों को, जो कि विभिन्न नगरपालिकाओं में मतदाता थे, हाल में मद्रास में हुए निर्वाचनों में अपना मत डालने के लिए जाने के लिए छुट्टी अथवा सुविधाएं नहीं दी गयीं ;

(ख) यदि ऐसा हैं, तो इसका कारण; और

(ग) क्या यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में रेल कर्मचारियों के श्रम संगठनों तथा जनता से सरकार को प्रतिनिधान भेजे गए हैं और यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) और (ख) । स्थानीय नगरपालिकाओं में निर्वाचनों में रेलवे कर्मचारियों के लिए छुट्टी घोषित करने अथवा उन्हें विशेष सुविधाएं देने की प्रथा नहीं रही है। किन्तु ६-१०-५२ को त्रिचनापल्ली नगरपालिका के चुनाव के दिन गोल्डन राक रेलवे वर्कशाप्स तथा उस से संलग्न डिपोओं के मतदाता कर्मचारियों को एक घंटे पूर्व जाने की अनुमति दे दी गई थी ।

(ग) मान्यता-प्राप्त रेलवे मजदूर संघों से कोई प्रतिनिधान नहीं प्राप्त हुआ था किन्तु अन्य सूत्रों से कुछ प्रतिनिधान प्राप्त हुए थे तथा उन पर समुचित विचार किया गया था ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि जब रेलवे कर्मचारियों को विधान-मण्डलों के निर्वाचनों में मतदान डालने के लिए जाने की अनुमति दे दी गई थी फिर नगरपालिका निर्वाचनों में उन्हें मतदान डालने जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई ?

श्री एल० बी० शास्त्री : छुट्टी की घोषणा करना राज्य सरकार पर है और जब राज्य सरकार ऐसा करती है तो रेलवे भी इस पर विचार करती हैं ।

श्री नम्बियार : इस तथ्य की दृष्टि में कि त्रिचिनापल्ली में वहां के जिलाधीश ने छुट्टी घोषित कर दी थी, क्या मैं जान सकता हूं कि रेलवे पदाधिकारियों ने रेल कर्मचारियों को छुट्टी देने से क्यों इंकार कर दिया ?

श्री एल० बी० शास्त्री : नगरपालिका चुनाव समस्त मद्रास राज्य में हुए थे और कहीं भी राज्य सरकार द्वारा छुट्टी घोषित नहीं की गई थी ।

श्री नम्बियार : क्या मै जान सकता हूं कि जब ज़िलाधीश ने छुट्टी घोषित कर दी थी तो रेलवे पदाधिकारियों ने क्यों ....

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया क्या माननीय सदस्य उस पर विचार करेंगे ? उन्होंने बतलाया कि मद्रास सरकार द्वारा कोई छुट्टी घोषित नहीं की गई थी । यह केवल स्थानीय छुट्टी ही रही होगी ।

श्री नम्बियार : तब क्या मैं जान सकता हूं कि स्थानीय छुट्टी रेलवे कर्मचारियों को भी क्यों नहीं दी गई जब

उसी ज़िले के अन्य कर्मचारियों को छुट्टी मिल गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप तर्क कर रहे हैं।

श्री नम्बियार : जी नहीं, मैं कारण जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बतलाया कि उन्हें एक घन्टे पहले छोड़ दिया गया था।

श्री नम्बियार : तब क्या मैं जान सकता हूं कि तीन बजे छुट्टी देने की जो प्रार्थना उन से प्राप्त हुई थी वह अस्वीकार कर दी गई थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमें इसका पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

गोंडिया में टेलीफोन एक्सचेन्ज

*४८४. **श्री जसानी** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मध्य प्रदेश के गोंडिया नगर में टेलीफोन एक्सचेन्ज लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या पग उठाए गए हैं और कब से कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी हां।

(ख) कार्य बहुत शीघ्र प्रारम्भ होगा। ऐक्सचेन्ज के मार्च, १९५३ तक खुल जाने की सम्भावना है।

श्री जसानी : क्या यह तथ्य है कि गोंडिया में टेलीफोन एक्सचेंज प्रतिस्थापित करने के कार्य में गत ६ या ८ मास से विलम्ब हो रहा है और यदि हां तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कार्य के कब तक समाप्त हो जाने की आशा है।

श्री राज बहादुर : इस काम के लिए इस वर्ष के आय-व्ययक में उपबन्ध किया गया है। एक्सचेन्ज के लिए उपकरण तथा सामान मुहय्या करने में समय लगता है। स्विच बोर्ड तैयार है। कार्य बहुत शीघ्र प्रारम्भ होगा।

श्री के० जी० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि तालुक हैंडक्वार्टर्स को टेलीफोन एक्सचेन्ज से सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री राज बहादुर : क्या उनका किसी विशिष्ट तालुक से तात्पर्य है अथवा वे समस्त प्रान्त की ओर निर्दिष्ट कर रहे हैं ?

श्री के० जी० देशमुख : मध्य प्रदेश के सभी तालुक हैडक्वार्टर्स।

श्री राज बहादुर : सब से पहले हमें तमाम ज़िला हैडक्वार्टर्स को सम्बन्द्ध करना है ; उसके बाद डिवीज़नल हैडक्वार्टर्स को और तत्पश्चात तालुक हैडक्वार्टर्स को।

कलकत्ता पत्तनों के आयुक्तों की बैठकें

*४८५. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि कलकत्ते के पत्तन आयुक्तों द्वारा की जाने वाली बैठकों की कार्यवाही अथवा वार्षिक आयव्ययक के आंकड़े प्रेस अथवा जन सामान्य के लिए निषिद्ध है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : जी नहीं। जब कि बैठक में आयुक्तों द्वारा वार्षिक बजट प्राक्कलनों को स्वीकृत कर लिया

जाता है उसके पश्चात् बजट के आंकड़े प्रेस को दे दिए जाते हैं। बैठक की कार्यवाही तभी तक गोपनीय रक्खी जाती है जब तक कि आयुक्तों द्वारा इस पर विचार-विमर्श करके इसे स्वीकृत न कर लिया जाए। एक निर्धारित शुल्क देने पर, सर्व साधारण आयुक्तों के कार्यालय में जाकर बैठकों में हुई चर्चा के अभिलेख देख सकते हैं। कार्यवाही का संक्षेप भी शासकीय गजट में प्रकाशित होता है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इस तथ्य की दृष्टि में कि कलकत्ता पत्तन के आयुक्त ८ करोड़ रु० की राशी प्रति वर्ष व्यवहृत करते हैं, क्या सरकार यह समझती है कि जन साधारण को इस बात की सुविधा दी जाए कि वे देखें कि आयुक्त वास्तव में किस प्रकार कार्य करते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जन साधारण को अब भी काफी अवसर इस बात का है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में लोक सेवा आयोग का कोई दखल नहीं है और क्या माननीय मंत्री यह भी बतलाएंगे कि.....

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य पत्तन के प्रशासन के प्रश्न में जा रहे हैं जो कि प्रस्तुत प्रश्न के क्षेत्र से परे है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : किन्तु श्रीमान्, यह बात जन साधारण को सुविधाएं न होने के कारण ही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति भली भांति समझ सकता हूं, किन्तु इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री आर० के० त्रिपाठी : क्या सरकार इस पत्तन प्रन्यास के प्रशासन में परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टतः माननीय मंत्री जी को जो कि इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इस का ज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न।

रेलवे लाइनें

*४८६. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रेलवे लाइनें वैयक्तिक हाथों में अभी शेष हैं सरकार का उन्हें अपने हाथ में लेने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : रेलवे लाइनें जो कि वैयक्तिक हाथों में हैं सरकार द्वारा, और कुछ मामलों में ज़िला बोर्डों द्वारा, विभिन्न तिथियों को, जो कि उनके सम्बन्धित संविदों में उपबन्धित हैं, खरीदी जा सकती हैं। जब कि अवसर आता है, तो प्रत्येक मामले पर सरकार उसके गुणावगुणों के अनुसार विचार करती है और यदि वह समझती है कि उसे खरीदना जन-हित के अनुकूल होगा तो उसे खरीद लेती है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या मैं यह समझूं कि फिलहाल सरकार का इरादा उन सब रेलवे लाइनों को अपने हाथ में लेने का नहीं है जो कि वैयक्तिक हाथों में हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : आगामी कुछ मासों में हम दो रेलवे लाइनों को ले रहे हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : जहां तक इन वैयक्तिक रेलों का सम्बन्ध है, क्या मैं जान सकता हूं कि पुनःवर्गीकरण प्रणाली पर इन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहण करने या न करने का क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जहां तक मुझे विदित है, पुनःवर्गीकरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि गत पांच वर्षों में इन रेलों को चलाने के पट्टे को कितनी बार बढ़ाया गया ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि वे रेलवे लाइनें जो सरकार द्वारा वैयक्तिक लोगों से अधिग्रहीत की गई हैं अभी पहले की तरह ही चल रही हैं अथवा उनमें कोई सुधार हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न के क्षेत्र से बहुत परे है ।

श्री आर० के० चौधरी : जी नहीं । मेरा तात्पर्य यह है कि जब तक उनमें कोई सुधार न हो, उन्हें सरकार द्वारा लिए जाने से क्या लाभ है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यदि अभी तक हमने नहीं किया है तो हम अब करेंगे ।

श्री ए० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार कलकत्ते के आसपास की प्राईवेट नगरान्त रेलों को अपने हाथ में लेने का विचार रखती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : बी० बी० लाइट रेलवे को लेने के सम्बन्ध में कुछ विचार किया गया था । बंगाल राज्य सरकार ने इस मामले को देखा तथा बंगाल के मुख्य मंत्री के अंतर्गत एक उच्च स्तर समिति की नियुक्ति की गई । इस समिति की सिफारशें यह थीं कि इन लाइनों के स्थान पर सड़कें बना दी जाएं । इसलिए रेलवे लाइन को अधिग्रहीत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वी० पी० नायर : इन रेलों की कुल वार्षिक आगम क्या है तथा उनकी सकल आय कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के लिए पूर्व-सूचना आवश्यक है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री जी को यह कहने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि माननीय सदस्य ऐसे ब्यौरे के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका उत्तर माननीय मंत्री तत्काल नहीं दे सकते । मैं यह चीज़ माननीय सदस्यों की दृष्टि में लाना चाहता हूं जिससे कि वे अनावश्यक प्रश्न पूछ कर सदन का समय न लें । इससे उन्हें अग्रेतर प्रश्नों को पूछने से भी वंचित होना पड़ेगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इन रेलों को क्षतिपूर्त्ति किस आधार पर दी जाती है-विनियोजन पर अथवा आय पर ?

श्री एल० बी० शास्त्री : दोनों पर ।

श्री केलप्पन : क्या सरकार की नीति इन उपयोगी सेवाओं को अर्जित करने की नहीं है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, सरकार की नीति इन उपयोगी सेवाओं को अर्जित करने की है और हम ऐसा कर रहे हैं ।

श्री एस० वी० राम स्वामी : कौन-कौन सी लाइनें हैं, उनकी मीलों में कुल लम्बाई कितनी है तथा उन्हें अर्जित करने में कुल कितनी लागत लगेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी बहुत अस्पष्ट तथा सामान्य प्रश्न है ।

चौधरी रणवीर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि निकट भविष्य में सरकार का एस० एस० लाइट रेलवे को अधिग्रहीत करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : में समझता हूं कि अब हम अगला प्रश्न लें ।

श्री ए० के० बसु : क्या हम जान सकते हैं कि इन प्राइवेट समवायों में से कितनों को सरकार आर्थिक सहायता देती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कई हैं, किन्तु उन्हें वास्तव में आर्थिक सहायता नहीं दी जाता वरन् हम उन्हें उनकी आय तथा पूंजी पर सरकार द्वारा प्रत्याभूत की गई ३॥ प्रतिशत ब्याज का अंतर देते हैं ।

आयातित गेंहूं का मूल्य

*४८७. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ में रूस से आयातित गेहूं की तुलना में अमरीका से आयातित गेहूं का लागत मूल्य कितना था ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : सोवियत रूस के साथ गेहूं का समझौता वस्तुओं के आदान प्रदान के आधार पर है । अभी तक दोनों ओर से वस्तुओं का प्रदाय पूरा नहीं हुआ है और इसलिए सोवियत रूस से आयातित गेहूं के मूल्य की गणना करना कठिन है । इसके अतिरिक्त सरकार जन-हित में भी ऐसे खाद्यान्नों के आयातित मूल्य की घोषिणा करना वांच्छनीय नहीं समझती जिनके कि संविदे अभी चालू हैं क्योंकि इसे घोषित करने से अन्य देशों से उन्हीं प्रकार के खाद्यान्नों को खरीदने पर प्रतिकल प्रभाव पड़ सकता है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्य मैं जान सकता हूं कि आयातित मूल्य की गणना सरल गणित के हिसाब से क्यों नहीं की गई है ? हम जो कुछ रूस को भेजते हैं उनका प्रचलित मूल्य मालूम किया जा सकता है तथा इसी प्रकार आयातित चीज का भी मूल्य मालूम किया जा सकता है । अतएव जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है क्या मैं जान सकता हूं कि इस गणना में यह देश क्यों है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : संविदा अभी पूरी नहीं हुई है तथा पूरी चीज़ अभी हमें मिली नहीं है । कभी कभी मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है और यदि हमने गणना की भी हो, तो हम जन-हित में इसे घोषित नहीं कर सकते ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : फेडरेशन ओफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स द्वारा प्रकाशित पाक्षिक 'नोट्स एण्ड न्यूज' में मैं ने देखा कि बीस लाख टन अमरीकन आयातित गेहूं का मूल्य २२ रु० १ आना प्रति मन है । क्या सरकार उस प्रकार के प्रकाशन को देश आर्थिक हित के विरुद्ध समझती है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सरकारी प्रकाशन है ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : यह एक संघ का प्रकाशन है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी कुछ भी छाप सकता है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इसके अतिरिक्त यह वस्तुओं के आदान प्रदान के आधार पर नहीं था । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की सूचना सही नहीं है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न देशों से हम जो अनाज आयात करते हैं सरकार उसके सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े आगणित करके प्रकाशित क्यों नहीं करती जिससे कि देश यह निर्णय कर

सके कि हमें किन क्षेत्रों से अनाज का आयात करना है ?

श्री किदवई : कुछ चीजों के मूल्य के सम्बन्ध में कुछ विवाद था और मामले पर अभी रूस में विचार किया जा रहा है ।

बर्मा के साथ चावल समझौता

***४८८. श्री बालकृष्णन्** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है, कि बर्मा से किया गया एक चावल समझौता रद्द कर दिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बालकृष्णन् : क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह समझा जाए कि भारत सरकार तथा बर्मा सरकार के मध्य एक समझौता विद्यमान है और यदि हां तो क्या मैं समझौते की शर्तें जान सकता हूं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : समझौते के अनुसार बर्मा ने भारत को ३,५०,००० टन चावल प्रतिवर्ष प्रदान करने का वादा किया है ।

श्री बालकृष्णन् : क्या मैं जान सकता हूं कि समस्त चावल बर्मा सरकार के द्वारा हो कर खरीदा जाता है अथवा कुछ भाग प्राइवेट व्यापारियों से हो कर भी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : समझौते के अनुसार, कुछ भाग सरकार-से-सरकार के सौदे पर आधारित है तथा कुछ भारत को निर्यात करने के लिए व्यापारियों को दिया जाएगा ।

श्री दाभी : क्या बर्मा सरकार समझौते की शर्तों के अनुसार ही काय कर रही है ?

श्री किदवई : जी हां । हम बर्मा सरकार के अनुग्रहीत हैं कि उसने हमें समझौते की में निर्धारित मात्रा से अधिक अन्न दिया ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इस समझौते में टूटा चावल भी सम्मिलित है ?

श्री किदवई : समझौता टूटा चावल नहीं है !

श्री बी० एस० मूर्ति : मेरा प्रश्न है कि क्या समझौते में टूटा चावल भी सम्मिलित किया गया था ?

वनस्पति में रंग

***४८९. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना ने वनस्पति में डालने का जो रंग निकाला है उसके प्रयोग के मार्ग में क्या बाधाएं हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना ने जिस रासायनिक रंग के सम्बन्ध में सुझाव दिया है उस पर अभी अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है, विशेषकर उस बात पर कि उसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा । किन्तु इस समय सरसों के तेल को मिला कर वनस्पति को रंग दिया जा रहा है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार वनस्पति में रंग मिलाने को वचनबद्ध है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कोई वचन नहीं दिया गया है ।

श्री दाभी : क्या यह सत्य है कि घी मिलावट समिति के अनुसार उस रंगीकरण को जन सामान्य के लिए बहुत उपयुक्त नहीं पाया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जी हां, ऐसा है ।

पंडित समिति का प्रतिवेदन

***४९१. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि जामनगर में एक गवेषणा केन्द्र खोलने के अतिरिक्त देशी दवा प्रणाली की

पंडित समिति की और किन किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): मुख्य सिफारिश स्वीकार कर लेने के बाद यह आशा की जाती है कि यह केन्द्र, जो कि विकसित किया जा रहा है, कुछ समय बाद उस बात पर प्रभाव डाल सकेगा कि अन्य सिफारिशों को किस तरह सर्वोत्तम रुप से लागू किया जा सकता है।

इन सिफारिशों को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की अगली बैठक में भी रक्खा जा रहा है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि राज्य सरकारें अपने यहां की आयुर्वेदिक संस्थाओं का स्तर कहां तक ऊंचा कर सकती हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अमेरिका से आयात किया गया गेहूं

***४७४. श्री मोहन राव :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अमरीका से ऋण समझौतों के अंतर्गत आयात हुए गेहूं पर अभी हाल में एक विशेषज्ञ मण्डली ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ?

(ख) यदि हां, तो ये विशेषज्ञ कौन कौन थे; उन्होंने क्या रायें व्यक्त कीं और क्या उनके प्रतिवेदन को सदन पटल पर रक्खा जाएगा ?

(ग) यदि उन्होंने गेहूं का कुछ भाग खराब पाया तो ऐसा गेहूं कितने प्रतिशत था ?

(घ) उस गेहूं के आयात के लिए कौन जिम्मेदार था ?

(ङ) जो गेहूं खराब पाया गया उसकी कुल मात्रा कितनी है ?

(च) ऐसे गेहूं को भारत में पुन. आयात किये जाने की सम्भावना को रोकने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

(छ) ऐसे गेहूं का क्या किया जाएगा ?

(ज) क्या इन विशेषज्ञों ने खाद्यान्नों के संग्रहण के बारे में भी अपनी राय व्यक्त की ती ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ज) तक। मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३**]

छपरा तथा प्लेजा घाट के बीच रेल

***४७८. श्री डी० एन० तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को उत्तर-पूर्व रेलवे पर छपरा तथा पलेज़ा घाट के बीच सीधी रेल सेवा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसी रेल थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री के संसद सचिव (श्री शाहनवाज खां) (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) पहली दिसम्बर १९५२ से छपरा तथा पलेज़ा घाट के मध्य दोनों ओर से तृतीय श्रेणी का एक सीधा डब्बा चलाया जाएगा।

भारतीय मलेरिया संस्था

***४९२. श्री बासप्पा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) भारतीय मलेरिया संस्था द्वारा गत दो वर्षों में क्या क्या मलेरिया-नाशक कार्यवाही की गई है और उनमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या भारतीय मलेरिया संस्था की कुछ शाखाएं देश विभिन्न भागों में खोलने का कोई विचार है और यदि हों तो कहां कहां ; और

(ग) क्या हाल में भारतीय मलेरिया संस्था द्वारा मलेरिया को रोकने के सम्बन्धी कोई प्रयोग किए गए हैं और यदि हां तो इसका परिणाम ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) भारतीय मलेरिया संस्था समस्त भारत से आए हुए मलेरिया कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करती है, राज्य सरकारों को मलेरिया रोकने के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देती है तथा मलेरिया की संस्थाओं पर गवेषणा करती है। मलेरिया-नाशक कार्यवाही दिल्ली राज्य में सीधे संचालक के नियंत्रण में की जाती है। कोयला खदान क्षेत्रों तथा कुर्ग राज्य में यह कार्यवाही उस के टेकनीकल नियंत्रण में की जाती है। यह कार्यवाही बहुत सफल रही है और कहीं तो इससे मलेरिया का आपात बिलकुल ही समाप्त सा होगया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) मलेरिया नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं पर गवेषणा करना इस संस्था का एक मुख्य काम है। संस्था में की गई गवेषणाओं से पता चलता ह की डी० डी० टी० , बी० एच० सी० सदृश कीट नाशकों तथा मलेरिया विरोधी अन्य रासायानिक दवाओ के प्रयोग से दश में मलेरिया का आपात इतना कम किया जा सकता है कि यहां हमारे सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में बाधक न हों।

बन्देल-बढ़ारवा लूप-लाइन

*४९३. **श्री टी० के० चौधरी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बन्देल-बढ़ारवा लूप लाइन को एक नए मार्ग द्वारा धुलियां गंगा रेलवे स्टेशन से बढ़ावा तक लेजाने की व्यवस्था पूरी हो चुकी है ?

(ख) क्या नए मार्ग की उपयुक्तता के सम्बन्ध में रेलवे और सिंचाई इंजीनियरों की राय ले ली गई है जिस से कि धुलियां-तिलडंगा क्षेत्र में गंगा नदी के भूमि-ह्रास के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा सुरक्षित हो सके ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में रेल पदाधिकारियों को पश्चिमी बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद के धूलियां-तिलडंगा क्षेत्र के निवासियों से कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) लाइन निकालने के लिए परिमाप किया गया था किन्तु इस लाइन को निकालने का अन्तिम निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि नदी भविष्य में क्या रुख अपनाती है।

(ख) जी हां, किन्तु किसी निश्चित निदान पर नहीं पहुंचा जा सका है, क्योंकि नदी का रुख अब भी अनिश्चित है।

(ग) निकट भूत में हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रतिनिधान नहीं आया था।

शांति सम्मेलनों में रेलवे कर्मचारियों का भाग लेना

*४९४. **श्री नम्बियार** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि पूर्व ई० आई० आर० रेलवे के उपमहाप्रबन्धक ने रेलवे कर्मचारियों के शान्ति सम्मेलनों अथवा इसी प्रकार की अन्य सभाओं में भाग लेने को निषिद्ध कर दिया है ?

(ख) क्या सरकार का इस रोक को वापस लेने का विचार है ?

(ग) इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा आयोजित की जाने वाली सभाओं के सम्बन्ध में भी क्या यह रोक लागू होती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेलवे कर्मचारियों से यह आशा की जाती है कि वे ऐसे संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों अथवा सभाओं में कोई भाग नहीं

लेंगे जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रचार करते है अथवा सरकार के विरुद्ध कार्यवाहियों में रत होते हैं। इस सामान्य सिद्धान्त का किसी भी राजनीतिक संगठन के विषय में अपवाद नहीं किया जाता।

खाद्य गवेषणा परिषद मैसूर

*४९५. **श्री एस० वी० रामस्वामी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मैसूर की खाद्य गवेषणा परिषद् पर अब तक कुल कितनी राशी व्यय की जा चुकी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मैसूर में भारत सरकार के तत्वावधान में कोई खाद्य गवेषणा परिषद् स्थापित नहीं की गई है।

कटिहार के निकट रेल दुर्घटना

*४९७. **श्री एस० एम० घोष:** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १३ अक्टूबर, १९५२ को लगभग १२ १।२ बजे रात को कटिहार जंकशन पर कोई रेल दुर्घटना हुई थी ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि दर्घटना रेलवे कर्मचारियों के लापरवाही से फ्लाई-शंटिंग करने से हुई थी जिसक परिणाम-स्वरूप कि गार्ड का डिब्बा तथा एक और डिब्बा कुछ खड़े हुए डिब्बों से जा टकराए जो कि मुसाफिरों से भरे थे ?

(ग) कितने लोगों को चोटें आई और इस दुर्घटना के फलस्वरूप क्या कोई मृत्यु भी हुई ?

(घ) क्या चोट लगने वालों को अथवा उनके रिश्तेदारों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है ?

(ङ) जो लोग इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे उनको किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) २४१ अप पैसेंजर गाड़ी का मुसाफिर व सामान ब्रेक डिब्बा जो अखीर में था, अपने बगल वाले डिब्ब को दूसरी लाइन पर छोड़ देने के पश्चात गाड़ी में शन्ट करके वापस लाया जा रहा था और इस शंटिंग के दौरान में पहले वाले डिब्बे की कपलिंग शंटिंग करने वाले इंजन से खिसक गई और उस प्रकार वह डिब्बा पीछे की ओर घूम पड़ा तथा खड़ी हुई गाड़ी से जा टकराया। अतएव यह लापरवाही से शंटिंग करने का मामला नहीं था।

(ग) २१ व्यक्तियों को मामूली चोटें आई। कोई मृत्यु नहीं हुई।

(घ) किसी भी घायल व्यक्ति से अभी तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) शंटिंग इंजन से डब्बे को कपिल द्वारा ठीक प्रकार से न मिला सकने के लिए शंटिंग पोर्टर जो कि शंटिंग कर रहा था उत्तरदाई ठहराया गया है। उसे अभियोग चलाने के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

चल-स्कन्ध (क्रय)

*४९८. **श्री सिंहासन सिंह :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि रेलवे वित्तीय मंतरणकार योरूप गए थे और उन्होंने वहां बारह करोड़ रुपए के रेल के इंजनों तथा डिब्बों के खरीदने के लिए विभिन्न योरूपीय कम्पनियों के साथ सौदे किए थे ?

(ख) क्या उपरोक्त समवायों में वह स्विस कम्पनी भी सम्मिलित है जिसके साथ १९४९ तथा १९५० में डिब्बों के सम्भरण के लिए हमारा सौदा हुआ था और जिसे आधी राशि अगाऊ देदी गई थी तथा जिसने उनमें से अभी तक केवल ग्यारह डिब्बे दिए हैं ?

(ग) चित्तरंजन कारखाने में कुल कितनी पूंजी लगी है और इस समय वहां कितने व्यक्ति कार्य कर रहे है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां, इंडिया स्टोर विभाग, लंदन के महाप्रबन्धक तथा अन्य टेकनीकल अधिकारियों के साथ वह चल-स्कन्ध का कुछ सामान क्रय करने के लिए गए थे टेकनीकल बातों पर समझौते के पश्चात इंडिया स्टोर विभाग, लंदन द्वारा आर्डर दिए जा रहे हैं। अभी पूरे आर्डर नहीं दिए गए हैं और इसलिए आर्डरों का मूल्य अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी नहीं। माननीय सदस्य को यह भी सूचित किया जाता है कि स्विटजरलैण्ड की उक्त फर्म से ११ नहीं २६ डिब्बे प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) (१) चित्तरंजन लोको वर्कशाप पर लगाई गई पूंजी १४.९३ करोड़ रु०

(२) कर्मचारियो की संख्या ६,२२२ ।

मद्रास के लिये खाद्यान्न

*४९९. **श्री कक्कन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बम्बई में हुए खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात मद्रास सरकार को खाद्यान्न स सहायता देने के लिये क्या आवश्यक पग उठाए गए हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): बम्बई में कुछ राज्यों के खाद्य मंत्रियों के मध्य सामान्य खाद्य स्थिति तथा भविष्य-नीति पर चर्चा हुई थी । मद्रास तथा अन्य राज्यों को इस वर्ष अनाज पहले की योजना के अनूसार दिया जा रहा है । सन् १९५३ के सम्भरण के सम्बन्ध में अभी कोटा अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया है ।

कोलायात-जैसलमेर रेलवे लाइन

१५६ **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार कोलायात स्टेशन (बीकानेर डिवीजन) से जैसलमेर तक एक रेलवे लाइन बनाने का है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री **अलगेशन**) : सरकार इस समय इस लाइन का निर्माण करने के लिए कोई पग नहीं उठा रही है ।

नई रेलवे लाइनों का निर्माण

१५७. **डा० अमीन** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वासाद-कथाना तथा वमित्री-ढोलका-भावनगर की नई रेलवे लाइनों का निर्माण कब पूरा हो जाएगा

रेल तथा यातायात उप मंत्री(श्री अलगेशन): वासाद-कथाला रेलवे लाइन यातायात के लिए ३१ मार्च १९५३ को खुल जाने की आशा की जाती है । जहां तक विश्वमित्री ढोलका-भावनगर रेलवे लाइन का सम्बन्ध है, ऐसी कोई रेलवे लाइन निर्माणाधीन नही है ।

लाख और चपड़ा

१५८. श्री पी० सी० बोस : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में लाख और चमड़े का कुल कितना-कितना उत्पादन होता है ?

(ख) प्रति वर्ष इनकी कितनी-कितनी मात्रा निर्यात की जाती है और किन किन देशों को ?

(ग) इस समय इस उद्योग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को इस उद्योग से कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ग) (१) हानीकर सट्टेबाजी जिससे मूल्यों म बढ़ाव घटाव आता रहता है ।

(२) विदेशी चपड़े से प्रतियोगिता ।

(३) स्थानापन्नों तथा रासायनिक उत्पादनों से प्रतियोगिता ।

(४) चपड़ क निर्यात को मांग में कमी ।

(घ) जी हां ।

कृषिकीय न्यूनतम मजूरी जांच समिति प्रतिवेदन

१५९. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कृषकीय न्यूनतम मजूरी जांच समिति का प्रतिवेदन संभवतः कब तक सदन को उपलब्ध कराया जाएगा ;

(ख) क्या जांच पूरी हो चुकी है ;

(ग) क्या इस समिति ने कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; तथा

(घ) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (घ) । " कृषकीय न्यूनतम मजूरी जांच समिति " के नाम से भारत सरकार ने कोई समिति नियुक्त नहीं की है । किन्तु यदि कृषकीय श्रम जांच समिति के प्रतिवदन के सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता हो तो माननीय सदस्य का ध्यान ६ नवम्बर १९५२ को श्री एस० सी० सामन्त के तारांकित प्रश्न संख्या ७६ के भाग (क) और (ख) के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

पर्यटक

१६०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में अक्टूबर तक किस देश ने भारत में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक भेजे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : सन् १९५० में आए पर्यटकों के पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इन आंकड़ों के संकलन का प्रबन्ध १९५० में ही किया गया था । सबसे अधिक पर्यटक इंग्लैन्ड से आए : १९५१ में कुल २०,००० में से ५९८४ तथा सन् १९५२ के नौ मासों में कुल १६,२७८ में से ४३१३। अक्टूबर, १९५२ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

अंग्ल भारतीय स्कूल

१६१. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने आंग्ल-भारतीय रेलवे स्कूल चलाए जा रहे हैं और किन किन स्थानों में

(ख) क्या आंग्ल-भारतीयों के लिये पृथक स्कूलों की आवश्यकता अब भी विद्यामान है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अगेशन) : (क) भारतीय रेलवेज द्वारा

इस समय ६५ आंग्ल-भारतीय स्कूल चलाए जा रहे हैं। उनकी सूची नीचे दी जाती है :

क्रम संख्या	स्कूल का नाम	स्थान
	मध्य रेलवे	
(१)	प्राइमरी स्कूल	परेल
(२)	,,	कल्याण
(३)	,,	मनमाड
(४)	,,	भूसावल
(५)	,,	धोंद
(६)	,,	इटारसी
(७)	,,	अजनी
(८)	,,	बीना
(९)	मिडिल स्कूल	लल्लागुडा
(१०)	,,	काजीपट
(११)	,,	दोरनाँकल
(१२)	,,	पुरना
	पूर्व रेलवे	
(१३)	प्राइमरी स्कूल	लिल्लुआ
(१४)	,,	कंचरापारा
(१५)	,,	औंडल
(१६)	,,	आसनसोल
(१७)	,,	ज्मालपुर
(१८)	,,	मुगलसराय
(१९)	,,	गया
(२०)	,,	झांझा
(२१)	,,	गोमोह
(२२)	,,	माधूपुर
(२३)	,,	दीनापुर
(२४)	,,	धनबाद
(२५)	,,	बिलासपुर
(२६)	,,	चक्रधरपुर
(२७)	,,	डोंगरगढ़
(२८)	,,	खुदोरोड
(२९)	प्राइमरी स्कूल	नैनपुर
(३०)	,,	संत्रागाची
(३१)	मिडिल स्कूल	अदरा
(३२)	हिल ओकग्रोव बायज स्कूल	ओकग्रोव
(३३)	हिल ओकग्रोव गर्ल्स स्कूल	ओकग्रोव
(३४)	हिल ओकग्रोव जूनियर स्कूल	ओकग्रोव
(३५)	हाई स्कूल	खड़गपुर
	दक्षिण रेलवे	
(३६)	मिडिल स्कूल	गोल्डन रौक
(३७)	,,	बित्रगुंटा
(३८)	,,	पेरम्बूर
(३९)	,,	हेफील्डपेट
(४०)	,,	जलारपेट
(४१)	,,	राजामुन्द्री
(४२)	प्राइमरी स्कूल	हबली
(४३)	,,	गूटी
(४४)	,,	ऐरोड
(४५)	,,	विल्लूपुरम
(४६)	,,	गुंटाकल
(४७)	,,	मदुरा
(४८)	,,	पोदानूर
(४९)	,,	गडाग
(५०)	,,	केस्टररोक
(५१)	,,	मीराज
(५२)	,,	पकाला
	पच्छिम रेलवे	
(५३)	प्राइमरी स्कूल	आबूरोड
(५४)	,,	बांदीकुई
(५५)	,,	रतलाम
(५६)	,,	अजमेर
(५७)	,,	गंगापुर
(५८)	,,	फुलेरा
(५९)	,,	बुलसार
(६०)	,,	दोहाद

(६१) प्राइमरी स्कूल नीमच

उत्तर रेलवे

(६२) प्राइमरी स्कूल टुन्डला
(६३) ,, मुरादाबाद
(६४) ,, रेवाड़ी

उत्तर पच्छिम रेलवें

(६५) प्राइमरी स्कूल, गोरखपुर

(ख) जी हां, संविधान की धारा ३३७ के उपबन्धों के अंतर्गत इसकी आवश्यकता अब भी है ।

निरोधा केन्द्र

१६२. श्री एस० सी० सामन्त : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आयात किये जाने वाले माल में विदेशों से चले आने वाले पौधा-नाशक कीटों की जांच करने तथा उन्हें मारने के लिये भारत में कितने निरोधा केन्द्र हैं ?

(ख) निकट भविष्य में भारत में कहां और कितने निरोधा केन्द्र खोले जाने वाले हैं ?

(ग) 'वेकुअम फूमीगेशन' के अतिरिक्त और कौन सी अन्य क्रियाएं इन विदेशी पौधा-नाशक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिये प्रयुक्त की जाती हैं ?

(घ) कौन कौन सी आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की जांच तथा उक्त चिकित्सा की जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) बम्बई में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित पूरी तरह से सज्जित एक निरोधा केन्द्र है । मद्रास में केन्द्रीय सरकार ने अमरीकी कपास के 'फूमीगेशन' के लिये एक निरोधा व फूमीगेशन केन्द्र स्थापित किया है ।

तूतीकोरन, नेगापट्म, विशाखापट्नम तथा कोचीन के बंदरगाहों द्वारा आयात किये जाने वाले पौधों का 'फूमीगेशन' कृषि विभाग मद्रास द्वारा किया जाता है । कलकत्ता बंदरगाह से आयात किये जाने वाले माल का जांच तथा 'फूमीगेशन' का प्रबन्ध पच्छिमी बंगाल सरकार द्वारा किया जाता है ।

(ख) वित्तीय कठिनाई के दूर होते ही निकट भविष्य में कलकत्ते में एक पूर्णतया सुसज्जित निरोधा केन्द्र स्थापित किया जायेगा तथा मद्रास बंदरगाह को भी वर्तमान 'फूमीगेशन' सुविधाएं प्राप्त कराई जायेंगी ।

(ग) 'वेकुअम फूमीगेशन' के अतिरिक्त नाशक-कीटाणुओं को मारने की क्रियाएं हैं : (१) गरम पानी द्वारा (२) प्रशीतीकरण द्वारा (३) तेल में डुबाकर (४) अत्याधिक गर्मी पहुंचा कर ।

(घ) आयातित पौधे, अमरीकी कपास, अनिर्मित तम्बाकू, बिनौले इत्यादि की जांच की जाती है तथा विदेशी कीटाणुओं के विरुद्ध उनकी चिकित्सा की जाती है ।

जिन देशों को पौधे अथवा बीज निर्यात किये जाते हैं, जहां की सरकारें यह अपेक्षा करती हैं कि उन के साथ कीटाणु व रोग मुक्तता का प्रमाणपत्र हो, उनकी जांच की जाती है तथा उनकी स्वस्थता का प्रमाणपत्र दिया जाता है ?

टेलीफोन ओपरेटर

१६३. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में विभिन्न एक्सचेंजों में इस समय कुल कितने टेलीफोन ओपरेटर कार्य कर रहे हैं (क्षेत्र-वार) ;

(ख) उन में से कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां ;

(ग) उन में से कितने प्रशिक्षित हैं;

(घ) भारत में प्रशिक्षण केन्द्र कितने हैं तथा वे कहां स्थापित हैं ; और

(ङ) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में कितने व्यक्तियों की समाई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ङ)। अपेक्षित सूचना देते हुए एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]**

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

१६४. श्री झूलन सिन्हा : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अभी हाल में एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् का निर्माण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् में कौन कौन लोग हैं, इसकी कितनी बैठकें हुई हैं और उनमें क्या क्या निर्णय हुए हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां ।

(ख) परिषद् के सभापति केन्द्र की स्वास्थ्य मंत्री हैं तथा सदस्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं । अभी तक परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई है ।

आयातित गेहूं तथा चावल के मूल्य

१६५. श्री दाभी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अप्रैल से आगस्त, १९५२ के मासों में आयात किये गये गेहूं तथा चावल का मूल्य (भाड़े सहित) ;

(ख) प्रत्येक राज्य में आयातित गेहूं तथा चावल का निर्गम मूल्य तथा देसी गेहूं और चावल का भी मूल्य ;

(ग) प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकारों के गेहूं तथा चावल का समाहार मूल्य ; और

(घ) चालू वर्ष में अभी हाल में जो राज्यों को आयातित खाद्यानों का कोटा बढ़ा दिया गया था उसके पहले तीन मासों में तथा बाद के तीन मासों में प्रत्येक राज्य में आयातित गेहूं और चावल की निकासी की मात्रा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९५२ में अप्रैल से अगस्त तक के मासों में आयातित गेहूं तथा चावल का भाड़े सहित कुल मूल्य ८३.४१ करोड़ रुपये आंका गया है। उक्त काल में आयात किये गये अन्य अन्नों के मूल्य का हिसाब अभी तैयार किया जा रहा है।

(ख) से (घ)। चार विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]**

सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण

१६६. श्री ए० एन० विद्यालंकार : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे भारत सरकार ने भारत में विभिन्न यातायात विकास योजनाओं को समन्वित करने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने काफी पहले ही राज्य सरकारों को शीघ्रता से सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण करने की सलाह दी थी जिससे कि भारत में विभिन्न यातायात सेवाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वित किया जा सके, और यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इस नीति का कहां तक प्रतिपालन किया है ?

(ग) प्रत्येक राज्य में सड़क यातायात कुल कितने कितने मील का है तथा उसमें से कितना कितना भाग राष्ट्रीयकृत है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारत में विभिन्न यातायात योजनाओं के समन्वय पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने निम्नलिखित निकायों की स्थापना की है :

निकाय का नाम	निर्माण	कार्य
(१) यातायात मंत्रणा परिषद्	केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मंत्री	एक समन्वित यातायात व्यवस्था की विकास सम्बन्धी नीति निकालने के लिये सिफारिश करना तथा उस नीति को क्रियान्वित करने के लिये उपयुक्त उपायों की सिफारिशें देना।
(२) केन्द्रीय यातायात बोर्ड	यातायात, रेल, राज्य, रक्षा, वित्त, वाणिज्य तथा उद्योग और संचरण मंत्रालयों के प्रतिनिधि। आवश्यकता पड़ने पर राज्य के प्रतिनिधियों को भी सहयुक्त कर लिया जायेगा।	समस्त प्रकार के यातायातों में अधिकतम समन्वय करने के हेतु रेल तथा सड़क यातायात विकास, नागरिक उड्डयन, आंतरिक जल यातायात, पत्तन विकास तथा तटीय नौवहन के क्षेत्रों में मुख्य यातायात समस्याओं तथा नीतियों पर विचार करना तथा निर्णय लेना। यातायात विकास का औद्योगिक तथा कृषिकीय विकास के साथ संतुलन सुनिश्चित करना।
(३) केन्द्रीय यातायात के बोर्ड की स्थायी समिति	यातायात मंत्रालय के सचिव के सभापतित्व के अन्तर्गत भारतसरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि	केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा मूलभूत उद्योगों की आवश्यकताओं का पुनर्विलोकन तथा किस सीमा तक रेलों तथा तटीय नौवहन द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
(४) राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड	यातायात मंत्री के सभापतित्व में भारत सरकार तथा समुद्र किनारे के राज्यों के प्रतिनिधि मुख्य पत्तन पदाधिकारी तथा उद्योग और व्यापार, नौपरिवहन, देशी नौकाचालन तथा उनका प्रतिनिधित्व करते हुए चार पदाधिधिकारी	बड़े और छोटे पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में मंत्रणा देना।
(५) गंगा-ब्रह्मपुत्र जल यातायात बोर्ड	यातायात मंत्रालय के सचिव के सभापतित्व के अन्तर्गत केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग तथा आसाम, पच्छिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों के प्रतिनिधि। आवश्यकता पड़ने पर स्टीमर कम्पनियों तथा कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को भी सहयुक्त कर लिया जायेगा।	गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली क जल यातायात के विकास के सम्बन्ध में भाग लेने वाली सरकारों के मध्य सहन्वय स्थापित करना।

(ख) प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नकारात्मक है । प्रश्न का द्वितीय भाग उठता नहीं ।

(ग) अपेक्षित सूचना देता हुआ एक विवरण संलग्न किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७**]

डाक सेवाएं (ऋण)

१६७. **सरदार हुक्म सिंह**: (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारी डाक, तार तथा रेडियो सेवा के नाम ३१ अक्तूबर, १९५२ को कुल कितना ऋण था ?

(ख) इसमें से कितना ऋण उत्पादक समझा जाता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ३१-३-१९५२ को इस विभाग की आस्तियों में कुल ५३.०६ करोड़ रुपया विनियोजित था (हिसाब वित्तीय वर्ष के आधार पर रखा जाता है, इसलिये ३१-१०-१९५२ तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) ।

(ख) ५३.२८ करोड़ रुपये ।

पच्छिम तथा उत्तर भारत से आसाम के लिये माल

१६८. श्री बेली **राम दास**: (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे पच्छिम तथा उत्तर भारत से आसाम को माल कलकत्ता बन्दरगाह होकर जाता है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि मनिहारीघाट व कलकत्ता होकर कठिहार से गोहाटी तक का रास्ता ५६० मील है तथा सिलीगुरी होकर यह रास्ता केवल ३९१ मील है ।

(ग) उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में क्या सरकार यह विचार रखती है कि रेलों द्वारा उत्तर तथा पच्छिम भारत से आसाम को जाने वाले माल को मनिहारीघाट तथा कलकत्ता होकर भेजने के बजाये सिलीगुरी हो कर भेजने की अनुमति दी जाये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) पच्छिम तथा उत्तर भारत से आसाम को जाने वाला माल आंशिक रूप से तो आसाम रेल लिंक द्वारा केवल रेल के मार्ग से जाता है और आंशिक रूप से कलकत्ते होकर रेल-व-नदी-मार्ग द्वारा ।

(ख) मनिहारीघाट और कलकत्ता हो कर कठिहार से गोहाटी तक का रेल-व-स्टीमर मार्ग का फासला १०७९ मील है तथा सिलीगुरी हो कर केवल रेल मार्ग का ३९१ मील है ।

(ग) आसाम को पच्छिम तथा उत्तर भारत से जाने वाला माल सिलीगुरी हो कर रेल मार्ग से ही जाता है। किन्तु आसाम रेल लिंक पर उपलब्ध स्थान के अनुसार ही इस यातयात के परिमाण को विनियमित करना पड़ता है ।

कृषकीय गवेशणा-शालाऐं

१६९. **श्री चिनारिया**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत चार वर्षों में केन्द्रीय सरकार की कृषिकीय गवेषणा-शालाओं तथा फार्मों में खाद्य सम्बन्धी क्या क्या गवेषणायें तथा प्रयोग किये गये हैं ?

(ख) "अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" में इन से क्या सहायता मिली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) और (ख)। केन्द्रीय सरकार के संचालन में खाद्यान्नों पर गवेषणाएं तथा प्रयोग भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, दिल्ली और उसके उप-केन्द्रों तथा केन्द्रीय चावल गवेषणा

संस्था, कटक में किये जाते हैं। संप्राप्त परिणामों को इन संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टों तथा भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की पत्रिकाओं; विवरणकाओं तथा विसप्तिओं द्वारा प्रचारित किया जाता है। गहन खेती योजनाओं के अंतर्गत, संप्राप्त परिणामों को इन संस्थाओं के आस पास के किसानों के खेतों म व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। गवेषणा तथा खोजों का एक संक्षिप्त विवरण साथ में संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८]**

इस्पात के बने रेल के डिब्बे

१७०. श्री एस० वी० रामस्वामी (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बंगलोर में अब तक पूर्णतया इस्पात के बने कितने रेल के डिब्बे निर्मित किये गये हैं ?

(ख) हिन्दुस्तान एयरक्रेप्ट की प्रति वर्ष कितने डिब्ब निर्मित करने की समाई है ?

(ग) ऐसे कितने डिब्बों की प्रति वर्ष (१) बड़ी लाइन और (२) छोटी लाइन की रेलों के लिये आवश्यकता है ?

(घ) प्रस्तावित पेरम्बुर फैक्टरी द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने पर क्या बंगलोर में डिब्बों का उत्पादन बन्द हो जायेगा ?

(ड़) क्या डिब्बों का प्रस्तावित स्विस डिज़ाइन बंगलोर के पूर्ण इस्पात के बने डिब्बों से अच्छा है और यदि हां तो किस बात में ?

(च) बंगलोर के डिब्बे की लागत क्या है तथा प्रस्तावित स्विस डिज़ाइन के डिब्बे की क्या लागत होगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ३१-१०-१९५२ तक ३०८ डिब्बे।

(ख) तृतीय श्रेणी के १२० डिब्बों का ढांचा।

(ग) आगामी दो वर्षों की तृतीय श्रेणी के डिब्बों की आवश्यकताएं इस प्रकार हैं :

बड़ी लाइन	८४३
छोटी लाइन	११२५

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां। दुर्घटना की दशा में इस में मुसाफिरों की अधिक सुरक्षा रहती है और इस का वज़न कम होने के कारण इस में कम लोहा तथा कम ईन्धन की आवश्यकता होती है जिससे यह अधिक मितव्ययी है।

(च) बंगलोर के डिब्बे की इस समय लागत लगभग १,३०,००० रु० बैठती है और आशा की जाती है कि भारत में पूर्ण उत्पादन प्रारम्भ होने पर इसी लागत में स्विस डिज़ाइन का डिब्बा उत्पादित किया जा सकेगा।

रेल कर्मचारियों में क्षय रोग

१७१. डा० रामा राव : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में रेल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) भारत सरकार के क्षय रोग मंत्रणादाता के अनुसार उन में से तथा उन के परिवारों में से कितने लोगों के क्षय के रोगी होने का प्राक्कलन किया गया है ?

(ग) रेल कर्मचारियों तथा उन के परिवारों के क्षय रोगियों के लिये कितनी चारपाइयों की आवश्यकता है ?

(घ) इस समय रेलवे विभाग द्वारा कितनी चारपाइयों का प्रबन्ध है ?

(ङ) क्या सरकार रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के क्षय-रोगियों के लिये कोई नया क्षय-चिकित्सालय खोलने का विचार कर रही है ?

(च) यदि हां, तो कहां और कब और यदि नहीं; तो क्यों नहीं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३१-३-१९५२ को भारतीय रेलों में कुल कर्मचारीवर्ग की संख्या ९,३१ ७१८ थी।

(ख) और (ग)। नौ लाख रेल कर्मचारियों की संख्या के आधार पर उन के परिवारों को मिला कर लगभग ३६ लाख व्यक्ति होते हैं। भारत सरकार के क्षय रोग मंत्रणादाता ने प्रक्कलित किया है कि लगभग १८,००० व्यक्तियों के क्षय रोग ग्रसित होने की संभावना है। जब कि इन में से कुछ का इलाज उनके घरों में ही हो सकता है, कुछ अनुपात के लिये अस्पताली चिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी। क्षय रोग मंत्रणादाता ने प्राक्कलित किया है कि इस वर्ग के लिये लगभग ३ या ४ हज़ार चारपाइयों की आवश्यकता पड़ेगी तथा यह सुझाव दिया है कि समस्त भारतीय रेलों के लिये आगामी ५ वर्ष में १००० चारपाइयों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा जाय। किन्तु रेलवे के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों ने बोर्ड को सूचित किया है कि पहले की रियासतों की रेलों को छोड़ कर, भारतीय रेलों को रेलवे क्षय-रोगीयों की अस्पताली चिकित्सा के लिये लगभग ६०० चारपाइयां आवश्यक होंगी।

(घ) देश के विभिन्न चिकित्सालयों में रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिये कुल ५७ चारपाइयां सुरक्षित कर ली गई हैं --११ का व्यय सीधा सरकार उठाती है और ४६ का रेलों के कर्मचारी लाभ कोष समितियों द्वारा वहन किया जाता है।

(ङ) और (च)। यह निर्णय किया गया है कि ३०० चारपाइयों का प्रबन्ध समुचित रूप से सज्जित क्षय-अस्पतालों में किया जाय जो कि पुनर्वर्गत रेलों को सेवा प्रदान करने के लिये उपयुक्त स्थानों पर निर्मित किये जायें। इन अस्पतालों की संख्या तथा उन्हें निर्मित करने के स्थान अभी विचाराधीन हैं।

कटनी रेलवे स्टेशन का विकास

१७२. श्री पटेरिया : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कटनी रेलवे स्टेशन के विकास की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) काम कब प्रारम्भ होगा और कितने समय में समाप्त होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग)। योजना को दो प्रक्रमों में बांटा गया है। प्रथम प्रक्रम का कार्य सन् १९५१ में ४१,००० रुपये की लागत पर पूरा हो चुका है और द्वितीय प्रक्रम को सन् १९५४-५५ के मुसाफिर सुविधा कार्यक्रम में सम्मिलित करने की योजना है जिसकी लागत अभी प्राक्कलित नहीं की गई है।

विघटित सैन्य कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र

१७३. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विघटित सैन्य कर्मचारियों (जो अब वयस्क असैनिक हैं) के लिये कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं और कहां कहां;

(ख) उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

(ग) इन केन्द्रों के खुलने के समय से अब तक, राज्यवार, कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये जा चुके हैं;

(घ) इस योजना के सम्बन्ध में कुल कितना वार्षिक व्यय होता है;

(ङ) क्या प्रशिक्षित व्यक्तियों को सरकारी विभागों अथवा प्राइवेट समवायों में नौकरी मिल गई है अथवा क्या वे अपना कारोबार चला रहे हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो रोज़गार से लगे हुए हैं और जो अभी बेकार हैं; और

(छ) प्रशिक्षण से पूर्व अथवा उसके बाद क्या प्रशिक्षार्थियों को ऋण दिया जाता है ?

श्रम मत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) से (ग) और (ङ) तथा (च)। माननीय सदस्य का ध्यान निम्नोक्त उत्तरों में से इस सम्बन्ध में दी जा चुकी सूचना की ओर आकर्षित किया जाता है:—

(१) श्री गुरुपादस्वामी द्वारा ६-११-५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३ [(क), (ङ) और (च) के लिये]

(२) श्री तुषार कान्ति चटर्जी द्वारा २९-७-५२ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ६०८ [(ख) के लिये]

(३) डा० एस० सत्यावादी द्वारा ४-६-५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ [भाग (ग) के लिये]

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ९**]

(छ) कोई ऋण नहीं दिया जाता किन्तु लघु पौरीय ऋण योजना के अंतर्गत ऋण देने वाले अधिकारियों से इन प्रशिक्षार्थियों का सम्पर्क कराने की व्यवस्था विद्यामान है ?

मैंगनीज की खानें

१७४. श्री संगण्णा : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा राज्य में कितनी मैंगनीज की खानें हैं;

(ख) प्रत्येक खान में कितने मज़दूर हैं ;

(ग) मज़दूरों की न्यूनतम वेतन दर क्या है ;

(घ) खानों पर मजदूरों को क्या क्या सुविधायें दी गई हैं; और

(ङ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है कि मजदूरों को मज़ूरी उचित प्रकार से दी जाये ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) (क) से (ङ)। सूचना संकलित की जा रही है तथा यथा समय सदन पटल पर रखी जाएगी।

फकीरग्राम रेलवे स्टेशन

१७५. अमजद अली : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम रेल लिंक के फकीरग्राम रेलवे स्टेशन पर क्या प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय हैं;

(ख) क्या इसी रेलवे स्टेशन से नई लिंक लाइन पुरानी से प्रारम्भ होती है ;

(ग) गोलपुर तथा फ़कीरग्राम के पश्चिम में स्थित स्टेशनों के प्रधान कार्यालय धुब्री से आने जाने वाले मुसाफिरों को क्या धुब्री पर आसाम लिंक लाइन की रेलों के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(घ) यदि ऊपरि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो मुसाफिरों की कठिनाई

दूर करने के लिये क्या सरकार प्रतीक्षालय की वांच्छनीयता पर विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, वहां एक उच्च श्रेणी का प्रतीक्षालय तथा एक तृतीय श्रेणी का प्रतीक्षालय है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) भाग (क) के उत्तर की दृष्टि में यह प्रश्न नहीं उठता ।

कपास

१७६. श्री के० जी० देशमुख : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में इस समय कितने एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है ?

(ख) कपास की कौन कौन सी किस्में वहां बोई गई हैं ?

(ग) क्या इन किस्मों को लम्बे रेशे की रूई में सम्मिलित किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९५०-५१ में केवल १३९ एकड़ पर ।

(ख) रुई की खेती के अन्तर्गत सिंचाई क्षेत्र बहुत कम है, सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सारभूत प्रदाय (अस्थाई अधिकार) अधिनियम

१७७. श्री एस० एन० दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सारभूत प्रदाय (अस्थाई अधिकार) अधिनियम, १९४६ के अंतर्गत राज्य सरकारों को जो अधिकार दिये गये थे वे सन् १९५२ में किस सीमा तक वापस ले लिये गये हैं;

(ख) कृषि पदार्थों के आवागमन पर अंतर्राज्यीय प्रतिबन्ध किस सीमा तक जारी रहने दिये गये हैं; और

(ग) क्या इन प्रतिबन्धों के कार्यकरण को पुनर्विलोकित किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दर्शाते हुए दो विवरण सदन पटल पर रक्खे जाते हैं **देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०**]

(ग) जी हां ।

बिहार के पीड़ित क्षेत्र

खाद्य-स्थिति

१७८. श्री एस० एन० दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार के उन क्षेत्रों में नवीनतम खाद्य स्थिति कैसी है जो कुछ समय पूर्व बाढ़ तथा मंदी से पीड़ित थे ;

(ख) खाद्य स्थिति में किस सीमा तक सुधार या खराबी आई है; और

(ग) क्या उन क्षेत्रों में धान के पौधों का रोपण अथवा पुनः रोपण किया गया है तथा

बिहार में धान की फसल कैसी होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) से (ख)। सूखे से राज्य में साधारणतः किसी बड़े क्षेत्र पर गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि पर्याप्त वर्षा हो गई थी, यद्यपि देर से हुई थी। नवीनतम समाचारों से पता चलता है कि हाथिया में अच्छी वर्षा हुई। बाढ़ से केवल चार ज़िलों में प्रभाव पड़ा। उन में से एक में बाढ़ समय पर चली गई और इसका फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। दूसरे में, प्रभावित क्षेत्र में से लगभग आधे में रोपण सम्भव हो सका और अच्छी फसल की आशा है। शेष दोनों ज़िलों में प्रभावित क्षेत्रों में कोई पुनः रोपण सम्भव नहीं हो सका।

भदई की फसल अच्छी थी और परिणामस्वरूप उन चार प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थिति पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा है। बिहार की वर्तमान खाद्य परिस्थिति संतोषजनक है।

बुधवार,
१९ नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18-3-92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, १९ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-४५ म० पू०

राष्ट्रमंडल आर्थिक सम्मेलन

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): कुछ मास पूर्व संयुक्त राजतंत्र ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने मुझे सूचना दी कि सर्वसम्बद्ध मामलों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्र मंडल के प्रधान मंत्रियों का एक सम्मेलन करने की प्रस्थापना है। यह सुझाव दिया गया था कि इस सम्मेलन को इस वर्ष नवम्बर में किया जाये और सयुक्त राजतंत्र के प्रधान मंत्री ने उसमें आलोच्य विषयों की महत्ता का संकेत किया और वे आतुर थे कि भारत की ओर से उस सम्मेलन में उसके प्रधान मंत्री प्रतिनिधित्व करें। मैंने इस सम्मेलन की महत्ता को समझा, परन्तु मेरे लिए इस समय भारत से जाना बहुत कठिन था जब कि संसद् का अधिवेशन हो रहा है और कई अन्य महत्त्वपूर्ण मामले हैं जिनसे यहां मेरी उपस्थिति अपेक्षित है। अतएव अपने उत्तर में मैंने लन्दन सम्मेलन में उपस्थित होने म अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। परन्तु मैंने यह भी लाख कि मुझे आशा है कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि उपस्थित होगा। अब यह निश्चय किया गया है कि हमारे वित्त मंत्री श्री चिंतामणि देशमुख, हमारे लन्दन उच्चायुक्त श्री बी० जी० खेर के साथ, सम्मेलन में हमारे प्रतिनिधि होंगे। उनकी सहायता के लिए रक्षित बंक के गवर्नर और उच्च पदाधिकारी भी होंगे।

सदन को स्मरण होगा कि राष्ट्रमंडलीय देशों के वित्त मंत्रियों का इस वर्ष के आरम्भ में एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन आपातिक उपायों पर विचार किया गया जो जुलाई १९५१ से स्टर्लिंग क्षेत्र के केन्द्रीय स्वर्ण तथा डालर निधियों में द्रुत पतन के कारण उस क्षेत्र के व्यापार तथा भुगतान के लिए उत्पन्न गम्भीर खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक थे। सम्मेलन की सिपारिश पर स्टर्लिंग क्षेत्र की सरकारों ने जो उपाय किये उनके फलस्वरूप स्टर्लिग क्षेत्र के केन्द्रीय स्वर्ण तथा डालर निधियों का पतन मार्च १९५२ से रुक गया है।

इस खतरे को पार करने के लिए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन ने अल्पकालिक तथा आपातित कार्यवाही की सिपारिश तो की ही थी, उसके अतिरिक्त सम्मेलन ने दीर्घकालिक नीतियों पर भी विचार किया था जो कि स्टर्लिग क्षेत्र अपना सकता है जिससे कि इस

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

प्रकार के संकट की पुनरावृत्ति न हो। यह विचार किया गया कि स्टर्लिग क्षेत्र की उत्पादन शक्ति का शीघ्र विकास होना चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहियें जिनसे वस्तुओं के मूल्यों में अकस्मात उतार-चढ़ाव न हो। इसके आगे सम्मेलन ने यह भी निश्चय किया कि स्टर्लिग क्षेत्र के देशों की आर्थिक नीतियों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि स्टर्लिग का विनिमय हो सके और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तरोत्तर कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाये जिसमें स्टर्लिग का विनिमय हो सके और यह स्थिति बनी रह सके। स्टर्लिग विश्वव्यापार के सारवान भाग के लिए भुगतान का एक अन्तर्राष्ट्रीय माध्यम है अतः बहुअंगी भुगतानों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए स्टर्लिग की विनिमय-क्षमता एक अत्यावश्यक वस्तु है।

अब जो राष्ट्रमंडलीय आर्थिक सम्मेलन होगा उसका प्रयोजन यह है कि दीर्घ कालिक समस्याओं पर अग्रेतर परामर्श किया जाये और यह देखा जाये कि क्या स्टर्लिग क्षेत्र के देशों के लिए उस दिशा में कोई पग उठाना संभव है।

यह सम्मेलन २७ नवम्बर को लन्दन में आरम्भ होगा। उसकी कार्यसूची निम्नलिखित है :

(१) हाल ही के वर्षों में आर्थिक विकास और भविष्य की संभावनाओं का सिंहावलोकन।

(२) वैदेशिक आर्थिक नीति के लक्ष्य

(३) इन लक्ष्यों के और उन्हें प्राप्त करने के साधनों के रूप :

(क) वित्तीय नीति;

(ख) आर्थिक विकास;

(ग) व्यापार नीति;

(घ) वस्तु नीति;

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं।

(४) अन्य देशों के साथ सहयोग।

(५) स्टर्लिग क्षेत्र के अल्पकालिक भुगतान-संतुलन की संभावनायें और १९५३ के लिए नीति।

वित्त मंत्री का विचार ब्रिटेन के लिए २३ नवम्बर १९५२ को रवाना होने का है।

श्री बी० दास (जाजपुर—क्योंझर) : मेरा सुझाव है कि सदन इस प्रश्न पर विचार करे कि भारत को राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में भाग लेना भी चाहिए या नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा निवेदन है, श्रीमान्, कि यह कुछ असाधारण सा सुझाव है। जब तक हम स्टर्लिग से संसक्त हैं तब तक तो वहां की घटनाओं से हमारा घनिष्ट सम्बन्ध है ही और ऐसे सम्मेलनों में भाग न लेना और हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाली बातों को होने देना अविवेक पूर्ण होगा। यह पृथक् बात है कि हम इससे मूलतः तथा आधारतः असम्बद्ध हो जायें या किसी अन्य व्यवस्था से सम्बंध जोड़ लें। परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक, मेरा निवेदन है, श्रीमान्, कि यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री एच० एन० मूखर्जी (कलकत्ता—उत्तरपूर्व) : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : किसी मंत्री के वक्तव्य पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। यदि हम सुझाव देने लगें तो मेरे विचार में यह तो बहस छिड़ जायेगी। इसकी अनुमति नहीं है। वे प्रधान मंत्री को सुझाव दे सकते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इस सदन में और देश में राष्ट्रमंडल के साथ हमारे वर्तमान आर्थिक सम्बन्ध के विषय में इस सदन में

और देश में गम्भीर गलतफहमियां प्रकट की जा चुकी हैं अतः हमें एक दिन अलग रख देना चाहिए जिस दिन वित्त मंत्री के जाने के प्रश्न पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो वही बात है ।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : देश में या सदन में कोई गम्भीर विचार अभिव्यक्त नहीं किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम विधायी कार्य को लेते हैं ।

चीनी (अस्थायी अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

> "कि चीनी पर अस्थायी कालावधि के लिये एक अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क आरोपित करने तथा संग्रह करने की व्यवस्था करने के विधेयक पर विचार प्रारम्भ किया जाये ।"

सदन इस बात को अभिज्ञात करेगा कि यह विधेयक छोटा और मधुर है । यह चीनी के समान ही निरापद है । मुझे आशा है कि सदन इस बात को समझता है कि यह वास्तव में कोई करारोपण नहीं है । इस प्रस्थापित अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का उद्देश्य केवल उस क्षति को पूरा करना है जो १९५१-५२ के नियंत्रित माल के कारखाना-निकासी मूल्य में कमी के कारण हुई है । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, सरकार ने इस माल के लिए कारखानों को नियंत्रित मूल्य देने की प्रत्याभूति दी थी । सच बात तो यह है कि यह आरोपण कोई कर नहीं है प्रत्युत चीनी के पुराने और चालू माल के मूल्यों की पुनर्व्यवस्था अर्थात् पुनः औसत बैठाना है ।

जिन परिस्थितियों में चीनी के मूल्यों में कमी हुई है वे ये हैं, प्रथमतः १९५१-५२ में फसल बहुत अच्छी हुई । इसके फलस्वरूप गुड़ के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई । गुड़ का भाव जो १९५०-५१ में १५ रुपये से बढ़कर २० रुपये मन हो गया और जनवरी १९५२ में औसतन १४ रुपये मन था, फरवरी में एकदम गिरा और मार्च १९५२ में लगभग ७ रुपये मन तक आया । परिणाम यह हुआ कि गुड़ निर्माण के स्थान पर बहुत सा गन्ना कारखानों में जाने लगा । बहुत से कारखाने अप्रेल के मध्य में बन्द होने की बजाय जून जुलाई तक चलते रहे और १५ लाख टन चीनी बनी जितनी पहले कभी नहीं बनी थी । १९५०-५१ की दो लाख टन चीनी बची थी उसे मिलाकर १७ लाख टन माल हो गया । खपत तो वर्ष में १२ लाख टन से अधिक होने की आशा नहीं है । इस प्रकार अक्तूबर के अन्त में पांच लाख टन नियंत्रित चीनी हमारे पास शेष थी ।

विगत ऋतु का काफी माल बचा है इस बात को देखते हुए इस समय के गुड़ के भावों और इस वर्ष की गन्ने की फसल और गन्ने के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों के भावों में गिरावट के रुख को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने निश्चय किया है कि वेक्यूम-पैन चीनी कारखाने १९५२-५३ की ऋतु में गन्ने का न्यूनतम भाव १।–) प्रति मन दे देंगे जबकि गत वर्ष वह १।।।) प्रति मन था ।

भारतीय शुल्क मंडली ने १९५० में अपने प्रतिवेदन में कहा था कि देश में गन्ना उत्पादन की लागत १। =)। प्रति मन होती है जिसमें परिवहन का मूल्य तथा उत्पादन के लिए दस प्रति शत लाभ भी सम्मिलित है। मंडली ने गुड़ के लाभ के आधार पर गन्ने का उचित भाव फैलाया था । उनका कहना था कि यदि गुड़ का औसत भाव १३ आने प्रति मन हो तो गन्ने का भाव कुल १।)।

[श्री त्यागी]

प्रति मन होना चाहिए । इन सभी बातों पर विचार करके मंडली ने यह विचार किया कि १९४९ में कारखानों को दिये जाने वाले गन्ने का उचित मूल्य १ रुपया ७ आने प्रति मन होना चाहिए । उनका यह भी ख़याल था कि विविध राज्य सरकारों ने जो गवेषणा तथा विकास कार्य हाथ में लिया है उसके फलस्वरूप १९५१-५२ में कदाचित गन्ने का भाव घटा कर १९५१-५२ में सवा रुपया और १९५४ में एक रुपया प्रति मन तक किया जा सकेगा । यह तो शुल्क मंडली की सिपारिश थी । फिर भला, गत दो वर्षों में गन्ने का भाव एक रुपया बारह आने प्रति मन क्यों रखा गया ? यह इसलिए किया गया कि गुड़ से प्रतियोगिता में गन्ना कारखानों में पहुंचता रहे । १९५०-५१ में और १९५१-५२ के एक भाग में गुड़ का भाव बहुत ऊंचा था । अतः चीनी के कारखानों को पर्याप्त गन्ना नहीं मिल पाता था, फलतः गुड़ के कारखानों से गन्ना चीनी कारखानों की ओर आकृष्ट करने के लिए गन्ने का भाव बढ़ाना पड़ा । अब गन्ने का भाव बहुत गिर गया है—एक रुपया बारह आने से १ ।) हो गया है, अतः उपभोक्ता यह भी आशा करेंगे कि चीनी का भाव भी गिरे । अब १९५०-५१ का अवशिष्ट माल समाप्त होने पर ही १९५२-५३ का माल खपत के लिए निकाला जा सकता है, अतः उपभोक्ताओं को कम भाव की चीनी अप्रैल १९५३ से पूर्व नहीं मिल सकती । इन परिस्थितियों में यह अनुभव किया गया कि अच्छा तो यह रहेगा कि अवशिष्ट माल का भाव भी घटा कर १९५२-५३ के प्रत्याशित भाव के बराबर कर दिया जाये और इससे जो क्षति हो उसे पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाये जो एक रुपया प्रति मन अर्थात् एक रुपया छः आने प्रति हन्ड्रेडवेट हो, जैसा कि इस विधेयक में है । अब यह प्रस्थापना है कि चीनी के कारखानों से निकासी के भावों को उत्तर भारत में २७ रुपये प्रति मन कर दिया जाये जबकि वह अब ३० रुपये ८ आने से ३४ रुपये १४ आने हैं और दक्षिण भारत में २८ रुपये मन कर दिया जाये जहां इस समय भाव २९।।।) और ३३) रुपये प्रति मन है । कमी करने में अन्तर इसलिए रखा गया है कि तीन चौथाई अवशिष्ट माल उत्तर भारत के कारखानों के पास है । भाड़े आदि की भी दक्षिण भारतीय कारखानों को सुविधा है और उन्हें कुछ अधिक भाव मिल जाता है । भाव में कुल मिलाकर औसतन ४) रुपये मन की कमी होगी और अवशिष्ट माल चार लाख टन है, अतः कुल हानि लगभग ४,३०,००,००० रुपये की होगी । इस सभी हानि को १९५२-५३ के उत्पादन से या शेष हो तो १९५३-५४ से उत्पादन से पूरा करने की आशा है । इस शल्क को दीर्घकाल के लिए चलाने का मेरा इरादा नहीं है । हो सकता है कि वर्तमान माल की हानि पूरी होने के पश्चात् मैं इस आय का एक अंश निर्यात होने वाली चीनी का भाव घटाने के लिए दे सकूं, ताकि हमारा माल अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में प्रतियोगिता कर सके । अतएव इस विधेयक का उद्देश्य साधारण है । यह उस हानि को पूरा करने के लिए है जो पहले बनी हुई चीनी को सस्ते भाव पर उपभोक्ता को देने के कारण होगी ।

१९५१-५२ की अवशिष्ट चीनी का भाव घटाने से यह महंगी चीनी शीघ्र ही बिक सकेगी और १९५२-५३ की सस्ती चीनी के भाव शीघ्रता तथा सरलता से आ सकेंगे । मैं इस विधेयक की सदन से सिपारिश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : मंत्रालय को बधाई देनी चाहिए

कि उन्होंने इस कठिन समस्या का हल निकाल लिया है परन्तु यह समस्या उन्हीं की पैदा की हुई थी। मंडी में नयी चीनी आने के पश्चात् पूरानी चीनी नहीं बिक सकती थी। अब तक सरकार ने चीनी जैसे महान् उद्योग पर यथोचित ध्यान नहीं दिया है। गत दस पन्द्रह वर्ष में आपातिक स्थिति के ठीक करने के लिए भाव तथा नीतियां बदली गईं परन्तु समूचे उद्योग की स्थिति पर विचार नहीं किया गया। इस उद्योग में केवल गन्ने के भाव का प्रश्न ही नहीं है, अपितु रेल द्वारा गन्ना भेजने का प्रश्न, कारखाने में गन्ना पहुंचाने का, प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन का आदि कई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं।

परन्तु सरकार ने अभी तो कठिन समस्या का हल ढूंढ निकाला है। परन्तु माननीय मंत्री इस उपकर का वितरण कैसे करेंगे जिससे कि १९५१-५२ में बनी चीनी का घाटा पूरा हो जाये। छः नवम्बर से जरा ही पहिले कुछ मिलों ने अपनी चीनी की निकासी के लिए आदेश मांगा था, और कुछ आदेश निकाल दिये गये थे परन्तु ७ नवम्बर को अकस्मात यह नया सुझाव रख दिया गया। अब मंत्रालय उन निकासी के आदेशों पर जोर दे रहा है, परन्तु मिलें उस माल को निकालना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें यह उपकर नहीं मिलेगा और उनकी चीनी बिक भी नहीं सकेगी। क्योंकि सभी प्रतीक्षा करेंगे कि कीमत कम होने वाली है। ऊंचे भाव पर अब कौन चीनी लेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : लोग नयी चीनी की प्रतीक्षा में चाय पीना नहीं छोड़ेंगे ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : चीनी मिलें चाय पीने वालों को चीनी नहीं बेचती। वे तो बड़े बड़े व्यापारियों को बेचती है जो कई टन खरीदते हैं। चाय पीने वाले तो बाद में छोटे दुकानदारों से खरीदते हैं। जैसा कि वे कहते हैं, अब भी मंडी में माल भरा है और कोई कमी नहीं है।

श्री किदवई : मंडी में उससे कम चीनी है जो एक मास में खपती है। इसलिए मैंने तीन मास की सूचना दी थी जिससे कि वे समय पर चीनी बेच सकें।

श्री श्यामनन्दन सहाय : सभी जानते हैं कि यदि भविष्य में किसी चीज के भाव गिरने की तनिक भी संभावना होती है तो वह चीज़ मंडी में नहीं बिक पाती। यह व्यापार वाणिज्य का सरल नियम है। इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। जिन लोगों ने ७ नवम्बर की अधिसूचना का पता न होनेके कारण निकासी की अनुज्ञा मांगी थी उन्हें माल उठाने के लिए सरकार वाध्य न करे। यही मेरा कहना है। यदि वे माल बेच सकें तो अच्छा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए।]

मेरी वित्त मंत्री तथा कृषि मंत्री से यह भी प्रार्थना है कि वे इस कर को उसी चीनी तक सीमित रखें जो १९५२-५३ में बने। एक बार कर लगाये बाद उसे हटाना कठिन होता है। सरकार को इस कारण सीमित तथा निर्बन्धित शक्तियां प्राप्त करनी चाहिये।

मैं इस विषय पर अधिक समय नहीं लेना चाहता परन्तु वित्त और कृषि मंत्रालय को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे चीनी उद्योग के प्रश्न पर ध्यान से विचार करें। बिहार में तो इस उद्योग की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। प्रत्येक कठिनाई के लिए मिल-स्वामी को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। सब चीनी मिलों को संभाल लीजिये और उनकी कठिनाइयों को देखिए। हमने अच्छा उद्योग स्थापित कर लिया है और अब तक हमें चीनी का निर्यात आरम्भ कर देना चाहिए

[श्री श्यामनन्दन सहाय]

था। अब हमारी राष्ट्रीय सरकार है अतः किसी को दोष देने से क्या लाभ है ? मिल स्वामी को या श्रमिक को या गन्ना उत्पादक को थोड़ा लाभ हो, इन बातों को अब त्यागना चाहिए। हमें उद्योग का सर्वोत्तम प्रयोग करके देश को लाभ पहुंचाना चाहिए और निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी चाहिए। मंत्री जी को मिल स्वामियों, श्रमिकों तथा गन्ना उत्पादकों तीनों पक्षों से मिलकर उनकी कठिनाइयों का पता लगाना चाहिए जिससे कि यह चीनी उद्योग ठीक चलता रहे और राष्ट्र भर की सेवा कर सके। किसी दल विशेष की नहीं।

माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि इस उपकर में से कुछ धन बचेगा तो उससे निर्यात में कुछ सहायता कर सकेंगे। यह निर्यात का प्रश्न बहुत समय से अधर में लटका हुआ है, अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उपकर से अब पुरानी नई चीनी के भाव समान हो जायेंगे और आपको पता लग सकता है कि निर्यात के लिए कितना माल बचेगा। हमें विदेशी मंडी में अपनी चीनी भेजकर देखना चाहिए कि वह कैसी चलती है। अभी हम विदेशी मंडी में प्रतियोगिता तो नहीं कर सकते।

श्री किदवई : क्यों ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : यह तो सरल बात है। चार वर्षों से हम विदेशों में अपना माल नहीं भेज सके हैं।

अभी हम प्रतियोगिता नहीं कर सकते परन्तु हम अपना माल धीरे धीरे विदेशों में भेज सकते अब स्वतन्त्र देश में सबका हित एक है। विदेशों में सरकारें सदा अपने देश के माल के लिए मंडियां प्राप्त करने का प्रयत्न करती रहती हैं। मंडियों के प्रश्न पर युद्ध तक हुए हैं। हमारी सरकार को विदेशों में चीनी बिकवाने के लिए इस उपकर में से कुछ अंश देना चाहिए।

अंत में मैं सरकार से फिर कहूंगा कि वह इस कर की कालावधि निश्चित कर दे जिससे कि यह कर १९५२-५३ में बने माल पर ही लगे।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : सरकार की सदा यह पद्धति रही है कि चाहे विगत वर्ष की चीनी सस्ती बनी हो या महंगी, सरकार उत्पादन कर लगाने की प्रस्थापना रख देती है। गत वर्षों में चीनी का भाव कम था तब सरकार ने कहा था "विगत वर्ष में चीनी सस्ती लागत पर बनी है, आगामी वर्ष में अधिक लागत पड़ेगी। फिर चीनी के कारखानों को ऊंचे भावों पर बेच कर लाभ क्यों कमाने दिया जाये ? अतः हम यह उत्पादन कर लगा देते हैं और उसी हद तक चीनी का भाव भी बढ़ा देते हैं।" ठीक है, जब आगामी वर्ष लागत बढ़ रही है तो कारखाने गत वर्ष की सस्ती चीनी पर अधिक लाभ क्यों लें। परन्तु यह भार उपभोक्ता पर क्यों पड़े ? गत वर्ष की सस्ती चीनी और अनुवर्ती वर्ष की महंगी चीनी के भावों को बराबर क्यों नहीं कर देते और सारी चीनी का एक भाव क्यों नहीं निश्चित कर देते, जिससे कि उपभोक्ता को जरा कम भाव पर चीनी मिल सके ?

इस बार तो प्रश्न दूसरा ही है, अर्थात् गत वर्ष की चीनी महंगी है और आगामी वर्ष उसकी लागत कम होगी। यहां भी हम उपभोक्ता पर ही भार डाल रहे हैं।

श्री किदवई : नहीं। हम विद्यमान माल का भाव घटा रहे हैं, अतः हम उपभोक्ता से नई ऋतु के लिए जो कुछ ले रहे हैं, वह उपभोक्ता को तत्काल वापिस दे रहे हैं।

श्री झुनझुनवाला : तो फिर ऐसा करने की क्या आवश्यकता है ? चीनी को खुले बाजार में बिकने दीजिए ।

श्री किदवई : मेरे खयाल में माननीय सदस्य को पता है कि सरकार ने चीनी पर नियंत्रण किया था और कारखानों से गत कुछ वर्षों के लिए करार किया था—मुझे बताया गया है कि विधि सम्बन्धी अवस्था यही है—कि राशन की दुकानों में बेचने के लिए उनसे इतनी चीनी एक निश्चित भाव पर ली जायेगी। अतः यदि सरकार उसे खुली मंडी में भिजवा दे तो उसके लिए सरकार को ३१) रुपये मन देना होगा । मैं अब उत्तर भारत के कारखानों के लिए भाव में ४) रुपये की और दक्षिण भारत के कारखानों के लिए २) रुपये की कमी करना चाहता हूं । आगामी वर्ष चीनी के कारखानों से कोई करार नहीं कर रहे हैं । कारखाने खुली मंडी में माल बेच सकते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे जिससे कि भाव कम हो जायेगा, परन्तु इस वर्ष, इस प्रत्याभूति के कारण या तो हमें यह हानि सरकार पर अर्थात् कर दाता पर डालनी होगी या उपभोक्ता से वसूल करनी होगी।

श्री झुनझुनवाला : यह तो मुझे पता है परन्तु विगत वर्षों में सरकार ने उपभोक्ता से कुछ वसूल किया था । अब वे उपभोक्ता को वही लौटाते क्यों नहीं ? मुझे इस शुल्क के आरोपण पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु देखिए सरकार सभी भार उपभोक्ता पर ही डालती है। न निर्माता अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व लेते हैं और न सरकार ही लेती है ।

सरकार इस चीनी उद्योग के प्रश्न पर ठीक नीति नहीं अपना रही है । गत २० वर्ष से चीनी उद्योग को संरक्षण प्राप्त है । उस दिन जब प्रशुल्क विधेयक पर वाद-विवाद हो रहा था तब निर्माताओं ने अधिकाधिक समय के लिए संरक्षण की मांग की थी और आपने ठीक ही उत्तर दिया था "पांच वर्ष नहीं तो क्या ५०० वर्ष ?"

चीनी के निर्माता इस उद्योग को ठीक ढंग पर नहीं ला सके हैं अतः उन्हें अधिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए । बीस वर्ष के संरक्षण के पश्चात् भी यह उद्योग अपने पैरों पर क्यों खड़ा नहीं हो सका है और विदेशी मंडी में प्रतियोगिता क्यों नहीं कर सकता है ?

अन्य उद्योगों में केवल एक ही पक्ष 'निर्माता' होता है, परन्तु चीनी उद्योग में तीन पक्ष हैं—सरकार, निर्माता तथा गन्ना उत्पादक । सरकार अधिकाधिक उपकर तथा उत्पादन-कर लगाना चाहती है, निर्माता अधिकाधिक निर्माण लागत मांगता है और गन्ना उत्पादक अधिकाधिक गन्ने का मूल्य मांगता है। तीनों इसी पर सहमत हो जाते हैं । प्रतिवर्ष चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए शिल्पिक मंगाये जाते हैं और गन्ना-विकास के लिए धन व्यय किया जाता है । क्या इस धन का सदुपयोग होता है ? १९५० से चीनी टेकनोलोजी के इंजीनियर का स्थान खाली पड़ा है ।

गन्ने के भावों का निश्चय भी रुक रुक कर किया जाता है । १९३९ या १९४० में १२ आने मन भाव नियत किया गया था । उस समय गन्ना-उत्पादन छः आने पर होता था। फिर चीनी का भाव ऊंचा था ही और उपकर बढ़ा दिया गया । इससे गन्ने की फसल अच्छी रही । फिर गन्ने का भाव १२ आने से घटा कर पौने पांच आने कर दिया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि किसान गन्ना नहीं बो सके । उसका परिणाम अभी तक चला और हमें चीनी का आयात करना पड़ा । इसी प्रकार सरकार इस उद्योग को नियंत्रित करती चली आ रही है ।

हमारे देश में गन्ने की प्रति एकड़ उपज विदेश की उपज के लगभग ही है । परन्तु

[श्री झुनझुनवाला]

भारत भर में ऐसा नहीं है । सरकार इस उद्योग का आधुनिकीकरण क्यों नहीं करती जिससे कि वह उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित हो जाये जहां गन्ने की उत्पादन लागत न्यनतम हो । दक्षिण भारत में गन्ने की प्रति एकड़ उपज अधिक है परन्तु उत्तर भारत में उत्पादन की लागत कम है और साथ ही साथ उत्पादन भी कम है । विशेषज्ञों का विचार है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भी दक्षिण के समान उपज बढ़ाई जा सकती है । सरकार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है, जो कि बहुत आवश्यक है । तभी यह उद्योग अखिल भारतीय आधार पर विकसित होकर विदेशी मंडियों में प्रतियोगिता कर सकेगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री श्यामनंदन सहाय ने कहा है कि सरकार को चीनी के निर्यात के प्रश्न पर विलम्ब नहीं करना चाहिए । पर सरकार को तो यही चिन्ता है कि कुछ निर्माता को दे, कुछ गन्ना-उत्पादक को दे और कुछ अपने लिए ले । जब तक आप सस्ती चीनी नहीं बनायेंगे तब तक निर्यात कैसे करेंगे ? निर्यात पर अर्थ सहायता कब तक देते रहेंगे ? यहां प्रतियोगात्मक भाव पर चीनी बन सकती है, परन्तु सरकार जैसे चल रही है वैसे नहीं ।

श्री किदवई : सरकार क्या कोई कारखाना चला रही है ?

श्री झुनझुनवाला : कारखाना तो नहीं चला रही, परन्तु वह उस पर नियंत्रण रख रही है । जब यह प्रश्न उठता है कि इसका कौन उत्तरदायी है तो कोई उत्तर नहीं देता । सरकार निर्माता को प्रत्याभूति दे रही है ।

श्री किदवई : उसे विनियंत्रित कर दिया गया है ।

श्री झुनझुनवाला : सरकार जब कारखाने पर नियंत्रण रखती है, तो मैं श्यामनंदन सहाय से पूछता हूं 'आप जिम्मेवार हैं या सरकार.....,

श्री श्यामनन्दन सहाय : मैं नहीं, श्री किदवई हैं ।

श्री झुनझुनवाला :... वे कहते हैं "मैं तो केवल कारखाना चलाता हूं । मैं क्या करूं जब तक सरकार मेरे कार्य की प्रत्येक अवस्था में हस्तक्षेप करती है ? मेरे काम कैसे चले ?" अतः ऐसी स्थिति आ गई है कि हम किसी भी पक्ष को दोष नहीं दे सकते ।

उस दिन सरदार लाल सिंह ने कहा था कि चीनी का भाव इतना गिर गया है कि गन्ना-उत्पादक को गन्ना उगाने में पड़ता नहीं खाता । पंजाब का मुझे पता नहीं, परन्तु सब स्थानों पर यह बात नहीं है । मैं अभी यही बताना चाह रहा था, श्रीमान्, कि एक कृषक की वकालत करता है, दूसरा निर्माता की और तीसरी सरकार तो शक्तिशाली है ही ।

श्री गाडगिल : उपभोक्ता को कोई नहीं पूछता ।

उपाध्यक्ष महोदय : खैर, चाहे यह उप-कर लगे या न लगे, गन्ने का भाव तो गिरेगा ही, क्योंकि सरकार ने ४॥ करोड़ रुपये देने का वचन दिया है ।

श्री झुनझुनवाला : पर यह तो निर्यात के लिए है । सरकार ने यह बेतुका उत्तरदायित्व ले लिया था कि वह इस चीनी को विशेष भाव पर बिकवायेगी । अब चार लाख टन चीनी अधिक बन गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि निर्यात-शुल्क लगा दिया जाये, जिससे कि देश में चीनी अधिक होने से उपभोक्ता को सस्ती मिले ?

श्री झुनझुनवाला : निर्यात शुल्क से निर्यात सर्वथा होगा ही नहीं और देश में वह चीनी दो वर्ष तक भी शायद न खपे ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : नई चीनी का निर्यात होगा, वह हमें सस्ती पड़ेगी ।

श्री झुनझुनवाला : सरकार को चाहिए था कि उपयुक्त कदम उठाती । यदि तीनों पक्ष साथ बैठ कर इस दृष्टि से विचार करते कि इस उद्योग को स्वावलम्बी बनाया जाये और ऐसे प्रकार से नियंत्रित किया जाये कि हम विदेशों की तुलना सस्ती चीनी बना सकें, तो मुझे विश्वास है, श्रीमान की इसमें सफलता मिल सकती थी ।

हमारे यहां आयोजित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है--कुछ की स्वामी सरकार है, कुछ का निर्माता । पता नहीं किसे उत्तरदायी ठहरायें ।

तीनों पक्ष मिल गये हैं । हम २५ वर्ष से इस उद्योग को संरक्षण दे रहे हैं, फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता । दोष है--सरकार का, निर्माता का और कृषक का । तीनों ने मिलकर उद्योग की यह दशा बना दी है कि हम विदेशों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इन विषयों पर बोलना चाहिए : एक, इसका उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? दो, इसका उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार को क्या लाभ प्रोद्भूत होगा ? तीन, इसका निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? और चार, देश में कितना माल फालतू बचेगा? और अंततः , इसका कृषक पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री तुलसी दास : (मेहसाना पश्चिम) मैंने एक संशोधन भेजा था, जिसे आपने नियम-विरुद्ध ठहरा दिया । उस संशोधन से मेरा उद्देश्य यह था कि यह विधेयक देश के हित में नहीं है । सन् १९३२ में प्रशुल्क मंडली ने इस उद्योग को संरक्षण देने का निश्चय किया जिसका उद्देश्य कृषक को लाभ पहुंचाना था । दो वर्ष में उद्योग में इतना विकास हुआ कि हमने आयात बन्द कर दिया ।

सरकार चार मास के लिए चार रुपये की रियायत दे रही है और वह पूरे वर्ष के माल से वसूल की जायेगी । इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है, वह तो उससे वापिस ले लिया जायेगा । चार मास के उत्पादन पर चार रुपये दिया जायेगा और समूचे वर्ष के उत्पादन से एक रुपये की दर पर वह राशि वसूल की जायेगी ।

गत वर्ष चीनी का उत्पादन चीनी उद्योग के इतिहास में सबसे अधिक था । क्यों ? उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों ने उद्योग को राजी कर लिया या मजबूर कर दिया कि वह उस सब गन्ने की चीनी बना दे जो गुड़ या खंडसरी बनाने के लिए काम नहीं आ सकता था । अतः यह उत्पादन में वृद्धि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के किसानों को हानि से बचाने के लिए की गई थी । (बाधा)

उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों ने उस अतिरिक्त गन्ने से जो कारखानों में खपा दो रुपये प्रति मन कमाया, क्योंकि गन्ने पर तीन आने मन का उप-कर था, जो चीनी पर २१ रुपये प्रति मन पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह गवेषणा कराने के लिए लगाया गया था ?

श्री तुलसीदास : मैं उसे बाद में लूंगा, श्रीमान् । परन्तु केन्द्रीय सरकार को इस अतिरिक्त उत्पादन पर २॥।) रुपये उत्पादन-शुल्क मिल गया । यह किसी को आशा नहीं थी कि गत वर्ष १२ लाख टन से अधिक उत्पादन होगा । तीन लाख टन पर केन्द्र और

[श्री तुलसीदास]

राज्य सरकारों को उत्पादन शुल्क मिल गया। यदि इस चीनी का निर्यात होता तो अधिसूचना के अनुसार २॥।) रुपये का उत्पादन-शुल्क लौटाना पड़ता। इसके अतिरिक्त गन्ना उप-कर का दो रुपया भी लौटाया जाता। चीनी का निर्यात होने पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अपना राजस्व छोड़ने के लिए तैयार हैं।

श्री किदवई : सभी राज्य सरकारें नहीं, केवल उत्तर प्रदेश सरकार जो सदा अत्यन्त उदार रही है।

श्री तुलसीदास : खैर, केन्द्रीय सरकार २॥।) रुपये लौटाने के लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश सरकार भी तैयार है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि चीनी का निर्यात दुर्लभ मुद्रा-क्षेत्रों को नहीं होता तो यह रियायत क्यों दी जाती है ?

श्री तुलसीदास : जब भी इन वस्तुओं, चीनी, वस्त्र आदि का निर्यात होता है तब उत्पादन-शुल्क लौटा दिये जाते हैं।

अब हम देश में चीनी चार रुपये सस्ती बेच कर उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। हम इस राशि को आगामी वर्ष के उत्पादन से वापस वसूल करना चाहते हैं। सरकार कहती है कि यदि हम निर्यात करें तो वे इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब प्रश्न यह है कि ४॥) या ४) रुपये की हानि होगी जो सरकार अब आगामी वर्ष के उत्पादन पर डालना चाहती है ? कई सदस्यों ने कहा है कि चीनी उद्योग की स्थिति डांवाडोल रही है। उत्पादन घटता बढ़ता रहा है, भाव भी चढ़ते गिरते रहे हैं, सदा जूआ सा रहा है।

श्री किदवई : सदा उद्योगपति ही लाभ उठाते हैं।

श्री तुलसीदास : नहीं, श्रीमान्। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। गन्ने का मूल्य ६० प्रतिशत, केन्द्र तथा राज्य सरकारों का उत्पादन शुल्क २० प्रतिशत; और.....

श्री किदवई : २० प्रतिशत ?

श्री तुलसीदास : हां, बीस प्रतिशत। १० प्रतिशत श्रम पर व्यय होता है, पांच प्रतिशत अन्य खर्चे हैं, और पांच प्रतिशत लाभ बचता है जिसमें वितरकों का कमीशन भी है। मैं उत्तर प्रदेश तथा बिहार की बात कह रहा हूं।

डा० राम सुभग सिंह : आंकड़े तो मैं देता हूं। एक मन चीनी पर गन्ना-उत्पादक को १७।) रुपये मिलते हैं जबकि चीनी ६५) रुपये मन है और उत्पादन-शुल्क २॥।) रुपये है और श्रम की लागत १० प्रतिशत है। अर्थात् गन्ना उत्पादक को ६० प्रतिशत कभी नहीं मिलता।

श्री तुलसीदास : १७॥) तो माननीय मंत्री ने गत वर्ष दिया था। कारखाने को तो १॥।) रुपये देने पड़ते हैं। तीन आने उप-कर और एक आना कमीशन है। इस प्रकार २० रुपये मन पड़ गया। यह ६६.६ प्रतिशत पड़ता है।

श्री किदवई : क्या कारखाने सदा पूरे दाम देते हैं ? कभी कभी वे आठ आने से अधिक नहीं देते।

श्री तुलसीदास : यह तो सरकार की कमजोरी है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस वर्ष चार लाख टन चीनी बची है। इस अधिक बचत का प्रभाव यह होगा कि आगामी वर्ष उत्पादन घट जायेगा। अंततोगत्वा देश में फिर चीनी की कमी पड़ जायेगी।

इस प्रकार अगले वर्ष चीनी का उत्पादन कम होगा और केन्द्रीय सरकार का उत्पादन शुल्क कम हो जायेगा। काले खाद्य सम्बन्धी

कम होगा और केन्द्रीय सरकार का उत्पादन शुल्क कम हो जायेगा। कल खाद्य सम्बन्धी वाद-विवाद के समय सरकार ने कहा था कि वह कुछ फालतू माल जमा रखना चाहती है। सरकार इस बढ़े हुए उत्पादन को फिर क्यों नहीं रख लेती।

श्री किदवई : तब भी भाव तो घटाना ही पड़ेगा।

श्री तुलसीदास : सरकार को चाहिए कि इस तीन लाख टन चीनी को अपने पास रखे और निर्यात न करे। कमी के समय यह काम आ सकती है। निर्यात करने से राजस्व की हानि होगी। सरकार को अब स्थिर नीति अपनानी चाहिए।

गन्ना उप-कर लगाया तो गया था गन्ने की क़िस्म सुधारने के लिए, और किसान को अधिक सुविधायें देने के लिए, परन्तु इस राशि का सदुपयोग नहीं हुआ है। इसे सरकारी राजस्व समझ लिया गया है। इसे विकास-कार्य में लगाना चाहिए या हटा देना चाहिए।

किसानों को प्रति एकड़ तीन सौ मन के स्थान पर चार साढ़े चार मन गन्ना पैदा करना चाहिए और अधिक बढ़िया क़िस्म का। इससे चीनी सस्ती बनेगी और किसान को भी लाभ होगा। उत्तर भारत में ९ प्रतिशत चीनी निकलती है। गत वर्ष तो ८.६ प्रतिशत ही निकली है। दक्षिण भारत में १२ प्रतिशत चीनी निकल आती है।

सरकार को बचा हुआ माल ले लेना चाहिए जिससे उद्योग पर से भार कम हो जाये और आगे कमी की आशंका न रहे। इसी प्रकार उद्योग उन्नति कर सकता है। सरकार को ऐसी स्थिर नीति अपनानी चाहिए।

तत्पश्चात्, सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिए ढाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के पश्चात ढाई बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

श्री गोपाल राव (गुडिवाडा) : उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के आरम्भ में कहा गया है कि गन्ने का मल्य १-१२-० रुपये से घटा कर १-५-० कर दिया गया है। इस प्रकार लगभग दो करोड़ गन्ना-उत्पादकों पर विश्वासघाती आक्रमण किया गया है। उन्हें गन्ना का मूल्य ४७-१०-० प्रति टन मिलता था अब उसे २५ प्रतिशत घटाकर ३५-११-० कर दिया गया है। अतः यह विधेयक साधारण नहीं है।

पर इसका लाभ उपभोक्ता को भी नहीं मिलेगा। सरकार अभी चीनी सस्ती नहीं कर रही है।

चीनी उद्योग सबसे बड़े उद्योग में दूसरे दर्जे पर है जिसमें लगभग ४० करोड़ रुपया लगा हुआ है। इसमें लगभग दो करोड़ रुपया लगा हुआ है, और पांच करोड एकड भूमि पर गन्ना बोया जाता है। अब सरकार गन्न का भाव गिरा कर गन्ने के कृषि-क्षेत्र को कम करना चाहती है।

हमारे यहां चीनी का उत्पादन तो १४ लाख टन है, परन्तु खपत क्या है ? केवल छः पौंड प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति ! ब्रिटेन में चीनी की खपत प्रति व्यक्ति ११२ पौंड प्रति वर्ष है। फिर भी सरकार कहती है कि उत्पादन अत्यधिक है।

यदि यह कर न लगाया जाये तो उपभोक्ता को ७ रुपये प्रति मन का लाभ हो सकता है। सरकार गन्ने का मूल्य तो घटाना चाहती है परन्तु उपभोक्ता को उसका लाभ नहीं देना चाहती।

योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि १९५५ तक देश में १७ लाख टन चीनी

[श्री गोपाल राव]

का उत्पादन होने लगेगा । परन्तु सरकार उत्पादन को निरुत्साहित कर रही है । अत: इस विधेयक का आधार ही गलत है ।

सरकार ने गन्ना-उत्पादकों पर पहला आघात तो तब किया जब कि कारखानों ने उन्हें गन्ने के दाम नहीं चुकाये और कहा कि "चीनी ले लो, रुपया नहीं है ।" अकेले उत्तर प्रदेश में ४।। करोड़ रुपये बाकी हैं, आंध्र में १।। लाख देना बाकी है । सरकार ने भी कहा कि "अक्टूबर तक पैसा दिया जाये " । भला बताइये आठ मास पश्चात् किसान को पैसा मिलें तो उसकी कितनी दुर्दशा होगी ?

अब गन्ने का मूल्य घटाया जा रहा है । इस विधेयक का आधार यही है । माननीय मंत्री ने कहा है कि बेचारे खारखानों को इस भाव पर कुछ नहीं बचता । परन्तु उन्होंने बहुत लाभ कमाया है । १९४७ तक भाव २०-१४-० था परन्तु वे चोरबाजारी में बेचकर मालामाल हो गये । नियंत्रण हटते ही १९४८ से भाव बढ़े, २०-१४-० से बढ़कर ३५-७-० हो गये । मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में के० सी० पी० लिमिटेड, वुय्यूर है, उनके हिसाब को देखने से पता लगता है कि १९५१-५२ में उन्हें २० लाख रुपये बचे । यह भी चार लाख रुपये मेनेजिंग डाइरेक्टर को देने के पश्चात् । १९४९ में उन्हें १२ लाख रुपये बचे थे और पूर्ववर्ती वर्ष में ७ लाख बचे थे । ऐसे ही अन्य कारखानों की दशा है ।

श्री सारंगधर दास : उस समवाय की पूंजी कितनी है ?

श्री गोपाल राव : वह बहुत बड़ा कारखाना है जिसमें १५०० टन गन्ना प्रति-दिन पेरा जा सकता है ।

सरकार चीनी का भाव गिराना चाहती है, परन्तु गन्ने का भाव गिराना उचित नहीं है, अन्य तरीके हो सकते हैं । प्रशुल्क मंडली के अनुसार ही मद्रास में गन्ने के उत्पादन पर १-९-० प्रति मन पड़ता है ।

श्री त्यागी : कुछ वर्ष पूर्व । उसमें परिवहन भार तथा लाभ दोनों शामिल हैं ।

श्री सारंगधर दास : अब तो भाव पहले से अधिक होना चाहिए ।

श्री गोपाल राव : सरकार ने चीनी कारखानों को प्रत्याभूति दे दी कि १९५१-५२ की चीनी का भाव ३०) रुपये से कम न होगा । परन्तु क्या गन्ना-उत्पादकों की दशा पर विचार करना सरकार का कर्तव्य नहीं है । किसानों ने ४७-१०-० के भाव के आधार पर रुपया उधार लिया । अब आप अचानक भाव घटाकर ३५) रुपये कर देते हैं, बेचारा किसान क्या करेगा ? लाखों किसानों की पीठ में यह छुरा भौंकना है ।

श्रमिकों की हालत भी अत्यन्त असन्तोष-जनक है । मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के एक कार-खाने में मेनेजिंग डायरेक्टर को ३,७३,००० रुपये प्रति वर्ष मिले, परन्तु हजार श्रमिकों को केवल २,४०,००० रुपये वार्षिक मिले ।

यह नीति गन्ना-उत्पादकों के या उप-भोक्ताओं के या उद्योग के विकास के हित में नहीं है । यह विधेयक तो गन्ना-उत्पादकों पर प्रहार है और इस लूट में सरकार तथा कारखानेदारों का दोनों का भाग है ।

अत: इस विधेयक का कोई नैतिक औचित्य नहीं है । मैं इस का प्रबल विरोध करता हूं ।

सरदार लाल सिंह : पहले म बताऊंगा कि पंजाब में गन्ना-उत्पादन लागत क्या है । भारतीय प्रशुल्क मंडली ने १-५-३ प्रति मन लागत फैलाई है, परन्तु सिंचित भूमि पर

ही लागत १५) रुपये एकड़ आती है। यह तो नहरी क्षेत्र की आबियाना भूमि की लागत है। एसी भूमि बहुत कम है। शेष भूमि पर कुएं की सिंचाई का व्यय सवा सौ डेढ़ सौ रुपये प्रति एकड़ आता है, अतः गन्ने की लागत १-५-३ से कहीं अधिक पड़ती है। प्रशुल्क मंडली ने सोचा था कि यह लागत अनुवर्ती वर्षों में कम हो जायेगी परन्तु यह देखना है कि क्या वह वास्तव में कम हुई या बढ़ी है। लागत में भू-लगान, सिंचन भार तथा श्रम-मजूरी आदि होते ह। देश के अधिकांश भागों में ये सभी मदें बढ़ गई हैं। और ट्रैक्टर, ट्यूब वैल, कृषि कलों के मूल्य भी बढ़े हैं। अतः लागत तो बढ़ी ही है, अतः उसे १-१२-० से घटा कर १-५-० करना अनचित है।

कुछ माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि अनाज की कृषि का स्थान गन्ना या कपास लेते जा रहे हैं। वास्तव में गन्ने का क्षेत्र केवल ४० लाख एकड़ है जब कि कुल कृषि-क्षेत्र ३५ करोड़ एकड़ है, अतः वह लगभग एक प्रतिशत ही है। कपास की हमें अत्यन्त आवश्यकता है, हम लगभग ६० या १०० करोड़ रुपये की कपास का आयात करते हैं। चीनी तो अनाज के समान स्वयं एक महत्वपूर्ण खाद्य-पदार्थ है। भारत में चीनी की खपत केवल आठ पौंड है और गुड़ की २० पौंड है, अर्थात् कुल खपत २८ पौंड है। हालैंड में १०८ पौंड, डेनमार्क में ११२ पौंड, और स्वीडन में ११६ पौंड तथा नारवे में ६२ पौंड खपत है। चीनी तो अन्य खाद्य-पदार्थों से सस्ती पड़ती है, उस में पोषण-तत्व बहुत है।

अतः चीनी द्वारा कम क्षेत्र में अधिक खाद्य होता है। उस का क्षेत्र बढ़ने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

एक सदस्य ने इस पर आपत्ति की थी कि अनाज के स्थान पर केला बोया जा रहा है। वास्तव में एक एकड़ में उत्पन्न केले में जितना खाद्य-तत्व है उतना अनाज में नहीं होता। केले से अधिक श्रमिकों को काम भी मिलता है।

गन्ना उत्पादक को ठीक लागत देना आवश्यक है जिस से कि उसे कुछ लाभ मिल सके, या उसे मांग तथा संभरण के नियम पर छोड़ दीजिये किसान को उचित मूल्य देने के विषय पर गोष्ठी भवन में दूसरी ओर के सदस्यों ने मेरा समर्थन किया था।

[**अध्यक्ष महोदय:** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

किसान हम से यही आशा करता है। उस की भी आकांक्षायें हैं, अभिलाषायें हैं, वह दूसरे के लिये अपना खून पसीना बहाने और दासता करने के लिये ही तो पैदा नहीं हुआ।

भारतीय किसान को पिछड़ा हुआ, अप्रगतिशील, और आदियुगीय कहा जाता है। हो सकता है ऐसा ही हो, पर वह परिस्थितियों का, सरकार के असहनशील रुख का शिकार है—पहले गोरी नौकरशाही का था, अब काली नौकरशाही का है। किसान चाहे कैसा ही हो, पर यह सरकार भी तो प्रगतिशील नहीं है। सरकार तो दो ही बातें जानती है (१) पैसा चाहिये तो कर लगाना और (२) उपभोक्ता शोर मचाये तो बेचारे किसान का गला घोटना। उसे पता नहीं है कि अधिक धन प्राप्त करने और खाद्य का मूल्य कम करने का अन्य वैज्ञानिक उपाय भी है—वह है अधिक कार्यकुशलता और दीर्घकालीन आयोजन। यदि धन का देश के लाभार्थ या उद्योग में सुधारार्थ प्रयोग किया जाये तो मुझे करारोपण पर आपत्ति नहीं है। यदि किसान का गला दबाये बगैर चीनी या खाद्य के भाव कम किये जा सकें तो उस पर भी मुझे आपत्ति नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं (१) कि यह अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क नितान्त आवश्यक नहीं है, (२) कि यदि यह शुल्क लगाना ही

[सरदार लाल सिंह]

है तो उसे उद्योग के लाभार्थ ही व्यय करना चाहिये, (३) फालतू चीनी को लाभप्रद रूप में कैसे खपाया जा सकता है, और (४) हम चीनी का मूल्य कैसे घटा सकते हैं ।

हमें यह भूल नहीं जाना चाहिये कि दो ही वर्ष पूर्व चीनी का कैसा अभाव था जिससे चोर-बाजारी और भ्रष्टाचार फैले, चीनी दवा के समान मिलती थी । हमें गन्ना-उत्पादकों का कृतार्थ होना चाहिये कि उन्होंने चीनी की कमी को दूर कर दिया । अब राष्ट्रीय सरकार को चाहिये कि उस मुर्गी को न मारे जो सोने के अण्डे देती है जिस से उसे उत्पादन शुल्कों तथा उपकरों के रूप में पन्द्रह बीस करोड़ रुपया मिला है, जिस ने चीनी का भाव छः आने पौंड करवा दिया है अब माननीय मंत्री ने गन्ने का भाव घटाना उचित समझा है यद्यपि भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने उस का विरोध किया है, तीन गन्ना उत्पादक क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब ने विपरीत राय दी है और राज्यों के कृषि विभागों का यह मत है कि १-५-० में पड़ता नहीं खाता । मंत्री जी कहते हैं लागत कम करनी ही है क्योंकि भारतीय प्रशुल्क मंडली ने कहा था कि १९५२ में लागत घट कर इतनी हो जायेगी । परन्तु वास्तव में वह घटी नहीं, वरन् बढ़ी है ।

दूसरी बात मंत्री जी ने गन्ने का भाव इस आधार पर फैलाया है किसान को गुड़ बनाने में कितनी बचत होगी । यह आधार गलत है । जब गुड़ के भाव ऊंचे थे तब किसान को गुड़ बनाने से रोका गया था जिस से कि चीनी का भाव विदेशों से प्रतियोगिता कर सके । ऐसा करने के लिये बेचारे किसान को ही क्यों मारते हो ?

वास्तव में गन्ने के भाव घटाने के दो कारण हैं (१) तीन लाख टन चीनी बच जाने से सरकार घबरा गई है और (२) इस वर्ष की फसल तैयार है, अतः किसान बेचारे को तो किसी न किसी भाव पर बेचनी ही होगी । उस की लाचारी से लाभ उठाया जा रहा है, बस ।

गत वर्ष फालतू उत्पादन के विशेष कारण थे, परन्तु प्रति वर्ष ऐसा नहीं होगा, अतः सरकार को तीन लाख टन चीनी की बचत से घबराना नहीं चाहिये था । दूसरी बात भविष्य में चीनी की खपत भी बढ़ जायेगी . . . . . .

श्री किदवई : हमें ऐसी आशा करनी चाहिये ।

सरदार लाल सिंह : . . . . क्योंकि मिठाई मुरब्बे आदि वालों का काम चीनी की मंहगाई से बन्द सा था, और भविष्य में इन चीज़ों की खपत बढ़ेगी ।

इस के अतिरिक्त सरकार को फालतू चीनी को काम में लेकर देश में खपत को स्थायी रूप से बढ़ाना चाहिये था, सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी को मारना नहीं चाहिये था । आस्ट्रेलिया ने मुरब्बे वालों को सस्ते भाव पर चीनी देकर वहां चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था । इस का परिणाम यह हुआ कि आस्ट्रेलिया की चीनी विश्व की मंडी में प्रतियोगिता के योग्य हो गई । इस के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया का मुरब्बा उद्योग बहुत विकसित हो गया । सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिये । भारत के फलों आम, अनानास आदि के मुरब्बे विख्यात-विख्यात हो सकते हैं, और देश में चीनी की खपत भी स्थायी रूप से बढ़ सकती है ।

सरकार को शेष चीनी का निर्यात भी करना चाहिये । चीनी मिलों को गत दो वर्ष के लाभ में से कुछ का त्याग करना चाहिये । सरकार को इस के लिये अर्थ-सहायता भी देनी चाहिये जैसा कि माननीय मंत्री ने सुझाव दिया था । भारतीय चीनी और विदेशी चीनी के भावों में पांच सात रुपये प्रति मन का ही

अन्तर है जो २० प्रतिशत बैठता है। यदि उत्पादन शुल्क तथा उपकर को निकाल दिया जाये तो यह अन्तर दो रुपये अर्थात् सात से दस प्रतिशत रह जाता है। तीन लाख टन चीनी को निकालने के लिये कुल सहायता दो करोड़ से अधिक की नहीं होगी, जो सरकार को दे देनी चाहिये। इस से हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। परन्तु फालतू चीनी के बहाने सरकार को कृषक का गला नहीं काटना चाहिये। किसान के साथ न्याय करना चीनी निर्यात के लिये भाव घटाने से अधिक महत्वपूर्ण है। निर्यात के लिये २० प्रतिशत का अन्तर सरकार को, मिलों को या जनता को पूरा करना चाहिये, सारा बोझ कृषक पर ही नहीं लादना चाहिये।

भारत में निर्माण-लागत चीनी के कुल मूल्यकी ३५ से ४० प्रतिशत पड़ती है जब कि गन्ना ३५ से ६० प्रतिशत पड़ता है। जावा, लूसिआना तथा हवाई द्वीपसमूह में गन्ना ८१ से ७० प्रतिशत तथा निर्माण की लागत १९ से ३० प्रतिशत होती है। अतः ऊपरी खर्च को घटानें की बहुत गुंजाइश है। यदि गन्ने का मूल्य केवल दो आने मन घटाया जाता तो भी सात प्रतिशत की कसर पूरी हो जाती और कृषक के लिये इतना त्याग पर्याप्त था। परन्तु गन्ने का भाव १।।।) से १।-) कर दिया गया अर्थात २५ प्रतिशत घटा दिया गया जिस का कृषकों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूं कि सभी फसलों के भाव उत्पादन की लागत तथा यथोचित लाभ के आधार पर निश्चित किये जाने चाहियें, ऐसा ऊट पटांग तरीका नहीं होना चाहिये कि उत्पादन बढ़ा तो लागत कम कर दी और उत्पादन घटा तो बढ़ा दी। यह आधारिक अर्थव्यवस्था नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं इस विधेयक का अपनी निर्बल आवाज में विरोध करने खड़ा हुआ हूं, प्रधानतः कृषक के हित में और गौणतः उपभोक्ता के हित में। मैं पूछता हूं कि गन्ने के भाव किन आंकड़ों के आधार पर घटाये गये हैं? श्री त्यागी ने कहा कि अब उत्पादन का व्यय कम हो गया है अतः कृषक १।-) पर गन्ना बेच कर भी कुछ बचा सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इसे सिद्ध करने के लिये आंकड़े दे खाद्य सम्बन्धी वाद-विवाद के समय श्री देशमुख ने तो मान लिया था कि कृषि-उत्पादों के सम्बन्ध में भारत में कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं। अब श्री त्यागी या किदवई के पास गन्ने सम्बन्धी आंकड़े हैं तो वे हमें बताते क्यों नहीं? बड़ा कृषक तो सैंकड़ों एकड़ में गन्ना बो कर सस्ते भाव में उत्पादन कर सकता है, परन्तु छोटा कृषक दो तीन एकड़ में बोता है, उस की लागत अधिक आती है। क्या उस के हितों का भी ध्यान रखा गया है? वह उधार ले कर बोता है उस की लागत अधिक पड़ती है, अंततोगत्वा उस की भूमि बिक जाती है।

गत दो दिनों में क्या हुआ? श्री देशमुख ने कुछ आंकड़े दिये, फिर श्री किदवई ने कहा कि वे पूर्णतया ठीक नहीं हैं। फिर श्री गाडगिल ने भारत सरकार के कुछ आंकड़े दिये और कहा 'ये रफी साहब के आंकड़े हैं।' कई मंत्री तो आंकड़ों की चिन्ता ही नहीं करते। अन्त में मैं श्री त्यागी से पूछता हूं कि वे गन्ने के भाव को कम क्यों कर रहे हैं जब कि १।।।) में भी पड़ता नहीं था--विशेषतः छोटे किसान को।

अब, बेचारा कृषक गन्ने को अपने खर्च पर कारखाने ले जाता है। वह गीला अधिक होता है अतः कारखाने वाला उसे नहीं लेता। बेचारा दो दिन वहां पड़ा रहता है, बैलों का खर्च भुगतता है, फिर गन्ना सूख जाता है, तोल कम हो जाता है। बाद में भी कारखान

(श्री एस० एस० मोरे)

वाला पूरा तोल नहीं तोलता, उसे सब प्रकार घाटा रहता है। यदि वह कुछ कहे तो कहा जाता है "ले जाओ, हम नहीं लेते ।"

इस प्रकार कृषक को लूटने के सहस्त्रों तरीके हैं। ठीक है, कारखानों की स्थिति निर्बल होगी, उन्हें बलिष्ठ भोजन चाहिये, परन्तु कृषकों को उस भोजन के लिये बकरा बनाना उचित नहीं है । श्री किदवई कारखानेदारों के साथ किये गये वायदों को निभाना चाहते हैं, परन्तु कांग्रेस ने कृषकों तथा उपभोक्ताओं से जो असंख्य वायदे किये हैं उन का क्या हुआ ? १९३६ में कांग्रेस ने कृषि सुधार कार्यक्रम बनाया था। (बाधा)

श्री किदवई ने या भारत सरकार ने कारखाना-स्वामियों से करार किया वह अन्यायपूर्ण है । कारखाना-स्वामियों ने उसे पूरा भी नहीं किया। क्या उस ने नियत भाव पर चीनी बेची ? उस ने करार का सर्वथा अति-क्रमण किया। सन् १९३८-३९ में चीनी का मूल्य ८।।।≡) प्रति मन था । कांग्रेस के आने पर, १५ अगस्त १९४७ से पूर्व चीनी का भाव २०।।।=) था । हम ने कारखाने वालों को एक उपहार दिया—भावों को बढ़ा कर ३५।≡) कर दिया । फिर १९४८-४९ में भाव फिर २८) रुपये कर दिया गया ।

श्री गाडगिल : कृषक को भी अधिक भाव मिला ।

श्री एस० एस० मोरे : १९४९-५० में, २८-)।। भाव रहा, १९५०-५१ में २९-)।। १९५१-५२ में २९।।।) भाव रहा। उन भावों पर बचना कारखाने वाले का पवित्र कर्तव्य था । परन्तु क्या उस ने इन भावों पर माल बेचा ? दिखाया तो यह जाता है कि कारखाने वाले के केवल तीन प्रतिशत बचता है, परन्तु वास्तव में उस ने चोर बाजारी कर के मंडी का दोहन किया । श्री लाल सिंह ने ठीक ही कहा है कि चीनी साठ सत्तर रुपये तक बिकी है १९४९ में या उस से पूर्व तो चीनी आठ आने सेर पर मिल जाती थी परन्तु बाद में १।।।=) के भाव बिकी, २) भी बिकी और अमीरों ने तो २।) भी खरीद कर रसगुल्ले आदि बनाये ।

सरकार के हिसाब के अनुसार २९।।।) के नियंत्रित भाव से तीन प्रतिशत लाभ पड़ता है। अब यदि वह चीनी सदा ६०) या ७०) पर बिके तो त्यागी हिसाब लगा लें कि कितना लाभ होता है । जब कारखाना-स्वामियों ने करार की प्रधान शर्त को तोड़ दिया तो सरकार ही क्यों उस करार पर अटल रहती है ? मुझे तो कहना पड़ेगा कि सरकार को निहित स्वार्थ वालों के हितों का ही ख्याल है, उसे कृषक या उपभोक्ता की चिन्ता नहीं है

सरकार को गन्ने की लागत के विषय में आंकड़े एकत्र करने चाहियें और उस आधार पर कहना चाहिये कि "उत्पादन की लागत यह है और हम इतना लाभ दे सकते हैं ।" इस प्रकार गन्ने का भाव नियत होना चाहिये। चीनी उद्योग से भी यह कहना चाहिये कि वह चीनी की उत्पादन-लागत कम करें । संरक्षण देते समय जो शर्तें होती हैं उन्हें चीनी उद्योग ने पूरा नहीं किया है । सरकार को निष्पक्ष न्यायाधीश के समान कारखाना स्वा-मियों, गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा श्रमिकों के हितों में न्यायपूर्ण सामंजस्य स्थापित करना चाहिये, जैसा कि माता-पिता बच्चों को मिठाई बांटने में करते हैं । चीनी उत्पादन चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार में अधिक होता हो, परन्तु प्रति एकड़ में अधिक गन्ना बम्बई में उगता है । वहां प्रति एकड़ ६,४८० पौंड गन्ना होता है । उत्तर प्रदेश में केवल २४५२ पौंड और बिहार में १३९२ पौंड तथा पंजाब में १९४१ पौंड गन्ना प्रति एकड़ होता है । ये आंकड़े कृषि मंत्रालय के आर्थिक तथा सांख्यकी मंत्रणाकार द्वारा प्रकाशित

पत्रिका 'भारतीय चीनी सांख्यकी' में से है। पहले १९४७-४८ में बम्बई में प्रति एकड़ ७३६० पौंड गन्ना होता था। अब ९०० पौंड के लगभग की कमी होने का कारण यही है कि सरकार की नीति से किसान हतोत्साह हो गया है और उस का जीवन अधिक दुष्कर हो गया है। सिंचन भार तथा अन्य भार बढ़ गये हैं, परन्तु सरकार फिर भी कहती है "गन्ना पर लागत कम आती है अतः अब तुम्हें १।-) ही मिलेगा, १।।।) नहीं। मैं इस का प्रबल विरोध करता हूं, तीन चार या पांच सौ एकड़ वाले कृषक की ओर से नहीं, परन्तु तीन चार या बीस एकड़ वाले कृषक की ओर से। यदि हम छोटे कृषकों की रक्षा नहीं करेंगे तो उन की भूमियां बिक जायेंगी। मोटे पेट वाले के पास भूमि आ जाने से उत्पादन घट सकता है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस विधेयक को जल्दी कर के पारित ने करवाये, अपितु हमें विश्वसनीय आंकड़े दे, फिर हम इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री किदवई: मैं ने अपने माननीय मित्र सरदार लाल सिंह का भाषण बहुत रुचिपूर्वक सुना है। हम ने दो दिन पूर्व ही उन का भाषण सुना था जब कि खाद्य स्थिति पर विचार हो रहा था। उस समय उन्हों ने इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था कि भाव स्वयं ही मांग तथा संभरण के आधार पर ठहर जायेंगे। क्या वे इस बात को स्वीकार लेंगे यदि मैं इस बात की पेशकश करूं कि मैं गन्ने का भाव नियत नहीं करता और भावों को मांग तथा संभरण के आधार पर ठहर जाने देता हूं? मुझे आशा है कि सरदार साहब को ज्ञात है कि गन्ने के न्यूनतम भावों का निश्चित करना कैसे आरम्भ हुआ था। यह उत्तर प्रदेश में आरम्भ हुआ था जब कि हम में से कई राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने देखा कि मिल-स्वामी गन्ना-उत्पादक के साथ न्याय नहीं करते। गन्ना उत्पादक अपना गन्ना मील के द्वार पर ले जाता था और मिल-स्वामी कहता था 'हमें इस की आवश्यकता नहीं है' और बेचारे उत्पादक को उसे दो आने मन पर फेंक देना पड़ता था। तब हम ने एक आन्दोलन प्रारंभ किया और 'ईख संघ' बनाया गया तब भाव नियत होने लगे।

यदि सरदार साहब भावों तथा उत्पादन को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि किसी विशेष भाव के नियत करने पर गन्ने का कृषि-क्षेत्र घटता या बढ़ता नहीं है, प्रत्युत वह अन्य फसलों के भावों से ही प्रभावित होता है कि वे भाव गन्ने की भावों की तुलना में कैसे हैं। मेरे सामने जो चार्ट है उस से मैं देखता हूं कि जब भाव बढ़ाये गये तब क्षेत्र वास्तव में कम हो गया। सरदार साहब ने इस वर्ष के भावों की भारी गिरावट की शिकायत की है। मुझे आशा है कि उन्हें स्मरण होगा कि कुछ वर्ष पूर्व गन्ना-उत्पादकों तथा मिल-स्वामियों ने मिल कर यह कहा था कि गन्ने का भाव बढ़ाना चाहिये और दो रुपये मन कर देना चाहिये। सब ने सोचा कि इस से चीनी उद्योग की अवस्था में सुधार नहीं होगा क्यों कि इस देश में गरीब उपभोक्ता उस ऊंचे भाव की चीनी खरीद नहीं सकेंगे। फिर भी सरदार साहब और मेरे माननीय मित्र श्री तुलसीदास किसी निश्चित भाव पर सहमत हो गये और सरकार ने वह भाव नियत कर दिया। परिणाम क्या हुआ? आगामी वर्ष, गन्ने की कृषि बढ़ी नहीं। वास्तव में वह घट गई। १९४६-४७ में भाव १।) था। १९४७-४८ में वह बढ़ कर दो रुपये हो गया। और अगले वर्ष उत्पादन १०.७५ लाख टन से घट कर १०·६ लाख टन रह गया। अतएव, गन्ने के भाव का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि अन्य फसलों के भावों और गन्ने के भावों के अन्तर का पड़ता है। मेरे ख्याल में सरदार साहब को ज्ञात है कि १९४७-४८ में पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव पच्चीस

[श्री किदवई]

तीस रुपये था, इस लिये दो रुपये का प्रलोभन भी गन्ना बोने के लिये पर्याप्त नहीं था। अत. अगले वर्ष भाव फिर घटा कर दो रुपये से १॥=) कर दिया गया और दो वर्षों तक वही कम भाव रहा, फिर भी गन्ने का क्षेत्र १०.६ लाख एकड़ से बढ़ कर ११.१६ एकड़ हो गया। अतः भाव से कुछ नहीं होता।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए।]

अब, सरदार साहब को ज्ञात है कि १९४६-४७ में गन्ने का भाव १।) रुपया था और गेहूं का भाव बीस बाईस के लग भग था, और फिर भी लोगों ने गन्ना उगाना पसंद किया। आज की दशा गन्ना-उत्पादक तथा मिल स्वामी के लिये अधिक अनिष्टकर है, क्योंकि गेहूं चावल के भाव गत तीन वर्षों से गिर रहे हैं। गन्ना-उत्पादक सदा भाव बढ़ाने के लिये राजनैतिक दबाव डालता रहा है और भाव १॥=) से १।।।) किया गया। परिणाम क्या हुआ ? योजना आयोग ने १९५५-५६ में जितनी एकड़ भूमि में गन्ना पैदा होने का लक्ष्य रखा था उस से अधिक इस वर्ष पैदा हो गया, और फल ही हम देख चुके हैं कि गन्ने को जलाना पड़ गया। बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों को मिल-स्वामियों को समझा बुझा कर राजी करना पड़ा "कृपया मिल चलाते रहो जिस से कि अतिरिक्त गन्ना पेरा जा सके।" इस लिये यह सब कठिनाई उत्पन्न हुई। कुछ मित्रों की शिकायत है कि गन्ना उत्पादकों का भुगतान नहीं किया गया। परन्तू प्रत्येक मिल की भुगतान करने की क्षमता की सीमा होती है और वह सीमा पार हो चुकी है। अब भी उन के पास बहुत सी चीनी है। यदि वह माल साफ नहीं होगा और मिल स्वामियों को नकद नहीं मिलेगा तो अगले वर्ष वे गन्ना नहीं पेर सकेंगे और फिर क्या होगा ? इस वर्ष जिस क्षेत्र में गन्ना बोया गया है वहां वह उगेगा परन्तु पेरा नहीं जायेगा और भावों में गिरावट आयेगी।

मैं श्री गोपाल राव से सहमत हूं कि यह संतोषजनक बात नहीं है कि इस भारी जनसंख्या में १५ लाख टन चीनी भी नहीं खप सकी। प्रति व्यक्ति उत्पादन छः पौंड से अधिक नहीं है, फिर भी यह जनता समस्त उत्पादन को खपा नहीं सकी। इस का क्या कारण है ? यह लोगों की गरीबी है। अतएव, यदि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वह ऐसे भावों पर प्राप्त होनी चाहिये जो लोग दे सकें।

४ म० प०

सरदार साहब ने आस्ट्रेलिया के विषय में भी कहा है। उन्होंने कुछ बातें तो बताई हैं, किन्तु कुछ छिपाली हैं। सरदार साहब को ज्ञात होगा ही कि आस्ट्रेलिया में उन्हों ने ऐसा उपाय अपनाया था जो हम आज आरम्भ कर रहे हैं। वे अपने देश में खपत के लिये चार रुपये मन चीनी बेचते थे। और भारत को चार रुपये मन बेचे थे इस प्रकार उन्हों ने अपने उद्योग को स्थिर बनाया। मेरे विचार में हमें भी कोई ऐसी ही बात करनी होगी। यही उस नीति का श्री गणेश है। अब मैं गरीब उपभोक्ता पर अधिक कर लगाना नहीं चाहता। अतः बहुत थोड़े से आरम्भ किया गया है।

पंडित के० सी०: शर्मा (जिला मेरठ--दक्षिण) : क्या २५ प्रतिशत की कटौती थोड़ी है ?

श्री किदवई : २५ प्रतिशत नहीं है। हम आज जो भाव दे रहे हैं वह १९४८ के चालू भावों से अधिक है। उस समय मिल-स्वामी तथा गन्ना-उत्पादक दोनों ने शिकायत की और उचित मूल्य मांगा और तत्कालीन सरकार ने उसे स्वीकार किया। इस का परिणाम नाशकारी हुआ, और अधिक गन्ना पैदा हुआ।

गुड़ का भाव ठप्प हो गया। मेरठ वाले माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि गांवों में गुड़ ४।।) रुपये मन बिका। वह उचित भाव नहीं है। अतः हमें उस स्थिति को नहीं आने देना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि इतना ही गन्ना बोया जाये जिस की चीनी या गुड़ बन सके। इसी लिये अब उद्योग की नव-व्यवस्था की जा रही है।

मुझे दुख है कि इस प्रकार के विधेयक पर इतना आवेश प्रकट किया गया है। अब आज उद्योग या सरकार के पास पांच लाख टन चीनी है। सरकार ने हिदायतें दे दी हैं कि जब तक यह माल समाप्त न हो जाये तब तक नई चीनी मंडी में नहीं आनी चाहिये। इस में महीनों लग जायेंगे। पर इस बीच में कारखाने क्या करेंगे? भाव सहसा गिर जायेंगे। सरकार को जो भी हानि भुगतनी होगी वह उपभोक्ता से वसूल की जायगी जिसे अगले वर्ष की फसल में से आज से रियायत मिलेगी। यह साधारण प्रस्थापना है जिस पर इतने आवेश की अपेक्षा नहीं है।

दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि भाव सात रुपये के लगभग कम होना चाहिये था, परन्तु वह दो चार रुपये ही घटा है। यह सच है। परन्तु वे भाव नये गन्ने की चीनी के के लिये हैं। जब १।-) प्रति मन वाले गन्ने की चीनी मंडी में आयेगी तब भाव गिर जायेंगे। भाव इतने गिरेंगे जितनी लोगों को आशा भी नहीं है। प्रतियोगिता होगी। मिल-स्वामियों को भावों के विषय में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। सरकार उन्हें इतनी मात्रा में निर्यात नहीं करने देगी कि यहां भाव बढ़ जायें। अतएव प्रतियोगिता होगी और भाव गिरेंगे, और मिल-स्वामियों को उस लाभ का एक भाग छोड़ना पड़ेगा जो वे इस उद्योग से कमा रहे हैं परन्तु इस समय तो हम ऐसा करना चाहते हैं। हमारे पास पांच लाख टन माल है। हम उसे मंडी में बेचना चाहते हैं।

सरदार लाल सिंह: माननीय खाद्य मंत्री का कहना है कि पंजाब में गेहूं का भाव २२ या ३०) रुपये था, परन्तु वहां नियंत्रित मूल्य केवल १३) रुपये के लगभग ही था। वसूली का एकाधिकार होने के कारण किसान को नियंत्रण का भाव ही मिलता था या हद से हद १४ या १५ रुपये मिल जाते थे।

श्री किदवई: मैं इस का उत्तर देता हूं।

सरदार साहब ने कहा है कि पंजाब में वसूली के एकाधिकार की आश्चर्यजनक योजना थी; अर्थात् जो भी गेहूं बेचता था उसे सरकार को ही बेचना पड़ता था और सरकार ने १९४७-४८ या १९४६-४७ में १०।।) रुपये प्रति मन का भाव नियत किया हुआ था। अब, कितना विक्रय होता था? हम देखेंगे कि वह योजना कितनी हास्यास्पद थी। १९४६-४७ में पंजाब सरकार की वसूली ९६,००० टन थी। १९४७-४८ में केवल ४९,००० टन अनाज वसूल हुआ। क्या पंजाब में इतना ही फालतू अनाज होता है? फिर भाव गिरने लगें। १९४९-५० और १९५१ में खुला मंडी का भाव १२) रुपये, आने था और सरकार की वसूली का भाव १३) रुपये था। अतः सरकार की वसूली ढाई लाख टन तक पहुंच गई। हम जानते हैं कि चोर-बाजारी तो पंजाब में भी थी, पूना में भी, सभी स्थानों पर थी।

सरदार लाल सिंह: पैदावार और वसूली तो घटती बढ़ती रहती ही है। कुछ ऋतु पर निर्भर होता है और कुछ शरणार्थियों के बसने से अन्तर पड़ गया।

श्री किदवई: जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, जब गेहूं के भाव बढ़े तब उत्तर प्रदेश और पंजाब में गन्ने का उत्पादन घट गया। जब गेहूं के भाव घटे तो गन्ने का उत्पादन बढ़ गया। मैं सदन को प्रत्येक वर्ष के आंकड़े दे चुका हूं। यद्यपि गन्ने का भाव १।) से २) किया गया, तदापि गन्ने का क्षेत्र वास्तव में घट गया। अतएव हम ने जो निश्चित किये हैं

[श्री किदवई]

वे आज भी गेहूं के भावों के सम्बन्ध में अधिक हैं। सब चाहते हैं कि उपभोक्ता को इस भाव की कमी का लाभ मिलना चाहिये। यह लाभ उत्पादकों को ही या मिल-स्वामियों को ही क्यों मिले ! मिल-स्वामियों को इस वर्ष भाव की कोई प्रत्याभूति नहीं दी गई है क्यों कि उत्पादन अवश्यमेव अधिक होगा। हमारे पास पांच लाख टन माल है और अगले वर्ष दस बारह लाख टन की ही उत्पादन हो—यद्यपि गन्ने के क्षेत्र को देखते हुए उत्पादन १४ लाख टन से कम नहीं होगा —तो भी हमारे पास आवश्यकता से कुछ अधिक माल होगा और भाव कम रहेंगे। मेरे विचार में हमें, अन्य देशों के समान, निर्यात के लिये अर्थ-सहायता देनी चाहिये। हम उस पर विचार कर रहे हैं, परन्तु हम चीनी का भाव नीचा ही रखना चाहते हैं जिस से कि उपभोक्ता को लाभ हो सके।

गन्ने के भाव अन्य फसलों की तुलना में ठीक हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या माननीय मंत्री नई फसल के लिये अधिकतम भाव नियत कर रहे हैं। १९५२-५३ की फसल के लिये ?

श्री किदवई : चीनी के लिये ? कोई अधिकतम भाव नहीं। इस वर्ष हम ने गन्ने का न्यूनतम भाव नियत किया है परन्तु गन्ना-उत्पादक को हक्क है कि वह उस का गुड़ बनाले या अच्छे पैसे मिलें तो मिलों को बेच दे। गन्ना-उत्पादक जिस सुविधा से वंचित था वह उसे अब प्राप्त है। वह गुड़ बना कर बेच सकता है। गुड़ का संचरण निर्बाध है; निर्यात भी हो सकता है। अतएव, इस समय हापुड़ के भाव गुड़ के लिये बहुत अच्छे हैं और कारखाने वालों को, यदि कारखाने चलाने हैं तो, हमारे नियत किये हुए भावों से अधिक देना होगा।

श्री श्यामनन्दन सहाय : पहले के समान अब चीनी का वंटन नहीं होगा ?

श्री किदवई : उस का मुझे पता नहीं है—राज्य क्या कर रहे हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : चीनी उद्योग के इतिहास से पता लगता है कि सरकार समुचित आयोजन करने में अक्षम है। इस विधेयक से न उपभोक्ता को ही लाभ होगा, न गन्ना उत्पादक को ही और इस से उद्योग के कुशलता-पूर्वक विकास में भी सहायता नहीं मिलेगी। अतः मैं इस विधेयक के विरुद्ध हूं।

भारत के चीनी उद्योगपतियों ने सरकार की नीति का अनुचित लाभ उठाया है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में जो चीनी सिंडीकेट बनी थी उस के सम्बन्ध में हुई अवांछित घटनाओं पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। १९४९-५० में इस सदन में कुछ पत्र दिखाये गये थे जिन से प्रकट होता था कि उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योगपतियों तथा उस प्रान्त के अग्रगण्य राजनैतिक दल में निश्चित सम्बन्ध था।

इस उद्योग को १९३२ में तटकर संरक्षण दिया गया था। पर इस उद्योग ने चोर-बाजारी की। अन्ततः १९५० में प्रशुल्क मंडली ने संरक्षण हटाने की सिपारिश की। सरकार ने गन्ना उत्पादन के विकास, सिंचन सुविधाओं, सड़क-निर्माण, आदि की ओर ध्यान नहीं दिया, इसी कारण हमारे गन्ने में इतनी कम चीनी निकलती है। इसी से संरक्षण के बावजूद हमारी चीनी संसार भर में मंहगी है। परन्तु सरकार तथा उद्योगपति अपने उत्तरदायित्व की चिन्ता ही नहीं करते।

अब चीनी उद्योग को इस पर विचार करना चाहिये कि गन्ने में चीनी इतनी कम चीनी क्यों होती है। हम चीनी मिलों में कैसी व्यवस्था करते हैं कि गंधक बहुत बर्बाद होती है। हमें गंधक डालर-क्षेत्रों से मंगवानी पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय: अभी तो उपकर लगाने का प्रश्न है। संरक्षण आदि अन्य मामले यहां नहीं उठते ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : 'स्टेट्समेन' के एक समाचार के अनुसार सरकार ने खाद्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री गोपाल कृष्णन के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की थी जिसे चीनी के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उपायों पर विचार करना था और उस समिति ने सिफारिश की है कि निर्यात के भाव को उपभोक्ता द्वारा अर्थ-सहायता दी जाये। जहां चीनी की प्रतिव्यक्ति खपत इतनी कम है वहां ऐसी बातें हो रही हैं। सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जिस में उद्योगपतियों, गन्ना-उत्पादकों और अन्य सम्बद्ध हितों के प्रतिनिधि हों और वह चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात की योजना बनाये ।

श्री दामोदर मेनन: (कोजिकोडे) : मैं चीनी पर उपकर लगाने के विरुद्ध हूं। इस से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण नहीं होगा। इस देश में चीनी का भाव शेष संसार से कहीं अधिक है। चीनी उद्योग को इतने वर्षों से संरक्षण दिया गया है कि वह मुटा गया है। से हम स्वावलम्बी हो गये हैं और निर्यात भी कर सकते हैं। अब उपभोक्ता को अधिक भाव देना पड़े यह अविचारणीय है ।

१९५०-५१ में उद्योग ने चार करोड़ रुपया कमा लिया, क्यों कि गत वर्ष के शेष माल पर एक रुपया मन बढ़ा दिया गया था। १९४८-४९ में चार आने मन का अतिभार लगाने से उद्योग को ५० लाख रुपये मिल गये। हाल ही में खुले बाजार में चीनी बेचने की अनुमति मिलने पर उद्योग में बहुत धन कमाया। १९५१-५२ में गन्ने का भाव १।।।) रखा गया था परन्तु उद्योगपतियों को ।।।) मन तक गन्ना मिला। लाभ तो उद्योगपतियों ने कमाया है अतः अब उन से वसूल करना चाहिये। परन्तु सरकार उन के प्रति बहुत नर्म है, चीनी से भी मीठी है ।

निर्यात के लिये अर्थ सहायता देने का अर्थ है कि बाहर के उपभोक्ता को सस्ती चीनी देने के लिये यहां के उपभोक्ता को मंहगी चीनी दी जाये। यह क्रूरता होगी यदि आप हमारे बच्चों और लोगों को चीनी न दें। अतः मैं इस उपकर के विरुद्ध हूं। श्री तुलसी दास ने फालतू माल को जमा रखने का सुझाव दिया है। परन्तु जब हमें बाहर से सस्ती चीनी मिल सकती है तो इस के जमा रखने का कोई औचित्य नहीं है। उद्योगपतियों को अब भार वहन करना चाहिये। दीन उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी मिले, यही हमारी नीति होनी चाहिये ।

श्री एस० सी० सिंघल (जिला अलीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सन्तोष है कि आप ने मुझे समय दिया। हालांकि सिर्फ पांच मिनट दिये हैं। बहुत से वक्ता बोल चुके हैं। श्री लाल सिंह जी बोले ईख वाले किसानों के पक्ष में, हमारे किला चन्द जी बोले चीनी के कारखानों के मालिकों के पक्ष में। लेकिन खास तौर से कन्जूमर्स (उपभोक्ताओं) के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। इस लिये मैं कन्जूमर्स के हित को ख्याल में रखते हुए बोलूंगा। सन् १९४९ की इंडियन टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट में दिया हुआ है।

"आयातित चीनी की शुल्क-रहित लागत १६।।।) ।।। प्रति मन है। बम्बई चीनी व्यापारी संघ के विचार में यह संभव है कि निकट भविष्य में यह भाव लग भग ४० प्रतिशत घट जाये ।

दिसम्बर १९४८ से गन्ने का न्यूनतम भाव २) रुपये प्रतिमन था और चीनी का ३५।≡) प्रति मन था ।"

[श्री एस० सी० सिंघल]

जब १६ रु० १२ आ० ६ पा० पर शकर कलकत्ता और बम्बई के पोर्ट पर आ सकती थी उन दिनों में यहां पर चीनी का दाम ३५ रु० ७ आ० मन थे । अगर विदेशी चीनी की कीमत में २ रु० १२ आ० मन एक्साइज ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) जो सरकार लेती है, और जो १ रु० १४ आने मन सेस (उपकर) लगाया जाता है उसे जोड़ दिया जाये तो चीनी की कीमत २१ रु० १० आ० ९ पा० फी मन होती थी जब कि ३५ रु० ७ आ० चीनी के दाम थे । इस तरह से देखा जाये तो करीब करीब १४ रु० फी मन कन्जूमर्स को घाटा पड़ता था । अगर चीनी की खपत इस देश में साढ़े ग्यारह लाख भी रखी जाये तो करीब करीब ४५ करोड़ का घाटा कन्जूमर्स को हर साल होता है । सन् १९३२ से यह प्रोटैक्शन (संरक्षण) लगा है और सन् १९५० तक यह प्रोटैक्शन काय म रहा है । लेकिन प्रोटैक्शन के हट जाने के बाद भी सरकार बाहर से चीनी लाने की इजाजत नहीं देती है क्यों कि उन का कहना है कि एक्सचेन्ज (मुद्रा विनिमय) की कमी है । मैं समझता हूं इस तरह से तो अब भी वह प्रोटैक्शन एक किस्म से लागू है । इस तरह से अगर ४५ करोड़ रुपये का घाटा हर साल सरकार जनता को दे रही है तो २० साल के अन्दर वह घाटा करीब करीब ८०० करोड़ रुपये का हो गया । जनता का पैसा खा कर १३३मिलें हिन्दुस्तान में काम कर रही हैं । इन मिलों को कायम रखना सरकार की कितनी बड़ी बेईमानी है ।

तो मुझे तो यह कहना है कि सरकार को खास तौर पर कन्जूमर्स का हित देखना चाहिये । कन्जूमर्स का ४०, ५० करोड़ रुपया साल बेकार जा रहा है । अब एक रुपया मन ड्यूटी और बढ़ जाने से उस को और भी घाटा होगा । मेरी श्री त्यागी जी से प्रार्थना है कि उन्हों ने हमारे मिल वालों को बहुत फायदा अब तक पहुंचाया और बाकी सब लोगों को काफी घाटा हुआ है, अब हमें उस घाटे को पूरा करना है । लेकिन गन्ने की कीमत भी आप एक रुपये १२ आने मन से १ रुपये ५ आने मन ले आये । क्या उन के घाटे को भी पूरा करने की आप ने कोशिश की ? उन्होंने उम्मीद कर के कि हम को कीमत १ रुपये १२ मन मिलेगी , गन्ना बो दिया, चीज़ बो दी गई, अब आप ने उस की कीमत १ रुपये ५ आने कर दी । इस तरह गन्ना बोने वाले को जो घाटा है, उस की भी आप ने कोई फिक्र की ?

एक साहब ने कहा कि मिल वालों को कोई फायदा नहीं हुआ है । लेकिन मैं टैरिफ बोर्ड (प्रशुल्क मंडली) की रिपोर्ट से बताना चाहता हूं कि उन को कितना फायदा हुआ है । सन् १९४८ में जब चीनी का कंट्रोल हट गया था तो उस वक्त उस का रेट २० रुपये मन का था । लेकिन मिलों ने झगड़ा किया और कहा कि रेट बढ़ाया जाये । तो सरकार ने एक कमेटी बिठाई । उस शुगर कमीशन ने गन्ने की कीमत जो १ रु० ४ आ० मन था वह कीमत रख कर उस ने चीनी की कीमत रखी २३ रु० ४ आ० ६ पा० फी मन । उस में उन्होंने मिल वालों को लिये फायदा भी रखा था । वह था प्राफिट आफ १० पर सेंट आन ब्लाक कैपिटल (पूंजी पर १० प्रतिशत लाभ) । लेकिन मिल वालों को उस से सन्तोष नहीं हुआ । उन लोगों ने किसानों से कुछ सलाह की और चीनी की कीमत बढ़ाने का एक तरीका निकाला और ईख की कीमत २) रुपया मन रखने को कहा और चीनी की कीमत इस तरह से बढ़वाई जिस का हिसाब टैरिफ़ बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह दिया है :

चीनी आयोग द्वारा स्वीकृत चीनी के भाव जब गन्ना १।) था २३।)॥

२६ जून १९४७ के पं ।ऽ के लिये प्रतिकर ≡)

निम्बकर समिति के सुझाव पर वृद्धि ।।)

गन्ने में ।।।) की वृद्धि के कारण दस मन की वृद्धि ७।।)

१२ आने बढ़ा कर उस की कीमत बढ़ा दी ।

दस प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य लाभ २)

पहले मिल वालों को १० फी सदी का फायदा रखा गया था अब इस के अलावा १० फीसदी का फायदा और बढ़ा दिया गया । इस तरह कीमत ३५ रुपये १ आने ६ पाई मन आती है । लेकिन इस से भी सन्तोष नहीं हुआ और कीमत ३५ रु० ७ आने रखवाई ।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ३५।≡) की कीमत रखी गई ।

इस तरह मिल वालों को २० फीसदी से ऊंचा फायदा दिया गया जिस से चीनी की कीमत २३ रुपये मन से बढ़ा कर ३५ रुपये ७ आने मन कर दी गई । इन लोगों के पास दो लाख मन बकाया भी था । उस दो लाख मन के सम्बन्ध में तय हुआ कि जितना फायदा होगा उस में से आधा सरकार ले लेगी और आधा मिल वालों के लिये छोड़ दिया जायेगा । इस तरह से मिल वालों ने नाजायज तौर से सरकार से फायदा लिया । मुझे मंत्री महोदय से पूछना है कि कन्जूमर्स को इतना घाटा करा कर मिल वालों को इतना फायदा क्यों कराया गया ? क्या आप इस तरह से इस इंडस्ट्री को बढ़ायेंगे ? मिनिस्टर साहब का कहना है कि हम प्राइस गारन्टी कर चुके हैं । मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आप ने प्राइस किस से पूछ कर गारंटी किया ? क्या आप ने इसी के लिये प्राइस गारंटी की ? क्या इसी चीज़ की देश में कमी थी ? क्या और किसी चीज़ की कमी नहीं थी ? क्या उन दिनों कपड़े की कमी नहीं थी ? क्या उन दिनों सीमेंट की कमी नहीं थी, लोहे की कमी नहीं थी ? क्या उन दिनों अन्न की कमी नहीं थी ? आप ने उन की कीमत गारन्टी क्यों नहीं की । आप ने सिर्फ चीनी की ही प्राइस क्यों गारंटी की ? क्या आप ने उन के साथ कोई कन्ट्रैक्ट (संविदा) किया ? और कांट्रैक्ट किया तो क्या आप उस को मेज पर रखेंगे ताकि हम उस कांट्रैक्ट को देख सकें ? अगर कोई प्राइवेट डीलिंग (असार्वजनिक व्यवहार) की तो वह भी आप बता दीजिये कि कैसे और किस से बातें हुई ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : जी हां, खानगी में क्या बातें हुई ?

श्री एस० सी० सिंघल : चीनी के बारे में टैरिफ बोर्ड ने दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रोटैक्शन की सिफारिश की । और अपनी सिफारिशों में लिखा था कि संरक्षण के दो उद्देश्य थे : चीनी उद्योग का आधुनिक ढ़ंग पर विकास करवाना और दूसरा अधिक चीनी वाले गन्ने की कृषि को प्रोत्साहन देना ।

इन दोनों में से एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ । और क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि लोगों को इस में फायदा अनाप-शनाप था । किसी ने ऐफीसेन्सी बढ़ाने की कोशिश नहीं की । प्रशुल्क मंडली ने लिखा है कि : सन् १९४२ से ले कर १९४६ तक रिकवरी (वसूली) १० फीसदी बढ़ी बाद के तीन वर्षों में वह १० प्रतिशत से भी घट गई ।

जब मुनाफा ज्यादा बढ़ गया, सन् १९४६ के बाद तो जितनी रिकवरी बढ़ी थी उतनी ही घट गई । तो इस तरह से मिल वालों को लापरवाही से और सरकार की ढील से रिकवरी घट गई ।

[श्री एस० सी० सिंघल]

गन्ने के बारे में मुझे कहना है कि उस में भी घाटा हुआ ।

१९४३-४४ में १५ टन फी एकड़ की उपज थी ।

१९४४-४५ में यह उपज जा कर १३.८ टन फी एकड़ रह गई ।

१९४५-४६ में यह उपज १३.२ टन फी एकड़ हो गई और १९४६-४७ में गन्ने की उपज १४ टन फी एकड़ रह गई । आगे के फिगर्स मेरे पास नहीं है । इसीलिये मेरी प्रार्थना यह है कि आप को सैस लगाना है तो आप लगायें । लेकिन वह आप किस पर लगायें । मिल मालिकों ने जो अनाप शनाप फायदा किया है उस पर आप लगायें । सन् १९४८ में जब चीनी डीकन्ट्रोल (अप-नियंत्रित) हो गई थी तब कहा गया था कि चीनी हमारे देश में बहुत है । लेकिन फिर उस की यकायक कमी हो गई और इतनी कमी पड़ी कि देश में शुगर स्केन्डल (चीनी घुटाला) हो गया । टैरिफ बोर्ड ने इस सिलसिले में क्या बताया कि स्कैंडल कैसे हुआ और कितना मुनाफा उन्होंने कमाया ।

डा० राम सुभग सिंह : चीनी के उद्योग-पतियों, पूंजीपतियों को तो १९५१ तथा १९५२ के अवशिष्ट माल पर नियंत्रित भाव दे दिया जायेगा । परन्तु १९५१-५२ के अवशिष्ट गन्ने पर पुराना भाव क्यों नहीं दिया जाता । गन्ना तीन वर्ष तक रह सकता है और बहुत बड़े परिणाम में गन्ना बचा पड़ा है । मंत्री जी को गन्ना उत्पादक के साथ अन्याय नहीं करना चाहिये ।

पंडित के० सी० शर्मा : अब तक तो कृषि कार्य गुजारे भर का काम था । अब वह औद्योगिक उद्यम बन गया है । क्या इस बात से उस स्थिति का कहां मेल है कि गन्ने के भाव में सहसा २५ प्रतिशत कमी कर दी गई है । यह बहुत बुरी बात है । अब खेतों में पांच वर्ष पुराने लोग नहीं हैं, वहां अब अन्डर ग्रेजुएट कार्य कर रहे हैं .....

एक माननीय सदस्य : अन्डर ग्रेजुएट ।

पंडित के० सी० शर्मा : हां, मेरठ जिले में खेती कर रहे हैं । उन्हें अच्छा भोजन, वस्त्र तथा मकान चाहियें । सरकार कोई योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था नहीं बना रही, यहां वहां अधकचरे उपाय काम में ले रही है ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : कहा जाता है कि इस उत्पादन शुल्क से उप-भोक्ता को कोई हानि नहीं होगी । केन्द्रीय उत्पादन कर तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत जो शुल्क पहले ही है उस में आप एक और शुल्क और जोड़ देते हैं तो उपभोक्ता को क्या लाभ होगा ? बच्चों के लिये चीनी आवश्यक है ।

मेरे राज्य में गन्ना तो बहुत होता है परन्तु एक भी चीनी मिल नहीं है । सरकार ने इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहता था । फल यह है कि सरकार ने कोई मिल स्थापित किया नहीं और लोगों को करने दिया नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री उत्तर दें ।

श्री त्यागी : मैं सदन का अत्यन्त अनु-ग्रहीत हूं कि उस ने अच्छे सुझाव दिये हैं परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में कुछ भ्रान्तियां हैं, विशेषत: इसलिये कि सदन को चीनी उद्योग की स्थिति का और कृषक की दशा तथा हालत का पूरा ज्ञान है । सदन प्रत्यक्षत: उन का प्रतिनिधि है, अत: स्वाभाविक ही है कि यह विषय सामान्यत: सब को ज्ञात है । अत: मैं माननीय सदस्यों के सुझाव की कद्र

करता हूं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं अब सीधा उत्तर आरम्भ करता हूं।

मेरे माननीय मित्र श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा न ठीक ही कहा है कि पहले की तुलना में तो एक कृषक की आजीविका का व्यय भी बहुत बढ़ गया है और इस लिये किसान भी थोड़ी सी आय से सन्तुष्ट नहीं हो सकता अपितु वह देश के विकास में भी अपना भाग चाहता है। यद्यपि मैं उन से सहमत नहीं हूं कि केवल अन्डर ग्रेजुएटों या स्नातकों को ही जीवन के उच्च स्तर का प्रधान विशेषाधिकार है, फिर भी मैं निस्सन्देह इस बात से सहमत हूं कि निरक्षर कृषक को भी उच्च स्तर का अच्छा जीवन बिताने का अधिकार है।

खैर, जीवन स्तर कुछ समय से ऊंचा हो गया है। अतः सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि कृषक के हितों का सदा संरक्षण हो। इस विशेष मामले में मुझे अब स्थिति को उचित सिद्ध करते हुए कंपन होता है, यद्यपि बहुत से व्यक्ति जिन की राय की मैं सदा कद्र करता हूं, गन्ने के भाव को निश्चित करने के प्रश्न पर विमति प्रकट कर चुके हैं, कदाचित उस का कारण यह है कि उन के समक्ष सभी तथ्य नहीं रखे गये थे अथवा उन्होंने वस्तुस्थिति का सामना नहीं किया।

जहां तक भावों का सम्बन्ध है वह तो छाया के पीछे भागना है। मैं तो इन सरकारी बेन्चों पर बहुत अधिक समय से नहीं हूं और मुझे जो थोड़ा सा अनुभव प्राप्त हुआ है उस के आधार पर मैं समझता हूं कि भाव को पकड़ना बहुत कठिन है। बचपन में मैं खेतों में तितलियों को पकड़ने के लिये उन के पीछे भागता था। किसी वित्त मंत्री के लिये भाव को पकड़ने का प्रयत्न ऐसा ही व्यर्थ है जैसा कि खेतों में तितलियां पकड़ने का प्रयास। कभी भाव मंत्री के पीछे भागते हैं और कभी मंत्री भावों के पीछे। और भाव के नियत करने में बहुत से तत्व अन्तर्ग्रस्त होते हैं साधारण तौर पर 'मांग तथा संभरण' की पुरातन परिकल्पना के प्रभाव होते हैं। और एक तत्व है विद्यमान 'क्रय शक्ति' का मापना जो कि बहुत भारी कार्य है। अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं में 'अन्तर्राष्ट्रीय भावों' का प्रश्न उठता है। फिर 'फसल' का तत्व भी है। कभी फसल अच्छी होती है, कभी फसल खराब होती है। कृषि-जन्य वस्तुओं में अन्य फसलों का प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। कभी कभी गेहूं में अधिक लाभ होता है या वह अधिक मात्रा में उगाया जाता है, और कभी चावल। अतएव गन्ने का भाव अन्य कृषि-जन्य वस्तुओं की सहानुभूति से घटता बढ़ता है। फिर 'विधि व्यवस्था' की स्थिति है, फिर 'मंडी की नैतिकता' और फिर 'श्रम का रुख', इन सभी बातों का और 'आजीविका के व्यय' का बज़ार भावों पर प्रभाव पड़ता है। अन्ततः 'उपभोक्ता की रुचियां' भी होती हैं। पहले लोग अधिकांश गुड़ खाते थे परन्तु अब वे चाय पीने लगे हैं। इसलिये उन्हें अधिक चीनी की अपेक्षा है। (बाधा)

एक अन्य बात उठाई गई थी कि १।-) रुपये प्रति मन का गन्ने का भाव किस आधार पर नियत किया गया था। जैसा कि अन्य मित्रों ने कहा है, शायद, मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि यदि हम तत्काल १।-) का भाव कर दें तो कृषक को कुछ कठिनाई होगी। उस ने १।।।) की आशा में फसल बोई थी और अब उसे धक्का लगेगा कि उस की आय तत्काल घट गई। मुझे उस से सहानुभूति है परन्तु भाव-नियत करने में, मनमानी से भाव नियत करने का प्रश्न नहीं होता। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व कई अंगों पर विचार करना पड़ता है और सभी अन्तर्ग्रस्त तत्वों को पूर्ण अध्ययन करना पड़ता है। आप भावना या समाज में किसी जनवर्ग के प्रति पक्षपात

[श्री त्यागी]

से प्रेरित नहीं हो सकते । कई पहलू हैं जिन पर विचार करना होता है ।

सब से महत्वपूर्ण बात है अन्य प्रतियोगी वस्तुओं के मंडी–भाव । उदाहरण के लिये, यह असंगत या अयुक्तियुक्त नहीं होगा यदि गन्ने के न्यूनतम भाव निर्धारित करते समय कोई गुड़ के भावों के रुख को देखे कि वह कैसे चल रहा है । गन्ने से गुड़ या चीनी बनती है । गुड़ के भाव बहुत गिर गये हैं– सात रुपये मन तक । एक बार उस का भाव २६) रुपये मन था जब कि गन्ने को चीनी के लिये लेना पड़ा, चीनी की भी देश में आवश्यकता थी । जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री हीरेन मुखर्जी ने कहा है, चीनी उद्योग देश में दूसरे नम्बर का सब से बड़ा उद्योग है, और चाहे मेरे मित्र हम पर कुछ भी आरोप लगायें, मैं तो यह कह सकता हूं कि सरकार की निश्चय से यही इच्छा है कि गुड़ के साथ चीनी भी फले फूले ।

पंडित के० सी० शर्मा : गुड़ के भाव तो परिवहन की सुविधा न होने से गिरे थे ।

श्री त्यागी : मैं कुछ समय पूर्व निवेदन कर रहा था कि जब गुड़ के भाव मंडी में बहुत गिर गये तब सरकार के लिये यह समस्या हो गई कि कृषक का क्या होगा । अतः सरकार ने एक दम सहायता की और २५,००० टन गुड़ का निर्यात करने दिया और इस प्रकार मंडी में भावों की वृद्धि को प्रोत्साहन दिया । भाव तत्काल सात से बढ़कर १३) रुपये तक पहुंच गया, और मेरे मित्र वाणिज्य मंत्री ने गुड़ के निर्यात की अनुज्ञा दे कर सहायता की । हमारी यह नीति नहीं है कि गुड़ का भाव इस प्रकार ऊंचा रखा जाये । और फिर गन्ने का भाव इस आधार पर बढ़ाया जाये । हम कृषकों को मंडी के उतार चढ़ाव पर भी छोड़ना नहीं चाहते । अब यदि गन्ने का भाव गुड़ के ७) रुपये मन के आधार पर लगाया जाये तो गन्ने में पड़ता नहीं रहेगा और मैं उस का कोई औचित्य नहीं देखता ।

अतः सरकार को यह देखना है कि कृषक को पर्याप्त लाभ मिले । और वह जो गन्ना उगाये उस से अपनी आजीविका चला सके ।

गत वार प्रशुल्क आयोग ने भी प्रतिवेदन दिया था कि गुड़ का भाव १३) के लगभग हो तो निर्माण लागत २।।=)। के लगभग होगी ।

श्री एस० एस० मोरे : अन्तिम प्रतिवेदन १९५० में लिखा गया था और १९४७-४८ के आंकड़ों के आधार पर था ।

श्री त्यागी : मैं यहां गुड़ की बात कर रहा हूं । प्रशुल्क मंडली ने तो यह पता लगाया था कि निर्माण लागत लग भग २।।=)। आती है, जिस का अर्थ यह है कि गुड़ के भाव में से निर्माण लागत घटा दी जाय तो १० मन गन्ने का पूल्य आ जायेगा । गुड़ के भावों के आधार पर गन्ने का भाव १।)। बैठता है । अतः यह दर किसी भावना के आधार पर नियत नहीं की गई है । मेरी सहानुभूति देहाती लोगों के साथ है और मैं स्वयं देहात का रहने वाला हूं, और यदि भाव बढ़ाया जाता है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा । मेरे अपने ईख के खेत हैं । पर मैं एसा व्यवहार नहीं कर सकता। जैसा कि मेरे कई उद्योगपति भाई करते हैं; कि अपने वैयक्तिक स्वार्थ का ही समर्थन करूं या अपने भाई बन्धुओं का ही लाभ ही देखूं । अतः सभी पक्षों के साथ न्याय हुआ है ।

मेरे मित्र श्री राम सुभग सिंह ने गन्ने के 'विशिष्ट माल' का प्रश्न उठाया है । जब तक गन्ने को किसी ठंडे गोदाम में न रखा जाय तब तक उस के बचने का कोई प्रश्न नहीं है । यदि उन का आशय रतून की फसल से है तो मेरा उत्तर यह है कि एक बार गन्ना कटने के पश्चात् दुबारा बोने की आवश्यकता नहीं है रतून की फसल तो सदा सस्ती होती

है क्यों कि कृषक को उस फसल में दुबारा धन नहीं लगाना पड़ता। यदि वह फसल सस्ते दाम पर बेचनी पड़े तो कृषक के साथ इतना अन्याय नहीं होगा जितना उस दर पर नई फसल को बेचना पडे तो होगा । अतएव जहां तक रतून की फसल के बेचने का सम्बन्ध है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है ।

फिर, मेरे मित्र श्री हीरेन मुखर्जी ने सुझाव दिया है कि हमें उद्योग तो चलाना ही चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि उन्हों ने यह बात समझ ली है कि हमें उद्योग को चलाना ही चाहिये, और यह अच्छा शकुन है ।

उन्हों ने अच्छा सुझाव दिया है कि उद्योग के विकास के लिये कोई विधिवत निकाय बनाना चाहिये । मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष होता है कि सरकार ने यह विनिश्चय कर भी लिया है कि मेरे मित्र के उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत एक विकास परिषद् बनाई जाये और वह परिषद् शीघ्र ही नाम निर्देशित कर दी जायेगी। मुझे आशा है कि वह परिषद् उस कार्य को संभाल लेगी जो मेरे मित्र की इच्छा के अनुसार विधिवत निकाय द्वारा किया जाना चाहिये ।

श्री नम्बियार : क्या उस में कृषक के प्रतिनिधि होंगे ।

श्री त्यागी : हां, श्रीमान्। अब, उन्होंने संरक्षण के विषय में कुछ कहा था। वास्तव में चीनी को विधि रूप में कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है परन्तु तथ्य रूप में चीनी के आयात पर राजस्व-शुल्क है जिस का प्रभाव तो संरक्षण ही है। परन्तु मुझे आशा है कि उद्योग स्पष्ट चेतावनी लेगा और समझेगा कि देश प्रतिनिधियों के संरक्षण पर क्या विचार है। अब समय है कि चीनी उद्योग यह समझे कि देश उन्हें लम्बे समय तक सरक्षण देता नहीं रहेगा, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये । उन्हें मैं चेतावनी देता हूं कि वे लम्बे समय तक लोगों पर उपभोक्ताओं पर कर रूप बने नहीं रह सकते, और अब समय आ गया है कि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो जायें। इस विषय में मैं उद्योग को केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि जब वे अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयत्न करेंगे तब हम उन की सहायता अवश्य करेंगें जिस से कि हम उस उद्योग प्रति अपने आभार से मुक्त हो कर अन्य उद्योगों के लिये उस संरक्षण का उपयोग कर सकें ।

श्री गाडगिल : वे तो अपना पाव भर मांस ले हीं लेंगे ।

श्री त्यागी : वास्तव में वे हमारे ही रक्त मांस हैं ।

फिर, मेरे मित्र श्री मोरे ने कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं। वे उत्पादन की लागत के आंकड़े चाहते हैं। मैं उन्हें अधिक समझा नहीं सकता। परन्तु भाव नियत करने के विषय में मझे जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका। शायद उन के समझ में यह बात जंची हो या अधिक न जंची हो। उन्हों ने कहा था कि छोटे कृषक हैं जिन के पास चार एकड़ या कम भूमि है। और वे कारखानों को गन्ना देते हैं वे तो अधिकांश में गुड़ बना डालते हैं। [श्री **एस० एस० मोरे** : नहीं, नहीं] मुझे प्रसन्नता है कि संसद् सदस्य छोटे लोगों की भी चिन्ता करते हैं ।

फिर सरदार लाल सिंह ने कहा कि हम ने किसी से परामर्श नहीं किया। हम ने भाव घटाने से पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श किया था, म अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि पंजाब ने यह सिपारिश की कि भाव १।।) से १।।) कर देना चाहिये बंबई तथा राजस्थान ने १।) की सिपारिश की और मद्रास ने १८) की सिपारिश की । केन्द्रीय सरकार ने ही भाव घटाने का उत्तरदायित्व

[श्री त्यागी]

अपने ऊपर नहीं लिया । वास्तव में कृषक वर्ग और कृषि उत्पादन राज्य सरकारों के ही सीधा उत्तरदायित्व हैं और इस लिये उस विषय में केन्द्र राज्यों से पूछे बिना जो इस मामले में सीधे सम्बद्ध हैं, कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था (बाधा) :

मैं अपने मित्र श्री गोपालराव का भी अनुग्रहीत हूं । उन की बातों का उत्तर मेरे साथी श्री किदवई दे चुके हैं ।

तत्पश्चात्, श्री तुलसीदास किलाचन्द ने एक अच्छी वक्तृता दी । मैं उन की बातों का आदर करता हूं और मुझे उन से सहानुभूति है । उन का शायद अपना कोई कारखाना होगा और उन्हों ने कहा कि उन्हें पांच प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं होता । प्रत्येक व्यक्ति के विचार स्वभावतः अपने आस पास के वातावरण से ही उत्पन्न होते हैं । दुर्भाग्य से उन के पास के कारखानों में अधिक लाभांश नहीं मिलता । परन्तु व्यापक रूप में देखा जाये तो उद्योग ने रुपया कमाया है । रावलगांव ने १४ प्रतिशत लाभांश १९४९-५० में बांटा और १८ प्रतिशत १९५०-५१ में बांटा था, और वालचन्द नगर के कारखाने ने १२ और १४ प्रतिशत लाभांश अंशधारियों को दिया था । दूसरों की भी यही स्थिति है ।

श्री गाडगिल: फिर आप उन्हें प्रत्याभूत भाव देने के संविदे पर पुनर्विचार करने के लिये क्यों नहीं कहते ।

श्री त्यागी : क्यों कि यह वास्तव में कठिन है, सरकार के लिये भावनाओं पर चलना संभव नहीं है । (**बाधा**) उन्हों ने विगत में क्या कमाया, हम इस आधार पर नहीं चल सकते । उन्हों ने यह भी कहा कि गन्ने में चीनी की मात्रा कम होती जा रही है । (**बाधा**) मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं है । गत वर्ष वह ९.५७ थी, मेरे मित्र ने ८.६ बताई थी ।

फिर शेष माल को जमा रखने के विषय में स्थिति यह है कि तीन लाख टन तक माल जमा रखने का इरादा है । इस माल को इस प्रधान प्रयोजन से रखा जायेगा कि जब भी हम देखेंगे कि चीनी का भाव बढ़ गया है—क्योंकि विनियंत्रण के पश्चात् भाव पर कोई सीमा नहीं होगी —यदि व्यापारी या चीनी-निर्माता उसे बहुत ऊंचे भाव पर बेचना आरम्भ कर देगा तो इस जमा माल का प्रयोग भाव घटाने में किया जायेगा । जिस से कि उपभोक्ता को कष्ट न हो । इसी दृष्टिकोण से जमा माल रखा जायेगा और हम ने इस विषय में विनिश्चय कर लिया है ।

श्री झुनझुनवाला ने कहा —कुछ अन्य मित्रों ने भी यही बात कही है—कि राज्य सरकारें उपकर ले रही हैं और वे गन्ना उत्पादकों की समुचित सेवा नहीं कर रही हैं और उपकर की दर बहुत ऊंची है। उन्हों ने कहा कि उपकर दो रुपये मन पड़ेगा । मैं सदन को बता सकता हूं कि ऐसा नहीं है । श्री तुलसी दास ने भी यही बात कही थी । मुझे पता लगा है कि बिहार सरकार के पास इस उपकर की पृथक निधि है और मुझे यह भी पता लगा है कि वह सरकार उस का शत प्रतिशत प्रयोग गन्ना क्षेत्रों के विकास के लिये करती है । उत्तर प्रदेश के विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है परन्तु उन से कुछ पत्र व्यवहार हुआ था और उन्हों ने हमें बताया है कि वे इस उपकर के सारवान अंश का गन्ना-क्षेत्रों के विकास में प्रयोग कर रहे हैं और कुछ अंश पास के कृषि-क्षेत्रों में पानी या अन्य कुछ सुविधायें देने में व्यय कर रहे हैं जहां वे ही कृषक उस से लाभ उठाते हैं । मेरा समाधान हो गया है कि राज्य सरकारें उस का उपयोग राजस्व के प्रयोजनों के लिये नहीं कर रही हैं, वे उसे अपनी संचित निधियों में नहीं डाल रही हैं, अपितु उसे अलग रख रही हैं उस का उपयुक्त उपयोग कर रही हैं ।

श्री झुनझुनवाला ने एक बात कही थी जिस से देश में शायद कुछ भ्रांति हो सकती है। उन्हों ने कहा कि १९४३, १९४४ और १९४६ में जब शुल्क बढ़ाये गये थे, तब चीनी मिलों के पास कुछ माल शेष था। सरकार ने इस माल पर अतिरिक्त शुल्क क्यों वसूल किया ? इसका लाभ उपभोक्ता या कृषक को क्यों नहीं मिला, जिन्हें इन शुल्कों के न लगने पर लाभ मिलना था ? यह बात पूरी तरह समझ लेनी चाहिये कि जब भी कोई उत्पादन शुल्क लगाया जाता है, वह आयव्ययक-वर्ष के अंत में लगाया जाता है, तब उसके लगाते ही उस तारीख के बाद निर्मित सभी चीनी पर अतिरिक्त शुल्क लग जाता है, जिससे कि पूर्व-निर्मित चीनी से वह चीनी अधिक मंहगी होगी। यदि हम सारे माल पर—अवशिष्ट माल पर—शुल्क नहीं लगायेंगे तो वे उसे खुली मंडी में या चोर बाज़ार में बेच कर शुल्क का लाभ उठा लेंगे। यह अत्यावश्यक था कि चीनी कारखानों के पुराने माल पर भी समान रूप से अतिरिक्त शुल्क लगे ताकि उसका लाभ मिल-स्वामी या व्यापारी न उठा सकें। इस लिये हमने वह लाभ उनसे ले लिया। वह लाभ संचित निधि में या नियमित राजस्व में नहीं गया। मैं स्थिति का स्पष्टीकरण कर देता हूं। इन अतिरिक्त शुल्कों का सभी राजस्व ४ करोड़ १२ लाख रुपये बैठता है। उसमें से लगभग ७५ लाख रुपये पंच वर्षीय गन्ना विकास योजनाओं के लिये रखे गये हैं। कुल २ करोड़ ९ लाख रुपया व्यय हुआ है। ५६ लाख रुपये पंचवर्षीय योजनाओं, पर, ५० लाख रुपये भाद्रुक शिल्पिक संस्था के नाम रखे गये हैं जहां गन्ना और चीनी सम्बन्धी गवेषणा की जायेगी, १ करोड़ ३ लाख रूपये मजूरी वृद्धि पर व्यय किये गये हैं। चीनी ऋतु में एक पंचाट दिया गया था श्रमिकों की मजूरी बढ़ाई जाये और यह राशि श्रमिकों की मजूरी बढ़ाने के लिये व्यय की गई। ७० लाख रुपये अन्य परिवर्तनों के लिये रखे गये हैं। अब भी १ करोड़ ३३ लाख रुपये बचे हैं जिनमें से एक करोड़ रुपये उन विकास योजनाओं के लिये रखे गये हैं जिनकी योजना आयोग ने सिपारिश की है। अतः इस सब रूपये को साधारण राजस्व में नहीं डाला गया है, अपितु चीनी के विकास के लिये उसका अन्यथा प्रयोग किया गया है।

मेरी इच्छा इसे आज ही समाप्त करने की है, अतः मैं इसे सदन के विचारार्थ पेश करता हूं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या यह केवल एक ही वर्ष के लिये है ; तो फिर उसे १९५२-५३ तक सीमित क्यों न रखा जाये ?

श्री त्यागी : मैं एक वक्तव्य दे देता हूं। इसे लम्बे समय तक चलाने का कोई विचार नहीं है। यह माल तो एक प्रकार से हमारा ही माल है। अभी हमें उसे मंडी में डालना है। वह पुराने भाव पर नहीं बिक सकता। क्योंकि हमने चीनी का नियंत्रित मूल्य घटाने का निश्चय कर लिया है। यदि माल बच जायेगा और उसका निर्यात होगा तो हमें अर्थ-सहायता भी देनी होगी क्योंकि उसे विदेशी चीनी से प्रतियोगिता करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने पूछा है कि जब देश में इतनी कम चीनी खाई जाती है तो निर्यात को प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है।

श्री त्यागी : यदि देश में उसकी खपत हो जाती है तो कोई हानि नहीं है। नहीं होती है तो माल बाहर जायेगा ही।

[श्री त्यागी]

श्रीमान्, आजकल मेरे मंत्रालय में व्यापार-संतुलन की बहुत आवश्यकता है । इसी लिये हम आतुर हैं कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाये । जैसा कि मैंने कहा है इस शुल्क में से कोई बचत करने या राजस्व प्राप्त करने की इच्छा नहीं है । स्थानीय भावों में कमी करने के अतिरिक्त यह राशि निर्यात की हानि को पूरा करने में व्यय की जा सकती है । अन्यथा उसे अधिक समय तक चलाने को कोई इच्छा नहीं है । मुझे आशा है कि अगली ऋतु में किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी ।

विचार-प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(आरोपण तथा संग्रहण आदि)

श्री रामशेषय्या (पार्वतीपुरम्) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ पर, पंक्ति २५ में, " and six annas " (और छः आने) ये शब्द हटा दिये जायें ।

"Rs. 1/6/-" [१।=)] के स्थान पर " Re. one " [१) रुपया] रहने दिया जाये ।

इसके बाद सदन की बैठक बृहस्पतिवार, २० नवम्बर १९५२, के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।